खण्ड ४ — अंक ५७
३ मई, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Digitized
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०—२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२—०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४—२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४—५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६—५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०—८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२—९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८—२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१—२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८--गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९--शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०--सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, ३ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छावनियों का पुनर्गठन

*१८९९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार छावनियों अर्थात् लंढौर, नैनीताल, पंचमढ़ी और बनारस से पुनर्गठन के बारे में क्या इस बीच में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक छावनी से सम्बन्धित निश्चय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) स्थिति इस प्रकार है :

बनारस—भारत सरकार ने अब इस छावनी के एक भाग को अलग करने का निश्चय किया है। गजट में इसे प्रकाशित करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले जमीन की असली सीमा निर्णय करना और उस पर खम्भे लगाना आवश्यक है।

लंढौर, नैनीताल और पंचमढ़ी—प्रस्तावों पर शीघ्रता से विचार हो रहा है। आशा की जाती है कि आखिरी फैसले जल्दी ही हो जायेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहता हूं कि नैनीताल और पंचमढ़ी के मुताल्लिक इसी महीने में आखिरी फैसले हो जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय उपमंत्री जी को याद है कि सात-आठ महीने पहले उन्होंने कहा था कि अन्तिम रूप से यह फैसला हो गया है कि लंढौर और नैनीताल को वहां से कैन्टोनमेंट एक्ट हटा कर समीप की म्यूनिसिपल कमेटी में मिला दिया जायगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतनी पहले यह निश्चय हो गया था, तो फिर इस विषय में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया : लंढौर में देरी का कारण यह है कि वहां पर १५६ बिल्डिंग्ज हैं और यू० पी० गवर्नमेंट सिर्फ चार बिल्डिंग्ज चाहती है। बाकी एरिया और बिल्डिंग्ज के बारे में वह कहती है

कि उन को हम तब लेने के लिये तैयार हैं अगर डिफेन्स डिपार्टमेंट सबसिडी भी दे। यह मामला मुश्किल है और इसलिये देर हो रही है।

श्री भक्त दर्शन : जिस समय किसी स्थान से कैन्टोनमेंट एक्ट हटाया जाता है, तो क्या यह शर्त अनिवार्य रूप से लगाई जाती है कि जितने भी रक्षा मंत्रालय के भवन हैं, उनको राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कमेटी ले ले ? रक्षा मंत्रालय इस बात पर बजिद क्यों है और इतनी कड़ी शर्त क्यों लगाई जा रही है ?

सरदार मजीठिया : इस में कड़ी शर्त का सवाल नहीं है। बात सीधी है कि वहां पर इतनी बिल्डिंग्ज और प्रापर्टी है और अगर उसको हमने मेनटेन करना है, तो हम चाहते हैं कि कैन्टोनमेन्ट वहां पर रहे और अगर यू०पी० गवर्नमेंट उस का सारा इन्तजाम लेने के लिये तैयार है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, जैसा कि मैं ने कहा है, दिक्कत इसलिये हो रही है कि वह कहते हैं कि हमें साथ ही सबसिडी भी दी जाय। इस बारे में, अभी हम ने आखिरी तौर पर फैसला नहीं किया है, इसलिये देरी हो रही है।

कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन

†*१९००. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री कराधान जांच आयोग की उन सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें सरकार ने अब तक स्वीकार कर लिया है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** संभवत: प्रश्न का सम्बन्ध कराधान जांच समिति की उन सिफारिशों से है जिनसे केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है। जो सिफारिशें अब तक रूप-भेद सहित अथवा उस के बिना स्वीकार की गई हैं उनका एक विवरण मैं लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २५]**

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस सिफारिश के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, कम से कम आय और अधिक से अधिक आय के बीच में तीस गुना से अधिक फर्क होना चाहिये ?

†**श्री एम० सी० शाह :** अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच के अन्तर में कमी करने के सम्बन्ध में हमने कुछ वित्तीय साधन अपनाए हैं। इस अन्तर को कम किया जा रहा है। यदि उन्होंने आय की उच्चतम सीमा की ओर निर्देश किया है तो सरकार उस विषय पर विचार कर रही है।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या सरकार ने इस सभा के विभिन्न विभागों की इस मांग पर विचार किया है कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये ?

†**श्री एम० सी० शाह :** इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री ने दिया था और मैं संभवत: उस उत्तर से अधिक कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या राज्य सरकारों में से किसी ने अपने सम्बन्धी सिफारिशों की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा था ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मेरे पास इस की जानकारी नहीं है।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** आयोग ने सिफारिश की है कि अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच ३० : १ से अधिक अंतर नहीं होना चाहिये। क्या इस अन्तर को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मैं पहले नये वेतन आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर बोलते हुए कह चुका हूं कि वर्तमान अनुपात १ : ३१ का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या यह अनुपात १ : ३१ का होगा ?

†**श्री एम० सी० शाह :** आजकल १ : ३१ का अनुपात है।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** इस अनुबंध का सम्बन्ध उन सिफारिशों की सूची से है जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है। क्या सरकार अन्य सिफारिशों पर सक्रिय विचार कर रही हैं अथवा उनमें से कुछ को रद्द कर दिया गया है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** उनमें से कुछ पर विचार किया जा रहा है। लगभग चार सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया कि अनुपात १ : ३१ का था। चपरासी का वेतन क्या है और भारत में अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन क्या है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** वेतन आयोग की उन सिफारिशों के अनुसार जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है, आयोग की सिफारिशों के पश्चात् बनाये गये पदों के पदाधिकारी का वेतन.....

†**डा० राम सुभग सिंह :** आजकल क्या स्थिति है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** माननीय सदस्य को पता है कि आई० सी० एस० सचिवों को जिनके वेतन क्रमों की प्रत्याभूति संविधान में दी गई है, ४,००० रुपये मिलते हैं। नये सचिवों का वेतन क्रम ३,००० रुपये है। यह १९३१ के पश्चात् के पदाधिकारियों पर लागू होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। वे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यदि उसी समय एक माननीय सदस्य कहता है कि उसे इस उत्तर की बजाय कुछ और चाहिये, तो वे कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या सरकार बिक्री कर के सम्बन्ध में कराधान जांच आयोग की सिफारशों को लागू करने के लिये कोई और विधान बनाना चाहती है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** हां श्रीमान्, हम आज कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्तर्राज्य बिक्रीकर के सम्बन्ध में एक विधेयक पुनःस्थापित करना चाहते हैं।

†**श्री गिडवानी :** क्या माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार मैं यह समझूं कि इस समय अन्तर १ : ३१ के अनुपात में नहीं है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** श्रीमान् मुझे उत्तर समझ में नहीं आया।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे जानना चाहते हैं कि क्या १ : ३१ के अनुपात का अन्तर आजकल है। माननीय मंत्री ने बताया था कि एक आई० सी० एस० सचिव को ४,००० रुपये मिलते हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अन्तर कितना रहेगा, क्या १ : ३१ होगा ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मैंने तो यह कहा था कि.....

†**अध्यक्ष महोदय :** कि भविष्य में ऐसा होगा ।

†**श्री एम० सी० शाह :** भविष्य में ही नहीं आजकल भी। यदि हम एक सचिव का पद उत्पन्न करते हैं और वह पद एक आई० सी० एस० पदाधिकारी के पास नहीं होता तो उस पद का वेतन ३,००० रुपये होता है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री को केवल ३,००० रुपये मिलते हैं। जहां तक आई० सी० एस० पदाधिकारियों का सम्बन्ध है जब तक हम संविधान में दी गई प्रत्याभूति को परिवर्तित नहीं करते यह कठिन है। जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने कुछ समय पहले बताया था, इस विषय पर भी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि अब तक आयोग की जिन सिफारिशों की जांच की गई है उनमें से उन्होंने चार सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया । वे सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : उनकी जिस एक सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया वह यह थी कि मूल अवंमूल्यन भत्ते की प्रणाली जारी रखी जाये । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि वित्त विधेयक १९५६ में हम ने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने यह भी सिफारिश की कि समवायों की अवितरित आय पर एक आना की छट जारी रखी जाये । माननीय सदस्य को विदित है कि वित्त विधेयक १९५६ में हमने इसे स्वीकार नहीं किया । हमने इसे वापिस ले लिया है । तीसरी सिफारिश यह है कि प्रथम आय स्तर के अतिकर की दर को कम करने के फलस्वरूप जो निवासी नहीं उन द्वारा दिये जाने वाले कर में कमी बनी रहे । चौथी सिफारिश है कि बोनस पर कर नहीं लगना चाहिये । हमने इस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया और हमने बोनस अंश दो आना कर लगा दिया है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : भारत के प्रधान मंत्री के वेतन से सचिवों के वेतन स्तर को ऊंचा रखने के क्या कारण हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : खेद है कि प्रधान मंत्री का वेतन इस सभा द्वारा पारित मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के द्वारा विनियमित है ।

केन्द्रीय खाद्य टेक्नालाजीकल गवेषणा संस्था

*१९०१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य टेक्नालाजीकल गवेषणा संस्था ने बताया है कि गोदामों में रखे गये अनाज की क्षति को बचाने के लिये गेमक्सीन और डी० डी० टी० जैसी कीट नाशक औषधियों का प्रयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो इन कीट नाशक औषधियों के प्रयोग को रोकने के लिये जिनका हानिकारक अवशेष भंडार के अनाज में रह जाता है, क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) तथा (ख). मैसूर मंडी में बिक्री के लिये रखे खाद्यान्न पर संस्था द्वारा की गई गवेषणा से पता चला कि डी० डी० टी० से अनाज अत्यधिक मात्रा में दूषित हो गया था । संस्था के प्राधिकारियों ने स्थानीय स्वास्थ्य विभागों को बताया कि खाद्यान्न का भंडार रखने वालों को कीट नाशक औषधियों का प्रयोग सीमाओं में करना चाहिये और अनुदेशों का ठीक प्रकार से पालन करना चाहिये । सरकार की सिफारिश है कि बोरियों के चक्कों पर कीट नाशक औषधि छिड़कनी चाहिये ना कि अनाज में मिलानी चाहिये । कीट नाशक औषधि का हानिकारक अवशेष नहीं रहता ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या इस गवेषणा संस्था ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव रोकने के लिये किसी विकल्प का सुझाव दिया था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**श्री मादिया गौडा** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्था ने अनाज की क्षति रोकने के लिये कोई और ढंग अपनाने का सुझाव दिया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यदि सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाता है तो कीट नाशक औषधि के प्रयोग से कोई हानि नहीं होगी । यह कीट नाशक पाउडर वास्तव में खाद्यान्नों के साथ नहीं मिलाया जाता । अनुदेश यह हैं कि भंडारों पर छिड़का जाये न कि खाद्यान्नों में मिलाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तो यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके स्थान पर किसी और औषधि का आविष्कार किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** मुझे ज्ञात नहीं कि उसके स्थान पर किसी औषधि का अविष्कार हुआ है अथवा नहीं ।

†**श्री मादिया गौडा :** यदि लोग अनाज को क्षति से बचान के लिये अनजाने में ऐसी कीट नाशक औषधि का प्रयोग करें तो उससे क्या परिणाम होने की संभावना है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** यदि सहनीय मात्रा से अधिक का प्रयोग हो तो स्पष्टत: वह अवांछनीय होगा । मैं इसे विषैला नहीं कहूंगा क्योंकि इसके लिये यह शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता परन्तु यह बहुत आवश्यक है कि सहनीय मात्रा से अधिक प्रयोग न हो ।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या सरकार को विदित है कि १९४८ में इंगलैंड में गेमेक्सीन और डी० डी० टी० प्रयोग के हानिकारक प्रभाव का अध्ययन किया गया था और हाउस आफ कामन्स में ब्रिटेन के मंत्री ने कहा कि गवेषणा से पता लगा है कि गेमेक्सीन और डी० डी० टी० न केवल मानव जीवन वरन् आस पास के पेड़ पौधों के लिये भी हानिकारक है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** नहीं श्रीमान् । मुझे इस बात का क्या पता है कि इंगलैंड में सहनीय मात्रा का प्रयोग किया गया था और उन्होंने एक अधिकतम मात्रा का निर्णय किया था जिससे अधिक पाउडर अनाज में नहीं मिलाना चाहिये । परन्तु यह सिद्ध नहीं किया गया कि यह विषैला है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या गेमेक्सीन और डी० डी० टी० के प्रयोग की संभव हानि को ध्यान में रखते हुए, हानि रहित प्राक्कृतिक शत्रु कीटाणुओं के द्वारा कीटाणुओं के रोगाणु नियंत्रण को जारी करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** नहीं श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं कि ऐसा कोई प्रयोग किया जा रहा है या नहीं ।

अजायबघर सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति

†*१९०२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ संग्रहालय सर्वेक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि जो गैर सरकारी म्यूजियम हैं उनको भी यह कमेटी एग्जामिन करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** एक विशेषज्ञ संग्रहालय सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गई और समिति ने दौरा लगा कर देश के विभिन्न संग्रहालयों को देखा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कमेटी उन गैर सरकारी म्यूजियम्स को भी विजिट करेगी जिनको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलती है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जी हां, वे देख चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हीरा जांच समिति

†*१९०४. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हीरा जांच समिति का कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां तो प्रतिवेदन किस प्रकार का है;

(ग) क्या सरकार इस पर विचार कर रही है; और

(घ) इस योजना में कितनी धनराशि लगेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन में खनिज रियायत नियम लागू होने से लेकर विंध्य प्रदेश में हीरा खान उद्योग के सभी पहलू विशेषत: ठेके देने की पद्धति, हीरों को नीलामी द्वारा बेचने के वर्तमान प्रबंध, कम गहराई पर खनिज निकालने के लिये सहकारी प्रकार का संगठन, सुरक्षा प्रबन्ध और उद्योग का आगामी जारी करना, किये गये हैं ।

(ग) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इसका हिसाब अभी नहीं लगाया गया ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार सीधे आवश्यक विधि का उपबंध करेगी अथवा गैर सरकारी दलों की साझेदारी से । उद्योग के विकास की योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : प्रस्थापना यह है कि पन्ना हीरा खानों को सीधा सरकार के नियंत्रण में किया जाये और निश्चित योजना तैयार की जाये जिस में सरकार भाग ले । व्यय की जाने वाली राशि के बारे में निश्चय नहीं हुआ है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि रूस के हीरा खान विशेषज्ञों ने भी जो हाल में इस क्षेत्र में गये थे, प्रतिवेदन दिया है और यदि हां तो यह प्रतिवेदन किस प्रकार का है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हां, श्रीमान् उन्होंने भी प्रतिवेदन दिया है । भारतीय भूतत्ववेत्ताओं के परामर्श से उन्होंने पन्ना हीरा खानों के विस्तृत अनुसंधान की योजना तैयार की है । अनुसंधान करते हुए वे हमें कुछ बता सके कि इस क्षेत्र में कहां कहां हीरों के निक्षेप हैं । परन्तु विस्तृत अनुसंधान अभी हो रहा है और ज्यों ही यह पूरा होगा पन्ना हीरा खानों का पूर्ण हिसाब लगाया जायेगा जिससे हमें योजना को अन्तिम रूप देने में सहायता मिलेगी ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : मुख्य सिफारिशों को कब लागू किया जायेगा । क्या लगभग समय बताया जा सकता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हम अभी से इस योजना को तैयार कर रहे हैं । संभवत: योजना तैयार करने में एक दो मास लग जायें । फिर हम बता सकेंगे कि कितना समय लगेगा ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने पन्ना की हीरे की खदानों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी है, क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है कि जो कम्पनी वहां आजकल काम कर रही है वह सरकार को कोई नुकसान न पहुंचावे, और इस के बारे में कब तक बिल आने की आशा की जा सकती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : वह कम्पनी कोई नुकसान नहीं कर सकती क्योंकि चोरी-चोरी वहां से पन्ना खोद कर नहीं ले जाया जा सकता और इसलिये कोई नुक़सान का अंदेशा नहीं है लेकिन जैसा कि

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने कहा है उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिये कुछ कदम उठाना है और उसके लिये कानून बना करके भवन के सामने रखना है, जैसे ही तमाम तफसील तैयार हो जायगी वैसे ही वह बिल आपके सामने रख दिया जायगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इसमें कितना समय लगने की आशा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने अभी बताया कि इस वक्त हम उसका ब्योरा तैयार करने में लगे हुए हैं और सम्भवत: ८, १० हफ्ते में हम इस काबिल हो जायेंगे कि वह बिल हाउस के सामने ला सकें ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री ने कहा कि जांच जारी है । क्या जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की परीक्षा के सम्बन्ध में है अथवा इस सम्बन्ध में है कि कहां तक हीरे की खानें उपलब्ध हुई हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जांच इसके सम्बन्ध में हो रही है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई अधिक टेकनीक निहित नहीं है और न ही पन्ना हीरे की खानों की विस्तृत जांच के बारे में कोई कठिनाई अथवा जटिलता है । यह केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों के नमूना सर्वेक्षण का प्रश्न है । इन क्षेत्रों से अयस्क निकालने के पश्चात् हम यह पता लगाते हैं कि धोने के बाद उस क्षेत्र में कितने कैरेट हीरा पाया जाता है । इसको बड़े पैमाने पर करना पड़ता है । इसका कुछ हिस्सा हमने किया था और उसी के आधार पर हमने कुछ मात्रा निर्धारित कर ली । अब हम इस कार्य को पूरा करने जा रहे हैं जिससे हमारी निर्धारित की गई मात्रा सही और पूर्ण हो सके ।

हीरा खनन उद्योग

†*१९०५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा खान उद्योग के सम्बन्ध में सोवियत खान विशेषज्ञों ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन पर विचार किया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस प्रतिवेदन में जिसमें सिफारिशें की गई हैं, राष्ट्रीयकरण की भी बात कही गई है ? इस उद्योग के भिन्न-भिन्न सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या होंगे जबकि सरकार ने इसका राष्ट्रीकरण करने का निश्चय कर लिया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : प्रतिवेदन और सिफारिशें बिल्कुल टेक्निकल हैं । उनका सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : उस दिन मंत्री महोदय कह रहे थे कि सरकार उद्योगों में काम आने वाले हीरों का खनन करने में रुचि रखती है । क्या सोवियत टीम ने आगामी पंचवर्षीय योजना क दौरान में उद्योगों में काम आने वाले हीरों का उपयोग करने के लिये कोई उद्योग की सिफारिश की है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उद्योगों में काम आने वाले हीरों के उपयोग के लिये कोई उद्योग विशेष ध्यान में नहीं है । उद्योगों में काम आने वाले हीरे अत्यधिक उपयोगी हैं, जैसा कि मैं कुछ समय पूर्व इस सभा में बता चुका हूं । प्रत्येक आधुनिक औजार में जिसमें पीसने आदि की आवश्यकता होती है, उद्योग में काम आने वाले हीरे का इस्तेमाल किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चट्टोपाध्याय** : इन विशेषज्ञों ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इन विशेषज्ञों की मुख्य सिफारिश यह है कि अभी विस्तृत जांच-पड़ताल करनी है ।

भारतीय प्रशासन सेवा आपात भर्ती

†***१९०६. श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा में आपात भर्ती आरम्भ हो गई है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिये आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनका आरक्षण कोटा कितने प्रतिशत होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भारतीय प्रशासन सेवा में विशेष भर्ती सम्बन्धी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाने वाली है ।

(ख) हां ।

(ग) रिक्त पदों के १२ १/२ प्रतिशत की पूर्ति विशेष 'खुली भर्ती' द्वारा की जायेगी ।

†**श्री वीरस्वामी** : यह आपात भर्ती सरकार द्वारा की जायेगी अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ?

†**श्री दातार** : यह भर्ती आपात भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी, जिसमें दो सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के—एक उच्च पदाधिकारी और एक गैर-सरकारी होंगे ।

†**श्री वीरस्वामी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अभी तक अनुसूचित जातियों के बहुत कम लोग हैं, क्या सरकार यह प्रयत्न करेगी कि अब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित प्रतिशत से अधिक लोग इसमें लिये जायें ?

†**श्री दातार** : हमारी कठिनाई यह है कि इतने प्रतिशत लोग भी नहीं मिलते ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या भारतीय पुलिस सेवा की कुछ पदालियों को इस आपात भर्ती में भाग लेने से मना कर दिया गया है, यदि हां , तो वे पदालियां कौन सी हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक आपात भर्ती का सम्बन्ध है वह उपबंधित शर्तों के अधीन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये खुली है । जहां तक सामान्य खुली भर्ती का सम्बन्ध है सभी स्नातक भर्ती हो सकते हैं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : वे शर्तें क्या हैं जिनके अधीन सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होगी ?

†**श्री दातार** : जहां तक खुली भर्ती का सम्बन्ध है उम्मीदवार किसी एक विहित विषय अथवा क्षमता का स्नातक होना चाहिये । दूसरे प्रार्थना पत्र की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व उनके पास ३०० रुपये प्रतिमास का पद रहा होना चाहिये या उन्हें वृत्ति से कम से कम ३०० रुपये मासिक की आय होनी चाहिये ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : आपात भर्ती में मौखिक परीक्षा इतनी सख्त नहीं होगी जितनी कि सामान्य भर्ती में होती है । अतएव क्या सरकार का विचार उन उमीदवारों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने का है जिन्होंने नियमित परीक्षा के लिखित पत्रों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किये थे परन्तु किसी कारण वश मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये थे ?

†**श्री दातार** : दो पत्रों की लिखित परीक्षा होगी—एक सामान्य ज्ञान के सम्बन्ध में और दूसरी अंग्रेजी के निबंध के सम्बन्ध में । जो लोग दुर्भाग्यवश शर्तों को पूरा नहीं कर सकते थे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** वे क्या कारण हैं जिनके आधार पर विशेषत: आई० ए० एस० के पदाधिकारी के लिये लोक सेवा आयोग की सहायता लेने की बजाये सरकार ने एक विशेष बोर्ड नियुक्त किया है ?

†**श्री दातार :** जिन कारणों से सरकार को १९५० में एक आपात भर्ती बोर्ड नियुक्त करना पड़ा था आज भी वही कारण हैं क्योंकि अधिक लोगों की आवश्यकता है और अधिक बड़े क्षेत्र से अधिक लोग लिये जाने हैं ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य उपक्रम बहुत सफल हुए हैं और वे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्या सरकार कोई उच्च प्रशासी पदाली बनायेगी जिनमें व्यापार केन्द्रों से भर्ती हो ?

†**श्री दातार :** व्यापार केन्द्र के लोगों के लिये पहला बाहर निकलने का मार्ग तो यह है कि वे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की शिक्षा

†*१९०७. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिये परिपत्र राज्य सरकारों को कब भेजा गया था;

(ख) कितने राज्यों ने परिपत्र का उत्तर दिया है; और

(ग) कितने राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) २ अगस्त १९५२ को ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २६**]

†**श्री रिशांग किशिंग :** सरकार इसके लिये क्या प्रयत्न कर रही है कि विवरण के दूसरे भाग में निर्दिष्ट राज्यों में शिक्षा शुल्क से पूर्ण विमुक्ति दी जाये ?

†**डा० एम० एम० दास :** भारत के २७ राज्यों में से १७ राज्यों ने शिक्षा के सभी प्रक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को शिक्षा शुल्क से पूरी विमुक्ति दे दी हूई है। जिन राज्यों ने विमुक्ति नहीं दी उन्हें हम बार-बार लिख रहे हैं और उन्हें अनुस्मारक भेज रहे हैं ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** विमुक्ति न देने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** दस राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अंशत: हमारी प्रार्थना का पालन किया है। क्या उनके नाम बताऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वह कौन-कौन सी डिफाल्टिंग स्टेट्स हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** मैं ने बताया कि वे दस राज्य हैं ।

†**श्री रिशांग किशिंग :** शिक्षा शुल्क से यह विमुक्ति कितनी देर रहेगी ?

†**डा० एम० एम० दास :** इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है परन्तु जहां तक माननीय सदस्य के मनीपुर राज्य का सम्बन्ध है उसे केन्द्रीय राज्य ने कहा है कि वे पिछले शैक्षणिक वर्ष १९५५-५६ से लागू करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था

†*१९०८. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था में गवेषणा विभाग स्थापित करने और कतिपय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी पूंजी लागत की मंजूरी दी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) हां श्रीमान् ।

(ख) भवन और यंत्रों आदि के लिये १६·४८ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है । इसमें से ३·६ लाख रुपये की राशि ३१ मार्च १९५६ तक दी गई है ।

मैं यह भी कह दूं कि लगभग आठ या नौ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने इस संस्था के विकास के लिये एक विस्तृत योजना का अनुमोदन किया था । उस योजना की कुल लागत १७७ लाख रुपये थी । यह योजना पूरी हो गई है और इसके पूरा होने पर संस्था का स्तर ऊंचा हो गया है, अब इस संस्था में भली प्रकार सब प्रकार का गवेषणा कार्य और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का कार्य किया जा सकता है ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्या हैं और उनके कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

†**डा० एम० एम० दास :** यह संख्या बड़ी है । क्या मैं पढ़ कर सुनाऊं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । जहां माननीय मंत्री अनुभव करें कि सभा को कुछ मदें बतानी हैं तो उन्हें लोक-सभा पटल पर उसकी प्रति रखनी चाहिये ताकि माननीय सदस्य तैयार हो कर आ सकें ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश का ढंग क्या है ?

†**डा० एम० एम० दास :** प्रार्थनापत्र मांगे जाते हैं और प्रार्थनापत्रों की जांच के पश्चात् प्रवेश की अनुमति दी जाती है । मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि प्रविष्ट छात्रों में से ५० प्रतिशत को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां कहीं भर्ती की जाती है, पाठ्यक्रम और प्रवेश विधि आदि को विज्ञापित किया जाता है । यदि इसकी प्रति पुस्ताकलय में रखी जाय—वहां सूचना बोर्ड हो—माननीय सदस्य उसे देखें और उन्हें सभा में प्रश्न न पूछने पड़ें ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होता है ? क्या विभिन्न क्षेत्रों के लिये रक्षण भी होता है और क्या उम्मीदवारों को केवल गुणों के आधार पर लिया जाता है ?

†**डा० एम० एम० दास :** मेरा विचार है कि यह गुणों के आधार पर है परन्तु मुझे निश्चय नहीं है ।

†**श्री मादिया गौडा :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गवेषणा विभाग आधुनिकतम यंत्रों से सुसज्जित नहीं हैं, उनके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जहां तक गवेषणा विभागों का सम्बन्ध है उनमें कार्य आरम्भ नहीं हुआ । हमने कुछ राशि की मंजूरी दी है ताकि वे उपयुक्त यंत्र आदि खरीद लें । यह अभी पूर्ण नहीं है ।

†**श्री मादिया गौडा :** लगभग १६ लाख रुपये में से कितना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये है और कितना गवेषणा विभागों के लिये है ?

†**डा० एम० एम० दास :** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये, भवन निर्माण के प्रयोजन के लिये ४,१६,००० रुपये की मंजूरी दी गई है, यंत्रों आदि के लिये ११,५२,००० रुपये की, आवर्तक व्यय

†मूल अंग्रेजी में

के लिये २,२३,३९० रुपये की मंजूरी दी गई है। गवेषणा के लिये केवल २०,००० रुपये प्रति विभाग दिये गये हैं ताकि विभाग संगठित किये जा सकें।

लोहा अयस्क

†*१९१०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के वारंगल और खम्मेत जिलों के विस्तृत क्षेत्रों में उच्च श्रेणी के लोहा अयस्क के बड़े-बड़े निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां तो उस अयस्क में कितना लोहा है; और

(ग) क्या उसे निकालने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) लगभग ४० प्रतिशत परन्तु कुछ स्थानों पर अयस्क में ६० प्रतिशत लोहा है।

(ग) हैदराबाद सरकार ने बताया है कि इन लोहा अयस्क निक्षेपों के उपयोग और उनसे लोहा निकालने के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई।

†**डा० राम सुभग सिंह :** इस जिला में लोहा अयस्क की अनुमित मात्रा क्या है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** भूमि तल तक ५५ लाख टन अयस्क लोहा का अनुमान किया गया है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़ :** हैदराबाद सरकार ने एक योजना भेजी है जिस में केन्द्र से सहायता मांगी है इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** यह प्रश्न उत्पादन मंत्रालय से पूछा जाये।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** इलेक्ट्रोमेगनेट के द्वारा पृथक्करण प्रयोग किये गये थे और यदि हां तो कहां ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** हमने क्षेत्र में लोहे की मात्रा का अनुमान लगाया है। मुझे ठीक पता नहीं कि इलेक्ट्रोमेगनेट की रीति का प्रयोग कहां किया गया है। संभवतः इसकी आवश्यकता नहीं थी।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** इन लोहा अयस्क निक्षेपों का कब पता लगा था, गत वर्ष अथवा कुछ वर्ष पूर्व ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** १९५४ से अनुमान लगाय जा रहा है, संभवतः १९५५ में यह कार्य पूरा हुआ था।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि लोहे की मात्रा ६० अथवा ६५ प्रतिशत है। यह आंकड़े कुछ भी हों, परन्तु इसकी प्रतिशतता का पता यदि इलेक्ट्रोमेगनेट द्वारा नहीं तो किस प्रकार लगाया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : भारतीय खान विभाग ने नमूने लिये हैं और लोहे की मात्रा और गुण जानने के विभिन्न ढंग हैं। भारतीय खान विभाग ने अपनी प्रयोग शालाओं में ठीक क्या ढंग अपनाया है इस के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे स्वयं वहां जा कर देखें।

भारत का राज्य बैंक

†*१९११. **श्री एस० एस० मोरे** : क्या माननीय **वित्त** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि भारत के राज्य बैंक के एकीकरण के फलस्वरूप पांच वर्षों (प्रति

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष) के दौरान में उसकी खोली जाने वाली नई शाखाओं का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बतायेंगे कि :

(क) क्या निश्चित लक्ष्य के अनुसार ही शाखायें खोली जा रही हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) १९५६-५७ के दौरान में कितनी शाखायें खोलने की आशा है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : भारत का राज्य बैंक अधिनियम १९५५ की धारा १६ (५) में निहित राज्य बैंक के विकास का लक्ष्य के अनुसार पांच वर्षों के दौरान अथवा इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये बढ़ाये गये निश्चित समय में कम से कम चार सौ नई शाखायें खोली जानी चाहिये । प्रतिवर्ष के लिये कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है । उन केन्द्रों की सूची जो राज्य बैंक के प्रथम विकास कार्य क्रम के अन्तर्गत आयेंगे लोक-सभा पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २७**]

(क) १ जुलाई १९५५ से २१ नयी शाखायें खोली गई हैं । यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो प्रगति में वृद्धि करनी होगी ।

(ख) प्रारम्भ में कुछ प्रशासन एवं संगठन सम्बन्धी कठिनाइयां विशेषत: उपयुक्त स्थान की व्यवस्था जिस में कर्मचारियों के लिये रहने को स्थान भी सम्मिलित है, रही हैं । कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी करना है ।

(ग) यद्यपि नई शाखायें खोलने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है किन्तु १९५६-५७ के दौरान में कितनी नई शाखायें खोली जायेंगी यह बताना संभव नहीं है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : शहरी क्षेत्रों में खोली गई नई शाखाओं की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई नई शाखाओं का अनुपात कैसा है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिले के शहर और सबडिवीजन के शहर आते हैं । आगामी चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोली जायेंगी । प्रथम चरण में कुछ अर्द्ध शहरी स्थानों पर भी शाखायें खोली जा सकती हैं ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखायें खोलने का आगामी कार्यक्रम कब से प्रारम्भ होगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं जिसके कारण प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है । एक उपप्रबन्धक विभिन्न राज्यों के दौरे पर जायेंगे और कठिनाइयों को दूर करने, जिनमें एक कठिनाई उपयुक्त स्थान की प्राप्ति भी है, में राज्य सरकारों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । हम आशा करते हैं कि उसके पश्चात् प्रगति तेजी से होगी और अधिक सन्तोषजनक भी होगी ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या सरकार का विचार पूर्व से ही ऐसा है कि नई शाखाओं में हानि होगी, यदि हां, तो प्रत्येक शाखा की अनुमानत: हानि क्या होगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इस समय हम हानि का अनुमान तो नहीं लगा सकते । माननीय सदस्य को ध्यान होगा कि राज्य बैंक के ५१ प्रतिशत अंशों से प्राप्त लाभांश में से एक विशेष कोष अलग से बना दिया गया है। नई शाखाओं से जो भी हानि होगी उसकी पूर्ति इस कोष, एकीकृत कोष से की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या सरकार का कार्यक्रम राज्य बैंक की शाखायें केन्द्रीय स्थानों जैसे जिला मुख्यालयों, परगना, थाना आदि पर खोलने का है जैसे कि संचार मंत्रालय का तार तथा टेलीफोन कार्यालय खोलने का है ? यदि नहीं तो क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि कुछ जिला मुख्यालयों में भी ऐसी शाखायें नहीं हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यही बात मैंने अभी कही थी । प्रारम्भ में हम सभी जिला मुख्यालयों और परगना मुख्यालयों में शाखायें खोलेंगे, आगामी कार्यक्रम में हम ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य चालू करेंगे ।

†**श्री बर्मन** : क्या सरकार के पास कुल जिला मुख्यालयों एवं परगना मुख्यालयों की संख्या का कोई अनुमान है जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकें कि ग्रामीण-क्षेत्रों तक इस कार्यक्रम को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इस मामले में स्थूल आंकड़े भी मेरे लिये देना कठिन है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : परगने के शहरों में नई शाखायें खोलने के लिये प्राथमिकता किस आधार पर दी जायगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : उसका मुख्य आधार जनसंख्या एवं बैंक आपणन है । हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या उस क्षेत्र में कुछ और दूसरी बैंकिंग सम्बन्धी सुविधायें हैं भी या नहीं ।

स्थानीय निकायों द्वारा रुपया जमा करना

†***१९१३. श्री काजरोल्कर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय निकायों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपना रुपया केवल भारत के राज्य बैंक में ही जमा करें किसी अन्य गैर सरकारी अथवा दूसरे व्यवसायिक बैंकों में नहीं; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) उपरोक्त अनुदेशों, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५२ की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २८**] यह देखा जायगा कि ये अनुदेश केवल स्थानीय निकाय और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं पर लागू होते हैं, जो कि पूर्ण रूपेण सरकारी राजस्व से चलती हैं अथवा उपकर से चलती हैं । यह भी देखना होगा कि उन स्थानीय निकायों और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को जो आंशिक रूप में सरकार से वित्तीय सहायता पाती हैं अपना अतिरिक्त धन अनुसूचित बैंकों में कुछ शर्तों के आधार पर रुपया जमा करने की आज्ञा दी जायगी ।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया का आधार मुख्यतः उस सामान्य नीति पर निर्भर करता है जो सरकार की अपनी निधि के बारे में है किन्तु अनुदेशों के संशोधन के बारे में जांच हो रही है ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या यह सच नहीं है कि गैर सरकारी बैंक स्थानीय निकायों को अच्छा ब्याज देता है और इससे स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि होती है ।

†**श्री अरुणचन्द्र गुह** : इस मामले में केवल यही बात विचारणीय नहीं है कि ब्याज की दर ऊंची होनी चाहिये । किन्तु हमें निधि की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिये । जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं यह मामला विचाराधीन है और उन अनुदेशों में जो कि आजकल लागू हैं कुछ संशोधन हो सकते हैं ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार के अनुदेशों से स्थानीय निकायों को काफी कठिनाई पड़ती है क्योंकि रुपया जमा करने के लिये उन स्थानों तक, जहां कि राज्य बैंक हैं, जाने में काफ़ी रुपया व्यय करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां हों। किन्तु कुछ स्थानीय निकायों को जिन्हें सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त नहीं है, इस बात की छूट है कि वे अपना धन कुछ व्यवसायिक अनुसूचित बैंकों में जमा कर दें ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** माननीय मंत्री द्वारा उठाये गये सुरक्षा के प्रश्न को देखते हुए क्या उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किये हैं जहां बैंकों की असुरक्षा के कारण स्थानीय निकायों के धन की हानि हुई है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** मेरा विचार है कि प्रारम्भ में कुछ ऐसे मामले थे। किन्तु अब तथा भविष्य में बहुत से अनुसूचित बैंक स्थानीय निकायों का रुपया जमा करने के लिये सुरक्षित समझे जायेंगे। यही कारण है कि सभी बातें विचाराधीन हैं और हो सकता है कि बहुत शीघ्र ही हम नये अनुदेश जारी करेंगे। ये अनुदेश बहुत दिन हुए तब १९५२ में जारी किये गये थे। शीघ्र ही हम नये अनुदेश जारी कर सकते हैं ।

चम्बल नदी सीमान्त

†***१९१७. श्री कासलीवाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार और मध्य भारत सरकार में गांधी सागर बांध पर चम्बल नदी सीमान्त के सीमा सम्बन्धी नियंत्रण के बारे में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों का नियंत्रण केन्द्र को संसूचित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) क्या इस समझौते के अधीन राजस्थान मध्य भारत को ९-१/२ वर्ग मील भूमि का टुकड़ा देगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) तथा (ख). यह उल्लेख प्रकटत: राजस्थान से मध्यभारत तक गांधी सागर बांध के साथ-साथ वाले लगभग १० वर्ग मील के क्षेत्र के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव से है। भारत सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है कि इस बारे में सम्बन्धित राज्यों में कोई समझौता हुआ है ।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

†**श्री कासलीवाल :** राजस्थान और मध्य भारत सरकारों के बीच बातचीत होने से पूर्व क्या गृह-कार्य मंत्रालय को इस प्रस्ताव की सूचना दी गई थी ?

†**श्री दातार :** जब यह प्रश्न उठा था तो हमने दोनों सरकारों को सूचना दे दी थी कि वे बातचीत जारी रखें और उसके पश्चात् हमको सूचना दे दें। हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

अजायबघर (संग्रहालय)

***१९१८. श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री ४ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अजायबघरों के पुनर्गठन और विकास करने तथा एक निश्चित योजना चालू करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** एक अजायबघर सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति बना दी गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट की प्राप्ति पर अजायबघरों के पुनर्गठन तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पर विचार किया जायगा ।

†**श्री भक्त दर्शन :** यह जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है इसको क्या केवल जो आजकल हमारे देश में बड़े-बड़े अजायबघर हैं उन्हीं के बारे में रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है या इससे यह भी कहा गया

†मूल अंग्रेजी में

है कि सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल बेसिस पर भी जो संग्रहालय स्थापित किये जायेंगे उनके बारे में भी यह अपनी राय दे ?

†**डा० एम० एम० दास :** इस समिति ने देश भर में यात्रा की है और देश के प्रायः सब मुख्य संग्रहालयों को देखा है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि हमारे देश में बड़े-बड़े अजायबघरों के सिवाय बहुत से छोटे-छोटे स्थानों में भी बहुत मूल्यवान सामग्री बिखरी हुई पड़ी है जैसे कि गढ़वाल जिले में चित्रकार कवि मोला राम के चित्र जो कि बोस्टन तक पहुंचे हैं बिखरे पड़े हुए हैं ? क्या इस तरह की चीजों का संग्रह करके ऐसे स्थानों में भी संग्रहालय स्थापित करने के बारे में सिफारिशें करने को इस समिति को कहा गया है या गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है ?

†**डा० एम० एम० दास :** जब तक इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता इन सब व्यौरों का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** क्या यह जांच केवल सरकारी (सार्वजनिक) संग्रहालयों तक ही सीमित है या इसका शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के संग्रहालयों से भी सम्बन्ध है ?

†**डा० एम० एम० दास :** उन्होने प्रायः सभी संग्रहालय देखे हैं । मैं माननीय सदस्य का अभिप्राय विश्वविद्यायों के संग्रहालयों से है, तो मुझे सूचना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी

†***१९१९. श्री गिडवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है, जिन सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी के विरुद्ध समाचार पत्रों में आरोप लगाये गये हैं उन सम्बन्धित कर्मचारियों से प्रार्थना की जानी चाहिये कि वे विधि-न्यायालय में जाकर अपना लांछन दूर करें;

(ख) क्या सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां तो आदेश कब दिये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख). जी, हां । सिद्धान्त रूप में सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने वाले हैं ।

†**श्री गिडवानी :** क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी और निष्पक्षता का उच्च स्तर बनाये रखना चाहिये और एक पदाधिकारी को जिसकी ईमानदारी की ख्याति अच्छी नहीं हैं ऐसे स्थान पर अधिकारी नहीं बनाना चाहिये जहां कि स्वविवेक से काम लेना पड़ता हो । इसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या उपबन्ध किये हैं अथवा करने का विचार है ?

†**श्री दातार :** मेरा उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय ६ भाग २ पैरा ८ में जो कुछ लिखा है वह सिद्धान्त रूप में सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है । माननीय सदस्य ने यह भी देखा होगा कि एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा प्रारम्भिक और गोपनीय जांच करने का उल्लेख किया गया है और यह भी सिफारिश की गई है कि एक पदाधिकारी जो अभियोग चलाना चाहता है उसे विधि व्यय भी दिया जाना चाहिये । प्रारम्भिक जांच सम्बन्धी प्रक्रिया एवं उन शर्तों की सरकार जांच कर रही है जिनके आधार पर ये व्यय दिये जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी :** क्या वर्तमान नियमों के अनुसार फौजदारी के मामले में ग्रस्त एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में तब तक अंतिम आदेश नहीं दिये जायेंगे जब तक कि न्यायालय द्वारा वह मामला अंतिम रूप से नहीं निपटा दिया जाता और जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की लम्बी अवधि के लिये उसे काफी मात्रा में निर्वाह भत्ता देना पड़ता है और यदि ऐसा है तो क्या ऐसे आदेशों में परिवर्तन कर दिया गया है ? वे संशोधित आदेश क्या हैं ?

†**श्री दातार :** इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय असैनिक कर्मचारी आचरण नियमों के नियम १६ की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता हूं । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या कोई परिवर्तन करना आवश्यक हैं । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि अभी हाल में दंड प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किया गया है जिसके अनुसार जब किसी कर्मचारी की बदनामी हो जाती है और सरकार यह समझती है कि उसके विरुद्ध अभियोग चलाना आवश्यक है तो सरकार के लिये उसके विरुद्ध अभियोग चला सकेगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या योजना आयोग अथवा गृहमंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में सरकार के विरुद्ध बेईमानी तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है, और यदि उनमें वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री दातार :** इस प्रकार के आरोपों की संख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** उनमें वृद्धि हुई है ।

†**श्री सी० डी० पांडे :** जैसा कि प्राय: सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अपमान के कुछ मामले सामने आये हैं, यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि वह अपमान दुर्भावनापूर्ण है तो क्या सरकार अपने खर्चे से उस सरकारी कर्मचारी का बचाव करेगी ?

†**श्री दातार :** जी, हां ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** दंड प्रक्रिया के संशोधन के पश्चात् यद्यपि मानहानि के सम्बन्ध की धारा में परिवर्तन कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत दुर्भावनापूर्ण सम्पादक के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है तब इस मामले में सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की है और योजना आयोग को हस्तक्षेप करने की आज्ञा क्यों नहीं दी है ? सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वयं कहे जिसकी मानहानि हुई हो या जो पीड़ित हो कि वह दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति अथवा सम्पादक के विरुद्ध शिकायत भेजे, सरकार ने ही यह कार्यवाही पहले ही क्यों नहीं की ?

†**श्री दातार :** क्या माननीय सदस्य यह ध्यान में रखेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग ने इन बातों के बारे में मालूम किया था ? इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हो गया । संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता १ जनवरी १९५६ से लागू हुआ है । इसलिये अभी यह नहीं बताया जा सकता कि क्या पहले कोई कार्यवाही की जा सकती थी ।

†**श्री कासलीवाल :** माननीय मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता के नये संशोधन का उल्लेख किया है । इस नयी संहिता के लागू होने के बाद से सम्पूर्ण देश में कितने सार्वजनिक कर्मचारियों ने अपना लांछन मिटाने के लिये इससे लाभ उठाया है ?

†**श्री दातार :** इस प्रक्रिया से सार्वजनिक कर्मचारियों के लाभ उठाने की बात नहीं है अपितु इससे तो सरकार के लाभ उठाने की बात है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** योजना आयोग की सिफारिश के अतिरिक्त जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन पर चर्चा हो रही थी तब गृहकार्य मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि सभी उपयुक्त मामलों

†मूल अंग्रेजी में

में सरकारी कर्मचारियों के नाम सरकार निदेश जारी करेगी कि वे अपने लांछन दूर कर लें। क्या सभा भवन में दिये गये इस प्रकार के आश्वासन के अन्तर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के नाम सरकार ने निदेश जारी किये हैं ?

†**श्री दातार :** इस प्रकार के कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं। ऐसे मामले बिल्कुल नहीं हुये हैं।

†**श्री कामत :** मंत्रियों के बारे में बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो आरोप समाचारपत्रों में लगाये गये हैं उनके बारे में क्या होगा ?

†**श्री दातार :** इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं।

†**श्री कामत :** नहीं, नहीं ! इस प्रश्न का नहीं।

†**श्री दातार :** मंत्री इस सभा के सदस्यों के समक्ष सदैव ही उत्तरदायी हैं और जब कभी भी इस प्रकार के आरोप लगाये जाते है, बशर्ते कि वे जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा लगाये गये हों, तो सदैव ही उन पर विचार किया जाता है। आशा है कि माननीय सदस्य इस आश्वासन से सन्तुष्ट होंगे।

सामाजिक तनाव संबन्धी गवेषणा

†*१९२०. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में किन-किन विश्वविद्यालयों ने सरकारी अनुदान के आधार पर सामाजिक तनाव सम्बन्धी विषय में गवेषणा कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) प्रत्येक को इस उद्देश्य के लिये कितना-कितना धन दिया गया है; और

(ग) क्या की गई गवेषणा के प्रतिवेदन लोक-सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) आगरा, अलीगढ़, आन्ध्र, अन्नामलाई, बम्बई, लखनऊ, पटना और विश्वभारती।

(ख) अन्नामलाई विश्वविद्यालय को २,००० रुपये तथा शेष विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को ५,००० रुपये।

(ग) जी नहीं।

†**श्री मादिया गौडा :** कैसी अथवा किस प्रकार के सामाजिक तनाव के बारे में इन विश्वविद्यालयों में गवेषणा की जाती है ?

†**डा० एम० एम० दास :** यह एक लम्बी सूची है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह एक लम्बी सूची है तो माननीय मंत्री इसकी एक प्रति पुस्तकालय में रख दें।

†**श्री मादिया गौडा :** क्या इन विश्वविद्यालयों को इन अनुदानों के अतिरिक्त और दूसरी भी सुविधायें मिलती हैं ?

†**डा० एम० एम० दास :** हमने विश्वविद्यालयों से उनकी योजनाएं भेजने के लिये कहा है और उनसे कहा है कि वे हम से वित्तीय सहायता मांगें। विश्वविद्यालयों ने उनके लिये आवेदन किया है। हमारी एक समिति है जिसने आवेदन पत्रों और योजनाओं की जांच की है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति के बारे में हमने जांच की हैं कि क्या गवेषणा कार्य चालू रखने के लिये उनके पास काफी साधन हैं और उसके बाद हम अनुदान स्वीकृत करते हैं। अब यह सारी बातें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थानान्तरित कर दी गई हैं जो इस कार्य को कर रहा हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बर्मन** : प्रश्न के भाग (ग) में पूछा गया है कि क्या की गई गवेषणाओं के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायेंगे और उसका उत्तर नहीं में है। जब विश्वविद्यालयों में इस सरकार के अनुदान द्वारा गवेषणा की जाती है तो क्या यह उचित नहीं है कि गवेषणा के परिणामों को जनता भी जान सके और देश के विभिन्न भागों में तनाव की स्थिति को जान सके।

†**डा० एम० एम० दास** : गवेषणा के परिणामों को जनता तक पहुंचाने के लिये और भी बहुत से साधन हैं। जब हम विश्वविद्यालयों तथा अन्य वैसी संस्थाओं को कई प्रकार की गवेषणा करने के लिये अनुदान दे रहे हैं तो उन सब के प्रतिवेदन रखने के लिये संसद् उपयुक्त स्थान नहीं है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : विश्वविद्यालयों में अध्ययन के अतिरिक्त क्या सरकार ने सामाजिक तनाव का अध्ययन करने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञों से सहायता ली है यदि हां तो कौन-कौन से गवेषणा के विषय उनको सौंपे गये हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : प्रारम्भ में हमने सहायता ली थी। जब शुरू में योजना बनी तो यूनेस्को के एक विशेषज्ञ की हमने सहायता मांगी तथा उन्होंने डा० मर्फी को भेजा और जिनके पथप्रदर्शन में विभिन्न दलों के नेताओं ने यह कार्य किया। यह खर्च युनेस्को ने किया।

रूसी तेल विशेषज्ञ

†*१९२१. **श्री एस० एस० मोरे** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तेल विशेषज्ञों ने, जो तेल निक्षेपों का सर्वेक्षण करने के लिये अभी भारत आये थे, बताया है कि बम्बई राज्य के कुछ भागों में तेल पाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां तो उन्होंने वे स्थान कौन-कौन से बताये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). रूसी विशेषज्ञों ने जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिया है उसके अनुसार कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप तथा कैम्बे क्षेत्र भारतवर्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां तेल और गैस पाई जा सकती है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या महाराष्ट्र के जिलों में से किसी भी जिले का सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी नहीं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या भारत सरकार को सूचना दी गई है कि नागर जिले में तेल के कुछ निक्षेप हैं, यदि हां तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह सब दी गई सूचना के साधन पर निर्भर करता है। यदि यह किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दी गई है और इससे किसी महत्वपूर्ण बात का पता चलता है तो इस पर ध्यान दिया जायगा।

†**श्री एस० एस० मोरे** : भारत सरकार को जो जानकारी दी गई है उस पर विश्वास किया जा सकता हैं अथवा नहीं, यह किस प्रकार जाना जायेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सम्पूर्ण देश को भूतत्वीय दृष्टि से इस प्रकार बांटा गया है कि कहां-कहां तेल की खोज की जायगी तथा कहां-कहां नहीं की जायगी। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां तेल पाये जाने की कोई संभावना नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त** : माननीय मंत्री ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। क्या यह सच नहीं है कि विशेषज्ञों ने अंतिम प्रतिवेदन भी दे दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां । कुछ दिन पूर्व ही ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या पश्चिमी बंगाल का विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण किया था और यदि हां तो वहां तेल मिलने की संभावना के बारे में प्रारम्भिक अथवा अंतिम प्रतिवेदन में कोई उल्लेख मिलता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : दुर्भाग्य से फिर वही गलतफहमी है । रूसी विशेषज्ञों ने तेल पाने की संभावना के बारे में किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया है । उन्होंने तो देश में उपलब्ध आंकड़ों और निर्देशों की जांच की थी और भारत सरकार को यह परामर्श दिया था कि तेल के लिये किस प्रकार वृहद गवेषणा कार्य किया जाय । किन्तु इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में तेल पाये जाने की संभावना है ।

लोहे की नालीदार चादरें

†*१९२२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पिछले कुछ महीनों से लोहे की नालीदार चादरें कन्ट्रोल की दुकान पर नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मनीपुर में सरकारी तथा जनता के उपयोग अथवा खर्च के लिये कितनी नालीदार लोहे की चादरों की आवश्यकता है;

(घ) नालीदार चादरों के लिये कितने प्रार्थनापत्र मनीपुर सरकार के सम क्ष निलम्बित हैं; और

(ङ) मानसून आरम्भ होने से पूर्व जनता तथा सरकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये सरकार क्या शीघ्रतर कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ङ). मांगी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : खड़े हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या यह सच नहीं है कि इम्फाल में लोहे की नालीदार चादरों का मूल्य चोर बाजार में १२० रुपये से १५० रुपये तक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इम्फाल में कन्ट्रोल से मिलने वाली चादरों के मूल्य की तुलना में यह चोर बाजार का मूल्य तथा कलकत्ता का बाज़ार मूल्य जहां से कि प्रायः इसका आयात किया जाता है, कैसा है ?

†**श्री दातार** : मैंने अभी बताया है कि मुझे इस सम्बन्ध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है । जब मुझे कोई जानकारी नहीं हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूं ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी । प्रायः केवल पत्र लिखने में भी दो दिन लग जाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ऐसा क्यों कहते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी । प्राय इस प्रकार की बात हुआ करती हैं ।

†**श्री दातार** : यथाशीघ्र हमें जानकारी मिल रही है । हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है । माननीय सदस्य ने बहुत से सुझाव रखे हैं अतः मामले की पूरी जांच होनी है और उसके बाद आपको उसकी सूचना दी जानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विक्टोरिया क्रास का शताब्दी समारोह

*१९२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड में होने वाले विक्टोरिया क्रास के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये उस पदक के भारतीय विजेताओं को निमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर से कौन-कौन से व्यक्ति भाग लेने जा रहे हैं; और

(ग) उनकी यात्राओं (दोनों ओर की) तथा उनके वहां ठहरने के सम्बन्ध में उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या २९**]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जो ११ व्यक्ति इंगलैंड भेजे जा र हैं, उन में से केवल एक ही भूतपूर्व सैनिक है । क्या इसका मतलब यह है कि जिन ४२ भारतीयों को विक्टोरिया क्रास मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था इन के अतिरिक्त बाकी सब स्वर्गधाम सिधार गये हैं या उनके न जाने का कोई और कारण है ?

सरदार मजीठिया : इस वक्त १७ आदमी जिन्दा हैं, जिनको विक्टोरिया क्रास मिला था । उन में से चार ऐसे हैं, जिन को १९१४-१८ में विक्टोरिया क्रास मिला था । वे इतने बूढ़े हैं कि वे जा नहीं सकते । दो आदमी ऐसे हैं, जो कि फिजिकली फ़िट नहीं हैं । बाकी ग्यारह रह गये और वे जा रहे हैं ।

भोपाल में बेतार का ट्रांसमीटर

†*१९२४. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि एक रेडियो ट्रांसमीटर जो पाकिस्तान को, भोपाल में अभी हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगो की सूचना देता था, पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या है; और

(ग) क्या कोई पाकिस्तानी जो वहां अस्थायी अनुज्ञा के आधार पर थे वहां के दंगे में भाग लेने के लिये बन्दी बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). भोपाल राज्य पुलिस ने एक स्थानीय रेडियो विक्रेता की दुकान से एक रेडियो ट्रांसमीटर पकड़ा है और मामले की जांच हो रही है ।

(ग) भोपाल में अभी हाल में हुए दंगों के सिलसिले में छः पाकिस्तानी बन्दी बनाये गये हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगे के दौरान में कुछ लोगों ने "पाकिस्तान ज़िन्दाबाद" के नारे लगाये और नंगी तलवारों का प्रदर्शन किया ।

†**श्री दातार** : यह सच है कि दंगों ने साम्प्रदायिकता का रूप ले लिया किन्तु किस प्रकार के नारे एवं हुल्लड़बाजी की, इसके बारे में मैं यहां नहीं बता सकता ।

†**श्री गिडवानी** : क्या उस रेडियो विक्रेता के विरुद्ध, जिसकी दुकान से वह ट्रांसमीटर पाया गया था, कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां तो वह कार्यवाही किस प्रकार की थी ?

†**श्री दातार** : उसको बन्दी बना लिया गया है और जांच पूरी हो जाने के बाद उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित सी० एन० मालवीय :** अब तक जो जांच हुई है उसके आधार पर क्या सरकार को उस ट्रांसमीटर की हालत एवं उसकी प्रसारण शक्ति का ज्ञान है ?

†**श्री दातार :** यह भी जांच का मामला है ।

†**श्री सी० डी० पांडे :** माननीय मंत्री ने कहा है कि यह केवल साम्प्रदायिक उपद्रव है जब कि कुछ व्यक्तियों ने "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाये । इसे केवल साम्प्रदायिक उपद्रव ही न माना जाये किन्तु इसे गम्भीर विषय माना जाये ।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य मेरी बात बिल्कुल नहीं समझे । मैंने कहा था कि यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगे हुये थे । किन्तु मैंने कहा था कि किस प्रकार के नारे लगाये गये थे यह मैं नहीं बता सकता।

†**श्री सी० डी० पांडे :** माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है वह मैंने सुना है । उन्होंने "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाये थे । फिर भी माननीय मंत्री कहते हैं कि.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने केवल यह कहा था कि वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते । चूंकि वे वहां उपस्थित नहीं थे अतः वे यह नहीं जानते कि ये नारे लगाये थे अथवा नहीं :

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार कोई जांच करेगी ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी व्याकरण

†***१८९८. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेसिक हिन्दी व्याकरण का संकलन पूरा किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) हिन्दी भाषा के बेसिक व्याकरण के अंग्रेजी रूपान्तर को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है ।

(ख) इसको प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†***१९०३. श्री वी० डी० त्रिपाठी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बद्ध कालिजों में सेवायुक्त अध्यापकों के लिये क्या नये वेतन क्रम निर्धारित किये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नये वेतन क्रमों को लागू करने में होने वाले व्यय के आधे भाग को वहन करने का प्रस्ताव किया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) अपेक्षित सूचना देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) जी नहीं ।

अमेरिका से सहायता

†***१९०९. श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्नीकल कर्मचारियों की सेवाओं के रूप में ३१ मार्च, १९५६ के अन्त तक अमरीका से जितनी सहायता प्राप्त हुई है, भारतीय मुद्राओं में उसका मूल्य कितना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे टेक्नीकल कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य पारिश्रमिक देने में भारत द्वारा ३१ मार्च, १९५६ तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) भारत-अमेरिका प्रविधिक सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जिन टेक्नीकल कर्मचारियों की सेवायें प्रदान की जाती हैं, उन पर अमेरिका सरकार द्वारा किये गये व्यय का कोई भी विवरण भारत सरकार को प्राप्त नहीं होता है। इसलिये भारतीय मुद्राओं में उनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) भारत में नियत किये गये अमेरिकी विशेषज्ञों के वेतन और अन्य पारिश्रमिक भारत सरकार को नहीं देने पड़ते हैं । इसका व्यय-भार अमरीका सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

नागाओं में विदेशी अभिरुचि

†*१९१२. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका "ध्यान नेशनल ज्यौगरैफिक मैगजीन" (फरवरी, १९५५) में सिडनी डी० रिप्ले की प्रचुर-मात्रा में चित्रयुक्त लेख "रोमिंग इंडियाज नागा हिल्स" की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) नागा क्षेत्र में विदेशी-हितों को कार्य करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** (क) जी हां ।

(ख) सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं । परन्तु उनका ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

टंगस्टन

†*१९१४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टंगस्टन केवल राजस्थान में ही पाया जाता है;

(ख) उसके खनन को विकसित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) १९५५ में कुल कितने परिमाण का निर्यात किया गया था ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी नहीं । कच्चा टंगस्टन राजस्थान के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश और मद्रास में भी पाया जाता है ।

(ख) पिछले युद्ध-काल में डीगना खान राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जाती थी । खनन-कार्य १९५४ से बन्द कर दिया गया है ।

(ग) बिल्कुल नहीं ।

सशस्त्र सेना कर्मचारियों को रियायतें

†*१९१५. **श्री नम्बियार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिकों और/अथवा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा आश्रितों को दी गयी शिक्षा सम्बन्धी रियायतें, छात्रवृत्तियां आदि सरकार ने वापस ले ली हैं या शीघ्र ही वापस लेने वाली है;

(ख) यदि हां, तो कब से और किन कारणों से;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) इन रियायतों के वापस लिये जाने का राज्यवार कुल कितने छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इन में कितनी रियायतें शामिल हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ). यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

छावनी यातायात विनियम

†**१७११. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों में यातायात विनियमों को तोड़ने के अपराध में १ सितम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक सशस्त्र सेना के कुल कितने कर्मचारियों का चालान किया गया है; और

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेप्सू में कल्याण-विस्तार परियोजनायें

†**१७१२. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य में चलाई गयी "कल्याण विस्तार परियोजना" के लिये दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक पेप्सू सरकार द्वारा कुल कितना अंशदान दिया गया है; और

(ख) इसी अवधि में जनता से कल्याण विस्तार परियोजना के लिये कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) १,२९,५९० रुपये ।

(ख) १६,८३६-१-३ रुपये ।

पेप्सू में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†**१७१३. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में पेप्सू में कुल कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूलों की स्थापना की जाने को है; और

(ख) इसी अवधि में पेप्सू राज्य में कुल कितने माध्यमिक स्कूलों को दस्तकारी-स्कलों में परिवर्त्तित कर दिया जायेगा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) १३ ।

(ख) द्वितीय योजना म कला और दस्तकारी को लागू करने के लिये १८ माध्यमिक स्कलों को चुना जायेगा ।

जेट युद्ध-विमानों का निर्माण

†**१७१४. श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जेट-युद्ध विमानों का निर्माण करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) यदि प्रश्न का सम्बन्ध 'ग्नैट' विमानों के निर्माण से है, तो अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मंत्रियों को भत्ते

†**१७१५. श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के भत्तों सम्बन्धी नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). आशा है कि शीघ्र ही इन नियमों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा और उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष आवास-योजना

†**१७१६. श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । इस योजना की ब्योरे की बातों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

१७१७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिनों पहले हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुये हिमाचल प्रदेश के एक प्रशिक्षार्थी का अकस्मात् देहान्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई और उसकी जान बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). हिमाचल पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग से, जो एक प्राइवेट पंजी-वद्ध संस्था है, पता चला है कि नवम्बर १९५५ के अन्तर्गत एक व्यवहारिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम में जो दार्जिलिंग नगर से बहुत दूर किया गया था हिमाचल प्रदेश का एक प्रशिक्षार्थी आधार शिविर में जो १४,००० फुट की ऊंचाई पर था यकायक बीमार पड़ गया । बीमारी का प्रधान कारण ऊंचाई समझी गई और इसलिये वह निचले शिविर में भेज दिया गया । निचले शिविर में पहुंचने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि वह अच्छा हो रहा है, किन्तु यकायक उसकी दशा बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया । अब वह और नीचे लाया गया और उसकी चिकित्सा की गई किन्तु अभाग्यवश दिनांक २ दिसम्बर, १९५५ को प्रातःकाल के समय गेंजिंग नामक स्थान पर उसका देहान्त हो गया ।

(ग) ऐसा पता चला है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिये संस्था प्रत्येक सम्भव सावधानी बरत रही है, लेकिन पर्वतारोहण पाठ्य-क्रमों या अभियानों से इस प्रकार की दुर्घटनायें सर्वथा नहीं निकाली जा सकतीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूसी खनन विशेषज्ञ

†१७१८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी खनन विशेषज्ञों का एक दल जांच करने और उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये जावर खानों को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इन खानों का विकास करने और वहां उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या उनका प्रतिवेदन संसद् सदस्यों को उपलब्ध किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी हां, तीन रूसी विशेषज्ञों और एक दुभाषिये के एक दल ने १९-१-५६ से २३-१-५६ तक जावर खानों का दौरा किया था ।

(ख) रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों का सम्बन्ध धातु-प्रस्तर के परिमाण और उसमें धातु के औसत अनुपात, धातु-प्रस्तर के वर्त्तमान उत्पादन में वृद्धि करने और जस्ता (जिंक) स्मेल्टर की स्थापना करने से है ।

(ग) और (घ). प्रतिवेदन की एक प्रति, उसमें की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किये जा चुकने पर, यथा समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय अल्प बचत आन्दोलन

†१७१९. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्प बचत आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये भाग्यशाली क्रेताओं को लाभांश-पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव किसी समय प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). सरकारी बन्ध पत्रों में कुछ अंश तक लाटरी की प्रथा को लागू करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा एक से अधिक अवसरों पर विचार किया गया है परन्तु वित्तीय और नैतिक आधार पर उसका समर्थन करना संभव नहीं हुआ है ।

शिक्षा-मंत्रालय में पदाधिकारी

†१७२०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय के कुल कितने पदाधिकारियों ने १ अप्रैल, १९५५ से ३० अप्रैल, १९५६ तक की अवधि में अपने पदों से पदत्याग किया है; और

(ख) इनके कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) १४ ।

(ख) व्यक्तिगत कारणों से, केवल एक अधिकारी अपनी नौकरी की शर्त्तों से संतुष्ट नहीं था ।

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत रूस से पुस्तकों का आदान-प्रदान

†१७२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस का राजकीय लेनिन पुस्तकालय द्वारा भारत की उच्चतर शिक्षा संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थाओं से पुस्तकों का आदान-प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों और संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एस० दास)**: (क) और (ख). इस समय कोई इस प्रकार का कोर्ट नियमित आदान-प्रदान नहीं किया जा रहा है। सोवियत रूस के वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने मास्को स्थित भारतीय दूतावास के जरिये से भारत सरकार से राजकीय लेनिन पुस्तकालय के उपयोग के लिये भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण के १९४१ के बाद वार्षिक प्रतिवेदनों के लिये अनुरोध किया था। क्योंकि यह प्रतिवेदन प्रतिबन्धित प्रकाशन नहीं हैं और इनमें केवल वैज्ञानिक और प्रविधिक सूचनायें ही रहती हैं, इसलिये इनको आदान-प्रदान के आधार पर भेज दिया गया है। राजकीय लेनिन पुस्तकालय से इसी प्रकार के प्रकाशनों की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके पश्चात् हमको सोवियत रूस के राजकीय लेनिन पुस्तकालय से सोवियत रूस और भारत सरकार के बीच राजकीय प्रकाशनों के आदान-प्रदान की एक प्रस्थापना भी प्राप्त हुई है। इस प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१७२२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के काचिरा नामक ग्राम में श्री नगेन्द्रनाथ पाल के मकान के एक हिस्से के एका-एकी गिर जाने से जो गड्ढा बन गया है उसमें से दिसम्बर १९५५ से गहरा धआं निकल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण दल उक्त स्थान की जांच के लिये गया था; और

(ग) जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) से (ग). काचिरा ग्राम में धुएं के सम्बन्ध में १९ दिसम्बर, १९५५ को "अमृत बाजार पत्रिका" में जो समाचार प्रकाशित हुआ था, उसके सिलसिले में उक्त क्षेत्र की जांच के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुगली जिले के जिलाधीश और समाहर्ता से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार गड्ढे का व्यास लगभग डेढ़ फुट और गहराई नौ फुट थी और दिसम्बर, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में उसमें से जो धुआं निकला था वह अधिक गहरा नहीं था। सुबह के समय केवल कुछ धूमिल वातावरण सा बन गया था। अब उस गड्ढे को भर दिया गया है और अब धुआं नहीं निकल रहा है। हुगली जिले के जिलाधीश का ख्याल है कि चूंकि वातावरण बहुत ठंडा था और गड्ढे के भीतर भूमि की प्राकृतिक गर्मी थी इस कारण गड्ढे में से भाफ निकल रही थी ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग की राय के अनुसार इस घटना की अग्रेतर जांच आवश्यक नहीं है ।

पश्चिम बंगाल को अनुदान

†१७२३. **श्री बी० के० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण और अनुदान के रूप म कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह धन राशियां कौनसी हैं जिन्हें कि योजनाओं के अभाव में व्यय नहीं किया जा सका है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन्जीनियरिंग और प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था

†**१७२४. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांधों और पुश्तों के निर्माण कार्य को संभालने की योग्यता रखने वाले अर्ह प्रविधि-विज्ञों की कमी को पूरा करने के लिये देश के मेधावी युवकों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देनें के लिये कोई इन्जीनियरिंग और प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था खोली गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान में खोली गई है और उस ने अब तक क्या प्रगति की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३१**]

तम्बाकू

†**१७२५. श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू के मोहिन्दरगढ़ जिले में १९५१ से १९५६ तक प्रत्येक वर्ष में जितनी भूमि में तमाखू की खेती की गई थी उसका क्षेत्रफल कितना था; और

(ख) १९५१ से १९५६ तक प्रत्येक वर्ष में तमाखू पर चुंगी शुल्क के रूप में कितना धन वसूल किया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) और (ख). पेप्सू के मोहिन्दर-गढ़ जिले में १९५१-५२ से १९५५-५६ तक प्रत्येक वर्ष में जितनी भूमि में तमाखू की खेती की गई उसका क्षेत्रफल और उस अवधि में तमाखू पर लगाये गये केन्द्रीय चुंगी-शुल्क के रूप में वसूल किया गया राजस्व इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षेत्र (एकड़ों में)	शुल्क राशि
		रुपये
१९५१-५२	३२७	३६,१५०
१९५२-५३	२९१	३४,४९१
१९५३-५४	४९४	९१,०४०
१९५४-५५	२६५	१,०९,९५०
१९५५-५६	अभी पूरा नहीं हुआ है	१,१९,९७९ (२९ फरवरी, १९५६ तक)

सीमा-शुल्क विभाग

†**१७२६. श्री फ्रैंक एन्थनी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क विभाग में १९५४ और १९५५ में आंग्ल-भारतीयों के लिये कितने पद रक्षित किये गये थे; और

(ख) उक्त अवधि में उनके द्वारा कितने पदों की पूर्ति की गई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख).

	१९५४ में	१९५५ में
रक्षित किये गये पदों की संख्या	३	११
नियुक्तियां किये गये पदों की संख्या	३	७

आदिम जातियों आदि के लिये छात्रवृत्तियां

†**१७२७. मुल्ला अबदुल्लाभाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के तीन वर्गों में से प्रत्येक अर्थात् आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को १९५५-५६ में दी गई छात्रवृत्तियों की कुल राशि कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** :

	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	राशि
(१) आदिम जातियां	१,०८६	रुपये ४,३२,१३६–११–०
(२) अनुसूचित जातियां	८२	रुपये ३६,६०४– ०–०
(३) अन्य पिछड़े वर्ग	९७६	रुपये ६,११,६१४–१२–०
योग	२,१४४	रुपये १०,८०,३५५–७–०

उच्च माध्यमिक और उपाधि (डिग्री) शिक्षा

†**१७२८. श्री वी० डी० त्रिपाठी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्च माध्यमिक और उपाधि शिक्षा सम्बन्धी अपनी नई योजना की क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) जिन राज्यों ने इस नई योजना को प्रारम्भ करने का निश्चय किया है उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) विभिन्न कार्यवाहियां इस प्रकार हैं :

(१) योजना की सिफारिश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित अधिकारियों से की गई है ।

(२) उच्च माध्यमिक अवस्था (१४-१७) के पाठ्यक्रमों के प्रारूपों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस अवस्था में उन्हें चालू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को परिचालित कर दिया गया है ।

(३) केन्द्र को दूसरी बातों के साथ-साथ नई योजना के चालू किये जाने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थापित की गई है ।

(४) योजना को आरम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के अनुरोधों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विचार किया जायेगा ।

(ख) राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में उपलब्ध की जायेगी ।

राष्ट्रीय गवेषणा अधिछात्रवृत्तियां

†**१७२९. डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किन विषयों के लिये राष्ट्रीय गवेषणा अधिछात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)**:) : अब तक दी गई सात राष्ट्रीय गवेषणा अधिछात्र-वृत्तियों में से चार रसायनशास्त्र के लिये, दो भौतिकशास्त्र के लिये और एक गणित के लिये है ।

मुद्रण के प्रादेशिक स्कूल

†१७३०. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रण के विभिन्न प्रादेशिक स्कूलों में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की संख्या राज्यवार कितनी है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) इस समय मद्रास स्थित मुद्रण प्रौद्योगिकी प्रादेशिक स्कूल ही कार्य कर रहा है । उक्त स्कूल में ७२ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनका राज्यवार विभाजन इस प्रकार है :—

मद्रास	६७
मैसूर	२
आन्ध्र	२
त्रावनकोर-कोचीन	१
योग	७२

(ख) एक ।

लाभों का प्रेषण

†१७३१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित उद्योग के उस वार्षिक लाभ का जो कि अ-भारतीय राष्ट्रजनों को प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत भाग भारत के बाहर भेजा जाता है;

(ख) उक्त लाभ की प्रतिशतता उन देशों से प्राप्त हुये लाभ की तत्स्थानी प्रतिशतता की तुलना में कैसी है; और

(ग) किसी विशिष्ट वर्ष के अथवा लगातार वर्षों के क्या आंकड़े हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) से (ग). भारत के संगठित उद्योग के लाभों की जानकारी उपलब्ध नहीं है । पिछले पांच वर्षों में निजी पूंजी के विनियोग के कारण जो राशियां प्राप्त हुई तथा जिनका भुगतान किया गया उनके दो विवरण संलग्न हैं । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३२**] यह आवश्यक नहीं है कि जो लाभ वास्तव में भेजे गये हैं वह उसी वर्ष की आय में से भेजे गये हों और संभव है कि उसमें संचित लाभ भी सम्मिलित हों ।

साहित्य अकादमी

१७३२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी के लिये स्थायी नियम और उपनियम बनाने के लिये एक समिति बनाई गयी थी;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब बनाई गयी थी;

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस ने अकादमी के नवीन संगठन के बारे में कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास): (क) हां, जी ।

(ख) मार्च, १९५४

(ग) यह समिति अकादमी के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बनी है :

१. श्री जवाहरलाल नेहरू
२. डा० एस० राधाकृष्णन
३. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
४. सरदार के० एम० पाणिकर
५. श्री नमक्कल वी० रामालिंगम पिल्लई
६. महामहोपाध्याय पी० वी० काणे
७. डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी
८. श्री पी० लक्ष्मीकान्थम
९. श्री उमाशंकर जोशी
१०. श्री जैनेन्द्र कुमार
११. श्री अनादा शंकर रे
१२. प्रो० आर० डी० एस० दिनकर
१३. डा० डी० एम० सेन
१४. श्री वैंकटारमय्या
१५. डा० बाबूराम सक्सेना
१६. श्री नीलामणी फूकन

(घ) और (ङ). समिति की रिपोर्ट साहित्य अकादमी को प्राप्त हो गई थी । अकादमी के अस्थायी नियमों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें साहित्य अकादमी की १९५४-५५ की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट चार में सम्मिलित हैं, जिसकी प्रतिलिपि लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध है । इस समिति ने साहित्य अकादमी के पुनर्गठन के लिये कोई सिफारिश नहीं की ।

ढलाई स्कूल, खड़गपुर

†**१७३३. श्री केशव अय्यंगार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर के ढलाई स्कूल में इस वर्ष के प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये मैसूर राज्य से आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है;

(ख) चुने गये छात्रों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या आवेदकों में कोई महिला छात्रायें भी हैं और क्या इस स्कूल में कोई महिला छात्रायें भी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास):** (क) और (ख). वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में चलाये गये तीन मास के चार पाठ्यक्रमों के लिये मैसूर राज्य से आठ आवेदक थे और उनमें से तीन चुने गये थे । चौथा पाठ्यक्रम अब भी जारी है ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय में ठेके

१७३४. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से निर्माण-कार्यों के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय में कितने भिन्न-भिन्न प्रकार क ठेके प्रचलित हैं ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

(क) समस्त कार्य सम्बन्धी ठेके ।

(ख) नाप-जोख सम्बन्धी ठेके ।

(१) छोटे निर्माण तथा मरम्मत सम्बन्धी शर्त वाले ठेके ।

(२) प्रतिशत दर वाले ठेके ।

(३) मद की दर वाले ठेके ।

(४) वस्तुओं या फर्नीचर की रसद देने सम्बन्धी दरों के ठेके ।

(५) इंजीनियर भण्डार से सम्बन्धित टेण्डर तथा ठेके ।

विदेशी धर्मप्रचारक

†१७३५. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** १ जनवरी १९५५ तक पंजीबद्ध विदेशी धर्म-प्रचारकों की संख्या देनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३३]**

अंदमान द्वीपसमूह में बसने वाले भारतीय

†१७३६. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान और निकोबार द्वीपों के विकास और औपनिवेशीकरण के लिये भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन द्वीपों में बसने के लिये दक्षिण भारत के राज्यों से चुने गये कृषक परिवारों की संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) इस योजना का अनुमानित व्यय कितना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य से ७० कृषक परिवार ।

(ख) (१) धान की खेती के लिये कृषि योग्य बनाई गई पांच एकड़ भूमि और घरेलू और उद्यान सम्बन्धी कार्यों के लिये लगभग इतनी ही बिना साफ की हुई पहाड़ी भूमि ।

(२) मकान बनान, हल मवेशी, बर्तन और बीज और खाद खरीदने के लिये १,७३०• रुपये का वापस लिया जाने वाला (व्याज मुक्त) ऋण ।

(३) प्रथम वर्ष में ८ मास के लिये और द्वितीय वर्ष में ४ मास के लिये ७० रुपये प्रति मास की दर से निर्वाह-भत्ता के लिये १,०५० रुपये का अनुगृहीत अनुदान और यात्रा भत्ता ।

(ग) १९५·२७ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में स्कूल-भवन के निर्माण के लिये अनुदान

†१७३७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में किसी गैर-सरकारी हाई स्कूल को भवन निर्माण के लिये नकद अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) हां ।

(ख) १२,४०० रुपये ।

त्रिपुरा के छात्रों को सहायता

†१७३८. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विदेशों में अध्ययन करने के लिये त्रिपुरा के कितने छात्रों को सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उनके अध्ययन के विषय क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा का इतिहास

†१७३९. **श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टर एच० के० मेहताब की अध्यक्षता में उड़ीसा का इतिहास लिखने के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जाली वारंट

†१७४०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९५५ में अगरतला में कुछ पुलिस पदाधिकारियों ने कुछ व्यापारियों की तलाशी के लिये जाली वारंट जारी किये थे; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी ठहराये गये व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अर्थुना में पाई गई वस्तुयें

†१७४१. **श्री भीखा भाई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में अर्थुना स्थान पर पाई गई वस्तुयें पूर्व मौर्य युग की हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कोई खुदाई का काम आरम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) जांच की जा रही है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना की दुग्धशालायें

†**१७४२. डा० रामा राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३१ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १००४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना की दुग्धशालाओं के बछड़ों को व्यक्तिगत कृषकों में निशुल्क बांटने का तरीका और साधन क्या है; और

(ख) बांटे गये कुल ४,००० बछड़ों में से आंध्र और मद्रास के कृषकों को निशुल्क कितने बछड़े दिये गये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) फालतू बछड़े प्राप्त करने में अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों को पहले से ही सम्बन्धित दुग्धशाला के प्रभारी पदाधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से अपनी मांग भेजनी होती है और दुग्धशाला में जा कर ही उन्हें लेना होता है ।

(ख) कोई नहीं क्योंकि आंध्र और मद्रास में कोई ऐसा मिलिटरी फार्म नहीं है जहां ढोर रखे गये हों ।

एशिया और अफ्रीका के विद्यार्थी

†**१७४३. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एशिया और अफ्रीका के कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) यह विद्यार्थी किन-किन देशों के हैं;

(ग) इन विद्यार्थियों ने कौन से शिक्षा पाठ्यक्रम लिये हैं; और

(घ) उन्हें यहां ठहरने पर जिन नियमों तथा विनियमों का पालन करना पड़ता है तो वे क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३४]**

प्रादेशिक सेना

†**१७४४. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र और मैसूर राज्यों के कितने सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : आंध्र के १८ सरकारी कर्मचारी और मैसूर राज्य के १८ सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए हैं ।

पुलिस की मोटर गाड़ियां

†**१७४५. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के घोषित पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सरकारी मोटर गाड़ियों में पैट्रोल की खपत के लेखे का परीक्षण करते समय केन्द्रीय राजस्व महा लेखा-

†मूल अंग्रेजी में

पाल ने १९४८ से १९५२ दिल्ली पुलिस के कतिपय उच्चाधिकारियों के नाम सरकार को देय बड़ी-बड़ी राशियां निकाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पदाधिकारियों के नाम और उनसे कुल कितनी राशि प्राप्त की जानी है;

(ग) क्या इन पदाधिकारियों से पैट्रोल की खपत की देय राशि प्राप्त कर ली गई है ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल ने जनवरी १९५३ के पश्चात् पैट्रोल की खपत के सम्बन्ध में ऐसी कोई और जांच की है; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल को ऐसी जांच करने के लिये कब कहा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कुछ अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वविवेक निधि

१७४६. श्री भक्त दर्शन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्यक वर्ष शिक्षा मंत्री की 'स्वविवेक निधि' में से कुल कितनी रकम के अनुदान स्वीकार किये गये;

(ख) १९५५-५६ में किन-किन कामों के लिये अनुदान दिये गये; और

(ग) १९५६ ५७ के लिये इस निधि के वास्ते कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क)

१९५१-५२	रु० १,७०,७२६-०-०
१९५२-५३	रु० १,३४,६६८-०-०
१९५३-५४	रु० २,३८,५५३-८-०
१९५४-५५	रु० २,४९,५७५-४-०
१९५५-५६	रु० २,४५,३४९-३-०

(ख) इसका उद्देश्य ऐसी संस्थाओं, संघों और व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है, जो कि शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उपयोगी प्रयोगों का कार्य कर रहे हैं, परन्तु स्थायी सहायता पाने योग्य नहीं हैं ।

(ग) रु० २,५०,००० ।

अंधे बच्चे

†**१७४७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अंधे बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी और कल्याणकारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

बहरे बच्चे

†१७४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बहरे बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी और कल्याणकारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३७**]

प्राकृतिक संसाधनों का विकास

१७४९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अगले वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक विकास और उपयोग के लिये छानबीन करने और नीति निर्धारित करने के निमित्त एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के कब तक गठित किये जाने की संभावना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

भारत का रक्षित बैंक

१७५०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक में ऐसे कुल कितने पदाधिकारी हैं, जिनको वेतन और भत्ते मिला कर कुल ३,००० रुपये मासिक या उससे अधिक मिलता है; और

(ख) क्या ऐसे पदाधिकारियों के नाम, पद, वेतन और भत्ते तथा उनको मिलने वाली अन्य सुविधाओं को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह):(क) और (ख). सभा की मेज़ पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३८**]

शारीरिक शिक्षा

†१७५१. **श्री सी० भट्ट** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के युवकों की शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शारीरिक शिक्षा के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है; और

(ग) कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). इस मामले पर अभी योजना आयोग से बातचीत चल रही है ।

पन्ने की खान

†१७५२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम जहां पन्ना निकाला जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक खान का वार्षिक उत्पादन और उसका मूल्य; और

(ग) स्थानीय खपत कितनी है, बाहर कितना निर्यात किया जाता है और कहां को निर्यात किया जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) अजमेर, मेरवाड़ा और उदयपुर ।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

सीसा की खानें

†**१७५३. श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सीसे की कितनी खानों में काम हो रहा है;

(ख) वे कहां स्थित हैं और प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(ग) इन खानों में से निकाला गया सीसा कब गला कर शुद्ध किया जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) एक ।

(ख) उदयपुर (राजस्थान) के निकट जावर में, गत चार वर्षों का उत्पादन इस प्रकार था :

१९५२	१,१३२ टन
१९५३	१,६९४ टन
१९५४	१,७९० टन
१९५५	२,२३४ टन

(ग) कच्ची धातु जमा करने के पश्चात् उसे टूंडू, कटरसगढ़ बिहार, में गला कर शुद्ध किया जाता है ।

संगीत नाटक अकादमी

†**१७५४. डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम जिन्हें १९५५-५६ में संगीत नाटक अकादमी से सहायक अनुदान प्राप्त हुए; और

(ख) इस प्रकार दी गई राशि ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें उन संस्थाओं के नाम और १९५५-५६ में उन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिये गये अनुदानों की राशियां दिखाई गई हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४०]**

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुरक्षा कार्यवाहियां

†**१७५५. श्री वी० पी० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन की गई सुरक्षा कार्यवाहियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ अप्रैल, १९५६ को ऐसे कितने मामलों की जांच की जानी बाकी थी; और

(ग) क्या यह सच है कि कार्मिक संघों के कई सौ सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा कार्यवाहियों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रेफाइट

†**१७५६. श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने उक्त राज्य में ग्रेफाइट या अभ्रक की खोज के लिये एक प्रस्थापना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन सरकार की इच्छा थी कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा राज्य के ग्रेफाइट निक्षेपों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए एक विस्तृत नक्शा तैयार किया जाये । भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण द्वारा १९५४-५५ में त्रावनकोर-कोचीन के नेडूमंगड और मुवात्तुपुजहा का जहां ग्रेफाइट उपलब्ध होने के बारे में विदित था, परीक्षण किया गया था । आर्थिक सम्भावनाओं की जांच करने के लिये पृथ्वी में छेद करना आवश्यक होगा और यह काम यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा ।

दक्षिणी प्रादेशिक उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था

†**१५५७. श्री टी० बी० बिट्ठल राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी प्रादेशिक उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था की स्थापना के स्थान के बारे में अब कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, इसका अन्तिम निर्णय किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की दक्षिणी प्रादेशिक समिति अपनी ४ मई, १९५६ को होने वाली बैठक में इस मामले पर विचार करेगी । समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने पर सरकार कोई निश्चय करेगी ।

कमीशन-प्राप्त अधिकारी

†**१७५८. श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के अल्पकालीन नियमित कमीशन प्राप्त और अस्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति के सम्बन्ध में निवृत्ति-वेतन विषयक शर्तों तथा श्रेणी को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां । १० जनवरी, १९५५ को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४१]**

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला

†१७५९. **श्री गिडवानी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्वालियर में एक राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जी, नहीं; पूना में पहले से ही एक राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला मौजूद है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ३ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...		२०६०–८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८९९	छावनियों का पुनर्गठन ...	२०६०–६१
१९००	कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन ...	२०६१–६३
१९०१	केन्द्रीय खाद्य टेक्नालाजिकल गवेषणा संस्था	२०६३–६४
१९०२	अजायबघर सर्वेक्षण विशेषज्ञ समिति	२०६४
१९०४	हीरा जांच समिति...	२०६५–६६
१९०५	हीरा खनन उद्योग ...	२०६६–६७
१९०६	भारतीय प्रशासन सेवा आपात भर्ती ...	२०६७–६८
१९०७	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की शिक्षा	२०६८
१९०८	बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था	२०६९–७०
१९१०	लोहा अयस्क ...	२०७०
१९११	भारत का राज्य बैंक ...	२०७०–७२
१९१३	स्थानीय निकायों द्वारा रुपया जमा करना ...	२०७२–७३
१९१७	चम्बल नदी सीमान्त ...	२०७३
१९१८	अजायबघर संग्रहालय ...	२०७३–७४
१९१९	सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी	२०७४–७६
१९२०	सामाजिक तनाव सम्बन्धी गवेषणा	२०७६–७७
१९२१	रूसी तेल विशेषज्ञ ...	२०७७–७८
१९२२	लोहे की नालीदार चादरें ...	२०७८
१९२३	विक्टोरिया क्रास का शताब्दी समारोह ...	२०७९
१९२४	भोपाल में बेतार का ट्रांसमीटर...	२०७९–८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर ...		२०८०–९७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८९८	हिन्दी व्याकरण	२०८०
१९०३	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग...	२०८०
१९०९	अमेरिका से सहायता	२०८०–८१
१९१२	नागाओं में विदेशी अभिरुचि ...	२०८१
१९१४	टंगस्टन	२०८१
१९१५	सशस्त्र सेना कर्मचारियों को रियायतें	२०८१–८२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७११	छावनी यातायात विनियम ...	२०८२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७१२	पेप्सू में कल्याण-विस्तार परियोजनायें ...	२०८२
१७१३	पेप्सू में बहु-प्रयोजनीय स्कूल ...	२०८२
१७१४	जेट युद्ध विमानों का निर्माण ...	२०८२–८३
१७१५	मंत्रियों को भत्ते	२०८३
१७१६	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विशेष आवास योजना	२०८३
१७१७	हिमालय पर्वतारोहण संस्था	२०८३
१७१८	रूसी खनन विशेषज्ञ ...	२०८४
१७१९	राष्ट्रीय अल्प बचत आन्दोलन	२०८४
१७२०	शिक्षा मंत्रालय में पदाधिकारी ...	२०८४
१७२१	सोवियत रूस से पुस्तकों का आदान-प्रदान	२०८५
१७२२	भूतत्वीय सर्वेक्षण ...	२०८५
१७२३	पश्चिम बंगाल को अनुदान	२०८५–८६
१७२४	इंजीनियरिंग और प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था	२०८६
१७२५	तम्बाकू	२०८६
१७२६	सीमा-शुल्क विभाग	२०८६–८७
१७२७	आदिम जातियों आदि के लिये छात्रवृत्तियां ...	२०८७
१७२८	उच्च माध्यमिक और उपाधि (डिग्री) शिक्षा ...	२०८७
१७२९	राष्ट्रीय गवेषणा अधिछात्रवृत्तियां	२०८७–८८
१७३०	मुद्रण के प्रादेशिक स्कूल	२०८८
१७३१	लाभों का प्रेषण	२०८८
१७३२	साहित्य अकादमी	२०८८–८९
१७३३	ढलाई स्कूल खड़गपुर ...	२०८९
१७३४	प्रतिरक्षा मंत्रालय में ठेके	२०९०
१७३५	विदेशी धर्मप्रचारक	२०९०
१७३६	अन्दमान द्वीपसमूह में बसने वाले भारतीय	२०९०
१७३७	त्रिपुरा में स्कूल-भवन के निर्माण के लिये अनुदान	२०९१
१७३८	त्रिपुरा के छात्रों को सहायता ...	२०९१
१७३९	उड़ीसा का इतिहास ...	२०९१
१७४०	जाली वारंट ...	२०९१
१७४१	अर्थुना में पाई गई वस्तुयें	२०९१–९२
१७४२	सेना की दुग्धशालायें ...	२०९२
१७४३	एशिया और अफ्रीका के विद्यार्थी	२०९२
१७४४	प्रादेशिक सेना	२०९२
१७४५	पुलिस की मोटर गाड़ियां	२०९२–९३
१७४६	स्वविवेक निधि ...	२०९३
१७४७	अंधे बच्चे	२०९३
१७४८	बहरे बच्चे	२०९४
१७४९	प्राकृतिक संसाधनों का विकास ...	२०९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७५०	भारत का रक्षित बैंक	२०६४
१७५१	शारीरिक शिक्षा	२०६४
१७५२	पन्ने की खान	२०६४–६५
१७५३	सीसे की खानें	२०६५
१७५४	संगीत नाटक अकादमी	२०६५
१७५५	दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुरक्षा कार्यवाहियां ...	२०६५–६६
१७५६	ग्रेफाइट	२०६६
१७५७	दक्षिणी प्रादेशिक उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था ...	२०६६
१७५८	कमीशन-प्राप्त अधिकारी	२०६६
१७५९	राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा प्रयोगशाला ...	२०६७

M53LSD—190—24-7-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५७
३ मई, १९५६ (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha (XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३०२९
राज्य सभा से सन्देश ...	३०२९–३०
सभा का कार्य	३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक	३०३१–३२
त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी	३०३२–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
खण्ड ५, ६ और ४ ...	३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ...	३०८८

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, ३ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३१ **म० पू०**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के अतिरिक्त कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने से सम्बन्धित विवरण

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्री नन्दा की ओर से, मैं २३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८० के उत्तर में अपने द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम के अतिरिक्त कर्मचारियों के वैकल्पिक रोजगार देने से सम्बन्धित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४२**]

सम्पदा शुल्क नियमों में संशोधन

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में कुछ और संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या २३/एफ० संख्या २७/३/५५ ई० डी०, दिनांक १० अप्रैल, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० १४९/५६**]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान् राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा ने अपनी बुधवार, २ मई, १९५६ की बैठक में लोक-सभा के इस प्रस्ताव से सहमत होते हुए कि राज्य-सभा भारत

---

†मूल अंग्रेजी में।

M129LSD—1

[सचिव]

के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों को संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, संलग्न प्रस्ताव पारित कर दिया है। उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा द्वारा नाम निर्देशित किये गये सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं।"

प्रस्ताव

"कि यह सभा, लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य-सभा भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य संयुक्त समिति में काम करने के लिये नामजद किये जायें, अर्थात् श्री चन्दूलाल पी० पारिख, श्री विश्वनाथ दास, श्री के० माधव मेनन, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, डा० अनूप सिंह, श्री ए० सत्यनारायण राजू, श्री एम० डी० तुम्पल्लीवार, श्री के० एस० हेगडे, श्री तारकेश्वर पांडे, श्री टी० आर० देवगिरिकर, डा० पी० सुब्बारायण, श्री जे० वी० के० वल्लभराव, श्री वी० के० धागे, श्री किशन चन्द, श्री सुरेन्द्र महन्ती, काका साहेब कालेलकर और श्री गोविन्द वल्लभ पन्त।"

सभा का कार्य

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं आप का ध्यान इस अफवाह की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बजट अधिवेशन का समय बढ़ाया जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निश्चित घोषणा कर दी जाये। माननीय संसद्-कार्य मंत्री यहां उपस्थित भी हैं। आप उनसे कहें कि वह यह बतायें कि (१) यह सत्र कब तक के लिये बढ़ाया जायेगा; (२) शेष सत्र के लिये सरकार का विधायिन कार्यक्रम क्या है और (३) विधायिनी कार्यवाही का क्रम क्या होगा। अन्त में, मैं यह अनुरोध करूंगा कि उस बढ़ाये गये समय का कलेंडर हमें समयानुसार मिल जाय।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर विपरीत क्रम से दूंगा। मैं अन्तिम प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। जहां तक अन्तिम प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं कल निश्चय ही लोक-सभा के समक्ष विधायिनी कार्यवाही, पूरे सत्र की नहीं वरन् कम से कम एक पक्ष की, रखने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

सत्र काल के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में इसकी प्रत्येक सम्भावना है कि सत्र २६ मई से आगे बढ़ाया जायेगा।

परन्तु इस अवस्था में मेरे लिये निश्चित रूप से यह बताना बहुत कठिन होगा कि सत्र किस तिथि तक के लिये बढ़ाया जायगा। जैसा कि आप जानते हैं, दो महत्वपूर्ण विधेयक संयुक्त समितियों को निर्दिष्ट किये गये हैं, अर्थात् राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक। इन विधेयकों को प्रवर समिति से लौटकर आना होगा और तब उन्हें लोक-सभा के समक्ष रखना होगा। फिर, इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष समय निर्धारण के लिये रखना होगा। वहां भी बात समाप्त नहीं होगी। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का भी लोक-सभा द्वारा और श्री कामत द्वारा अनुमोदन किया जाना होगा। तभी हम इस स्थिति में होंगे कि निश्चित रूप से यह कह सकें कि सत्र कब तक चलेगा।

तीसरी बात के सम्बन्ध में निर्णय करना श्रीमान् आप का काम है। मैं इस महीने की १५ तारीख तक आपको यह बता दूंगा कि यह सत्र कब तक चलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** : परन्तु यदि हमें १५ तारीख को बताया जायगा तो एक कठिनाई होगी । हमें केवल २६ मई तक का कलेंडर दिया गया है। अस्तु यदि १२ मई तक हमें यह नहीं बताया जायगा, तो हम प्रश्नों की सूचना नहीं दे सकेंगे ।

†**श्री सी० डी० पांडे** (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली-उत्तर) : हम लगातार तीन महीनों से बैठते आ रहे हैं और अब अधिक समय तक बैठने के लिये कहना ज्यादती होगी । संयुक्त समितियों से भी उनके सम्बन्ध में जल्द बाजी करने के लिये कहना ज्यादती होगी। अब हमें स्थगित हो जाना चाहिये और इस कार्य के लिये जुलाई में फिर बैठ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत के प्रश्नों के सम्बन्ध में हम सबने संसद्-कार्य मंत्री की बातें सुनी। निस्संदेह वे दूसरे सुझाव पर विचार करेंगे। जैसा भी हो, हमें इस महीने की २६ तारीख तक बैठना ही होगा । अभी यह स्पष्ट है कि महीने के अन्त तक के लिये कार्य बना रहेगा। मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सत्र जून तक नहीं चलेगा। इस लिये मैं फिलहाल महीने के अन्त का समय सरकारी कार्य के लिये निश्चित करूंगा ताकि प्रश्नों के भेजने के सम्बन्ध में कठिनाई न हो । यदि हमारी बैठक २६ को ही स्थगित हो गई तो वे प्रश्न रद्द हो जायेंगे और नई सूचना दी जा सकेगी। मंत्री जी इस मामले पर विचार करके १५ तारीख को वक्तव्य देंगे ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : अन्यथा यदि हमें इस महीने के बाद तक बैठना पड़ा तो यह सत्र भार बन जायगा ।

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) मैं एक वैधानिक प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । यह विधेयक अनुच्छेद ११० के खण्ड १ के (क) से लेकर (च) तक के उपखण्डों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं उस अनुच्छेद के सम्बन्धित भाग को पढ़ता हूं :

> "इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अर्थात्—
>
> (क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन....."

यदि आप विधेयक के खण्ड २ व ३ को देखें तो पायेंगे कि उनमें समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण चाहा गया है ।

संविधान के अनुच्छेद ११७ में यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद ११० के खण्ड (१) के (क) से लेकर (च) तक के उपखण्डों में निर्दिष्ट किसी भी मामले का उपबन्ध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थापित किया जायगा ।

जैसा कि मैं संकेत कर चुका हूं यह विधेयक अनुच्छेद ११० के खण्ड १ के उपखण्ड (क) के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के सूचना पत्र, असाधारण, भाग २, उनुभाग २, दिनांक ३-५-५६ में प्रकाशित ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसमें करारोपण का उपबन्ध है ?

†**श्री कामत** : कर का आरोपण विनियमन, परिवर्तन सभी कुछ इसमें है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो किया गया है वह यह है कि उन्होंने सप्तम अनुसूची में एक प्रविष्टि जोड़ दी है । उस हद तक उन्होंने उसे संपरिवर्तित किया है । संसद् विधेयक को पुरःस्थापित करके धारा ११० के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है । संघ के लिये प्राधिकार आवश्यक है । जहां तक अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का सम्बन्ध है यह अनुसूची में एक संशोधन है । उसका यह अर्थ नहीं है कि करारोपण किया गया है, चाहे केन्द्र करे या राज्य । मैं माननीय सदस्य से इसको स्पष्ट करने के लिये कह रहा हूं । जब कोई आय-कर विधेयक अथवा वित्त विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति यह विचार करता है कि क्या वह धन विधेयक है और यदि वह धन विधेयक होता है तो वह अपनी सिफारिश करता है । इसमें किसी कर का आरोपण, उत्सादन अथवा परिहार नहीं है ।

†**श्री कामत** : और विनियमन ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह संविधान में एक संशोधन मात्र है ताकि हम अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के सम्बन्ध में और विधान ला सकें । इस लिये यह अनुच्छेद ११० या ११७ के अन्तर्गत नहीं आ सकता । यह तो समवर्ती सूची की कुछ मदों और संविधान के अनुच्छेद २६९ और २८६ के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन भर करता है । जब विधान आये तो श्री कामत अपने तर्क रख सकते हैं । आज तो यह संविधान में संशोधन मात्र है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संविधान में संशोधन है । जब अनुच्छेद ११० के अन्तर्गत कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है तो वह संविधान में संशोधन करने की प्रकृति का नहीं होता । यदि कोई विधेयक अनुच्छेद ११० के अन्तर्गत पुरःस्थापित किया जाता है तो वह धन विधेयक है और संविधान के अन्तर्गत है । जब कभी ऐसे अधिकार का प्रयोग सरकार द्वारा भी किया जाना होता है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाना चाहिये । उसके लिये यदि कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है तो उसमें भी राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिये ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह संविधान के अन्तर्गत नहीं है, वरन् संविधान में संपरिवर्तन करता है । यदि इस विधेयक के उपबन्ध अनुच्छेद ११० का उल्लंघन करते तब तो इस तर्क में कुछ बल होता कि राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है । परन्तु इस विधेयक में तो केवल बिक्री कर को राज्य सूची से निकाल कर केन्द्र को दिया जा रहा है ।

इसलिये मैं नहीं समझता कि यह अनुच्छेद ११० के अन्तर्गत आता है, और इस लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न यह है:

> "भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के एक भाग के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाय :

नया खण्ड ४

कि पृष्ठ १ पर, खण्ड ३ के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड रख दिया जाये—

"Repeal of Ordinance 4 of 1956

4—The Travancore-Cochin Appropriation (Vote on Accounts) Ordinance, 1956, is hereby repealed."

["१९५६ के अध्यादेश ४ का निरसन

४—त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६ इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस मामले को समझायें कि वास्तव में क्या चीज है ।

†**श्री एम० सी० शाह** : जैसा कि लोक-सभा को ज्ञात है त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक लोक-सभा द्वारा २९ मार्च, १९५६ को पास किया गया था । उस समय राज्य सभा की बैठक नहीं हो रही थी और त्रावणकोर-कोचीन की संचित निधि में से १-४-५६ से खर्चा किया जाना था । इसलिये राष्ट्रपति ने वित्तीय वर्ष के एक भाग की सेवा के लिये त्रावणकोर-कोचीन की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का प्राधिकार देने के लिये एक अध्यादेश जारी किया था । वह अध्यादेश राज्य-सभा-पटल पर २३ अप्रैल, १९५६ को रखा गया था जब उसकी बैठक पुनः प्रारम्भ हुई थी । वह अध्यादेश संसद् की बैठक पुनः प्रारम्भ होने की तिथि से ६ सप्ताह तक लागू रह सकता है । वह तिथि २३ अप्रैल, १९५६ मानी जायगी जिस दिन राज्य सभा की बैठक पुनः प्रारम्भ हुई थी । अस्तु वह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था । वहां सरकारी पक्ष, से एक संशोधन रखा गया कि अध्यादेश को निरसित किया जाय । वह स्वीकार कर लिया गया और राज्य-सभा द्वारा विधेयक लौटा दिया गया ।

राष्ट्रपति अध्यादेश को वापिस ले सकते हैं, परन्तु भूतकाल की प्रथानुसार, मामले को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखना अधिक अच्छा समझा गया । इसलिये अब यह विधेयक, राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में, इस विधेयक सहित कि अध्यादेश को निरसित किया जाय लोक-सभा के सामने है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह औपचारिक मामला है । प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के एक भाग के लिये त्रावणकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाय :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

नया खण्ड ४

कि पृष्ठ १, पर खण्ड ३ के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड रख दिया जाय--

"Repeal of Ordinance 4 of 1956

4—The Travancore-Cochin Appropriation (Vote on Account) Ordinance, 1956, is hereby repealed."

["१९५६ के अध्यादेश ४ का निरसन

४—त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६ इसके द्वारा निरसित किया जाता है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**एक माननीय सदस्य** : विधेयक की प्रतियां नहीं मिलीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य काउन्टर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं लोक-सभा को बताऊं कि यह राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : यह अध्यादेश त्रावणकोर-कोचीन के व्यय के विनियोग के लिये है। यह एक वित्तीय उपबन्ध है। ऐसी परिस्थितियों में यह अध्यादेश एक धन विधेयक होगा और मैं नहीं समझता कि राज्य सभा उसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। यदि यह धन विधेयक है तो निरसन लोक-सभा द्वारा किया जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को फिर से एक पृथक् विधेयक के रूप में लोक-सभा के सामने लाया जाय।

†**श्री एम० सी० शाह** : यह राज्य सभा की अध्यादेश को निरस्त करने की सिफारिश मात्र है और मैं नहीं समझता कि उसमें कोई आपत्ति हो सकती है। अन्यथा, अनुच्छेद १२३ (२) (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश वापिस लेने की शक्ति प्राप्त है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इस अध्यादेश को राज्य सभा द्वारा वापिस नहीं लिया जा सकता।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित अनुसूचित जातियां) : इस को इस सभा में आना चाहिये।

†**श्री एम० सी० शाह** : पुरानी रीति के अनुसार हमने यही उचित समझा कि राष्ट्रपति को वह अध्यादेश वापस लेने के सलाह देने के बजाय हम इस विषय को दोनों सभाओं के आगे प्रस्तुत करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक कि अध्यादेश के निरसन का प्रश्न है, यह सभा उसे निरसित कर सकती है और धन विधेयक का जहां तक प्रश्न है उसे दूसरी सभा न तो पारित कर सकती है और न वापस ले सकती है किन्तु उसके बारे में वह सिफारिश कर सकती है और मैं इसे एक सिफारिश ही समझता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : सिफारिश तो उस चीज की हो सकती है जो उनके पास इस सभा से भेजी जाय किन्तु यह संशोधन तो यहां प्रस्तुत ही नहीं किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति यह है कि इस सभा में विनियोग विधेयक उस समय पारित किया गया था जब कि राज्य-सभा का सत्र नहीं हो रहा था । इस बीच में धन की काफी आवश्यकता थी इसलिये एक अध्यादेश जारी कर दिया गया । इस अध्यादेश को हम विधेयक नहीं कह सकते । अब स्थिति यह है कि जब राज्य-सभा ने विनियोग विधेयक को पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निरसित कर दिया जाना चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं यह बताना चाहता हूं कि अध्यादेश को भी विधान समझा जाता है और जब वह जारी कर दिया गया तो बिनियोग विधेयक रद्द हो गया । अतएव वह विधेयक फिर से पुरःस्थापित किया जाना चाहिये ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : वास्तव में स्थिति यह है कि यह विधेयक जिस समय पारित हुआ उस समय राज्य सभा स्थगित हो गई और इसे पारित नहीं कर सकी । ऐसी स्थिति में एक अध्यादेश जारी कर दिया गया । अब जब राज्य सभा ने वह विधेयक पारित कर दिया तो उसने यह सिफारिश की है कि अध्यादेश को निरसित कर दिया जाय ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : आप मेरी बात पर जरा गौर तो करिये । जब हम अध्यादेश को एक सम्पूर्ण विधान समझते हैं तो उसके आगे हमारा विधेयक रद्द हो जाता है क्योंकि वह केवल एक ही सभा में पारित किया गया था । अतः हमारे लिये उचित प्रक्रिया यह है कि उस अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिये एक दूसरे विधेयक को पेश करें ।

†**श्री पाटस्कर** : वास्तविक तथ्य के बारे में कुछ सदस्यों को भ्रांति हो गई है । मैंने अभी सारी बात बताई है कि उस समय राज्य-सभा का सत्र न होने के कारण अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा गया और राज्य सभा ने बाद में जब विधेयक को पारित कर दिया और वह अधिनियम बन गया तो अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं रही क्योंकि एक ही विषय पर दो विधान नहीं हो सकते ।

श्री मोरे का तर्क यह है कि क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया, इसलिये इस सभा में विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई वह रद्द हो गई परन्तु यह स्थिति का सही अंकन नहीं है । जब दोनों सभाओं द्वारा कोई विधेयक पारित न हुआ हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था किन्तु इस के साथ संसद् को भी यह अधिकार है वह, जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करे ।

†**श्री कामत** : अनुच्छेद १२३ में यह कहा गया है कि जो भी अध्यादेश जारी किया जाय उसकी एक-एक प्रति दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाये । वह इस सभा के पटल पर रखी जानी चाहिये थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अध्यादेश की प्रति सभा-पटल पर रखी गई थी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : वह राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : १४ अप्रैल, १९५६ के बुलेटिन से मुझे पता चलता है कि वह इस सभा के पटल पर भी रखी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

इस अध्यादेश से जो स्थिति पैदा हुई है उसे मैं संक्षेप में समझा देना आवश्यक समझता हूं। जब तक विनियोग विधेयक दोनों सभाओं में पारित नहीं हो जाता, तब तक रुपया नहीं दिया जा सकता चाहे अनुदानों की मांगें पारित हो गई हों।

राज्य-सभा का सत्र न होने के कारण वहां विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सका। इस बीच में जब धन की आवश्यकता हुई तो इस की अनुमति के लिये राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। इसके बाद जब राज्य-सभा का सत्र आरम्भ हुआ तो उसने विनियोग विधेयक पारित करके इस सभा से सिफारिश की कि राष्ट्रपति के अध्यादेश को निरसित कर दिया जाय। अब यह बात इस सभा पर निर्भर करती है कि वह इस सिफारिश को स्वीकार करे या न करे। ऐसी दशा में मेरा विनिर्णय यही है कि राज्य-सभा के इस काम में कोई त्रुटि नहीं है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस कार्य द्वारा संविधान का आदर नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले जो विनियोग विधेयक इस सभा ने पारित किया है वह अध्यादेश जारी होने के बाद वैध नहीं रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। जब कोई विधेयक संसद् में विचाराधीन हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है चाहे हम उसे स्वीकार करें या न करें। अब मैं प्रस्ताव को सभा के आगे रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर खण्डशः विचार होगा। इसके लिये निश्चित २० घण्टों में से १५ घण्टे और शेष रह गये हैं।

इस विधेयक में बहुत से खण्ड हैं जिनके बारे में अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने खण्डों के बारे में पृथक् समय निश्चित नहीं किया है। अतः कुछ सदस्य चाहें तो इस पर विचार करके मुझे सूचित कर दें कि किस खण्ड के लिये कितना समय उचित होगा।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : इस विषय में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। खण्ड ६ सब से अधिक महत्वपूर्ण है और उसके बाद उत्तराधिकारियों की सूची में भी कुछ समय लगेगा। यदि आज हम खण्ड ६ को निबटा दें तो शेष खण्डों के बाद कुछ लोग बैठ कर समय का निश्चय कर लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां आज इस खण्ड पर चर्चा हो सकती है और शाम को कुछ सदस्य शेष खण्डों के बारे में निश्चय कर लेंगे।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज (खण्ड) ५ में जो संशोधन ६, २७, ६१, ६२, ६३, १५८, १५९ वगैरह मूव (प्रस्तुत) किये गये हैं; मैं उनका विरोध करता हूं। उनका विरोध मैं पुरजोर अलफाज में इसलिये करता हूं कि अगर इन संशोधनों को मान लिया जाय, तो फिर यह कानून मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रापर्टी (समांशी सम्पत्ति) पर लागू नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठहरिये, पहले मैं यह निश्चय कर लेना चाहता हूं कि क्या खण्ड ५ और ६ दोनों पर साथ-साथ चर्चा करना उचित होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड ५ पर कल से काफी चर्चा हो रही है । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे एकाध घण्टे में इस की चर्चा समाप्त कर दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो एक बजे तक खण्ड ५ पर चर्चा समाप्त कर दी जाय और बाकी दिन खण्ड ६ पर विचार किया जाय । हां, श्री मालवीय अपना भाषण अब जारी रख सकते हैं ।

खण्ड ५—अधिनियम का कुछ सम्पत्तियों पर लागू न होना

पंडित सी० एन० मालवीय : जनाबे वाला, इसका मतलब यह है कि क्लाज ६ पर इसके बाद गौर होगा, इसलिये इस समय मैं सिर्फ क्लाज ५ के बारे में अपना दृष्टिकोण रखूंगा ।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, अगर इन अमेंडमेंट्स (संशोधन) को मान लिया जाय, तो फिर यह कानून मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रापर्टी के ऊपर लागू नहीं होगा । हमारे दोस्त भार्गव साहब ने अपनी तकरीर में तमाम पुरानी दलीलों को दोहराते हुए इसी बात के खतरे को सामने रखा है कि इससे कोपार्सनरी प्रापर्टी खतरे में पड़ जायगी । वह यह जरूर कहते हैं कि स्त्रियों को हक जरूर मिलना चाहिये, लेकिन अपनी अमेंडमेंट्स में वह जो तरीका पेश कर रहे हैं उससे साफ मालूम होता है कि उनके इस कथन में सचाई नहीं टपकती कि स्त्रियों को जायदाद में हक मिलना चाहिये । जहां तक मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रापर्टी का सम्बन्ध है, अगर हम इस सम्बन्ध में पूरी तारीख को देखें तो हमें मालूम होगा कि यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से पूरी बहस हो चुकी है और यह कहा जा चुका है कि मिताक्षरा कानून वैसा शुद्ध और सात्विक नहीं रह गया है, जैसा कि वह आज से बरसों पहले था । मिताक्षरा कानून में कहा गया है कि स्त्री सम्पत्ति की अधिकारिणी हो ही नहीं सकती, लेकिन हमारे विभिन्न ऋषियों और विद्वानों ने समय-समय पर इस कानून में परिवर्तन किया, जिस का सबूत यह है कि मिताक्षरा के बहुत से स्कूल्ज हैं और उनमें इस बारे में अन्तर है । अंग्रेजों के राज्य में कोई हिन्दू कोड नहीं था, कोई हिन्दू धर्म-शास्त्र नहीं थे, सिर्फ हाईकोर्ट की जजमेंट्स (निर्णय) थीं । इस विषय में बड़ी अव्यवस्था और खलबली मच गई थी । अब अगर उनको सारे हिन्दुस्तान में लागू करने की ओर कदम उठाया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस में आपत्ति की क्या बात हो सकती है । तथ्य यह है कि मिताक्षरा खानदान एक ढांचा मात्र रह गया है । हिन्दू विडोज को प्रापर्टी में हक देने और उनको रीमैरिज का हक देने से और स्त्रियों को डाइवोर्स का हक देने से, १९२९ और १९३७ के कानून पास करने से मिताक्षरा कानून की बुनियाद पर चोट पहुंचाई गई है । मिताक्षरा कानून में एक हक तक स्त्रियों का अधिकार माना गया है । कांस्टीच्यूशन (संविधान) के आर्टिकल (अनुच्छेद) १३ (१) में कहा गया है कि जो भी नियम इस भाग के उपबन्धों से असंगत होंगे, वे अवैध हो जायेंगे ।

संविधान के अनुसार लिंग भेद के कारण कोई भी भेद नहीं किया जा सकता किन्तु, मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रापर्टी के विषय में सैक्स (लिंग) की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन (विभेद) किया गया है । उसमें पुरुष को जन्म से अधिकार है और स्त्री को सिर्फ परवरिश का अधिकार है । अगर जायदाद को बांटा जाय और हिस्से में जानवर आ जायें, तो उनको भी घास चारा देना ही पड़ता है, उसी तरह स्त्रियों की भी कुछ न कुछ परवरिश करनी पड़ती है । इस के अलावा उनको कोई अधिकार नहीं है । न पिता की सम्पत्ति में उन का अधिकार है और न पति की सम्पति में । कहा जाता है कि बचपन में पिता स्त्री की रक्षा करे, शादी के बाद पति उसकी रक्षा करे और पति के मर जाने के बाद पुत्र उसकी रक्षा करें । मैं पूछना चाहता हूं कि कांस्टीच्यूशन के जिन आर्टिकल्ज को मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित सी० एन० मालवीय]

उनकी दृष्टि से क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? अगर कांस्टीट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) को हवोक किया जाय, तो ऐसा कोई भी कानून ही रह सकता है, जिसमें सैक्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया मिताक्षरा कानून में सैक्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और उसको समय-समय पर खत्म किया गया है। आज हम स्त्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार दे कर उस डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। इसलिये यह जितने भी अमेंडमेंट्स हैं यह सब अनकांस्टीट्यूशनल (असंवैधानिक) हैं, आउट आफ आर्डर (क्रम-रहित) हैं, इर्रेलेवेंट (असंगत) हैं, और नामुनासिब हैं और इनको हरगिज मंजूर नहीं करना चाहिये।

†**श्री सी० डी० पांडे** : (जिला नैनीताल व जिला अल्मोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : यदि ये असंगत हैं तो इनकी अनुमति कैसे दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित सी० एन० मालवीय तो केवल सदस्यों को समझा रहे हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : अब इसके बाद यह कहा गया है कि अगर आपने इसको जरा भी छुआ तो सारे हिन्दुस्तान में खलबली मच जायेगी। लेकिन सन् १९५२ के इलेक्शन (चुनाव) में हमारी पार्टी ने इसको देश के सामने रखा था और विरोधी पार्टियों ने हमारे विरोध में प्रचार करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा था.....

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : हम तो केवल समाजवादी आधार के कारण स्त्रियों को ये अधिकार दे रहे हैं।

पंडित सी० एन० मालवीय : जनाब आला, हिन्दू कोड बिल की बातें उस समय सारे देश के सामने आयी थी। गांव-गांव में सभायें हो रही थीं और विरोधी पार्टियां यह प्रचार हमारे खिलाफ कर रही थीं कि ये लोग तो भाई और बहिन के बीच विवाह कराना चाहते हैं। तो जनता के सामने यह सारी बात थी कि इस तरह का कानून पास होगा।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारी बहिन श्रीमती स्वामीनाथ्न ने कहा था, कि अगर हम स्त्रियों को पूरे अधिकार नहीं देना चाहते थे तो हमने उनको अपने साथ आजादी की लड़ाई में क्यों लिया। आज के युग-पुरुष महात्मा गांधी ने स्त्रियों के लिये कहा था कि जब तक हम महिलाओं को पूरे अधिकार नहीं दे रहे तब तक हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम ५० प्रतिशत जनता को उसके उचित अधिकारों से वंचित रखें। आज हम गांधीजी की यह बात नहीं मानना चाहते हमने अभी तक स्त्रियों को केवल वोट का अधिकार दिया है, हमने उनको आर्थिक अधिकार नहीं दिया है। हमें उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने हैं ताकि वे अपने पिता की सम्पत्ति की अधिकारिणी बन सकें।

हमारी बहिन राजमाता जी ने कहा था कि आज बड़े-बड़े शहरों में जो हमारी बहिनें बाजार में बैठी हैं उसका कारण हमारे हिन्दुओं के कुछ इंस्टीट्यूशन्स (संस्थायें) हैं। किसी को घर से निकाल दिया जाता है और उसके ठहरने का कोई ठिकाना नहीं रहता, किसी को ससुर निकाल देता है, किसी को पति निकाल देता है और उनको कोई आर्थिक अधिकार न होने के कारण वे बाजार में जाकर बैठती हैं। यदि हम अपनी बहिनों की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उनको सम्पत्ति में पूरा अधिकार दें।

अब यह कहा जाता है कि स्त्री को पिता की सम्पत्ति में नहीं बल्कि पति की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिये। इसका मतलब यह है कि पुत्र को तो जन्म से हक है, और उसको तो पार्टीशन (विभाजन) तक का हक है, लेकिन लड़की को जन्म से हक नहीं मिल सकता। जब तक उसकी शादी न हो जाये

†मूल अंग्रेजी में।

उसको हक नहीं मिल सकता । या यदि वह अपने पति के यहां जाती हैं तो उसका पिता की जायदाद में हिस्सा खत्म हो जाता है । मैं समझता हूं इस तरह का कानून बिल्कुल इम्प्रेक्टिकल (अव्यवहारिक) होगा । आप कहते हैं कि पिता की जायदाद में हिस्सा देने से मुकद्मे बाजी बढ़ेगी । लेकिन मेरे ख्याल में यह केवल एक इमेजिनेशन (कल्पना) है । हिन्दुस्तान की आम जनता तो इन बातों को जानती भी नहीं । न यहां पर आम-जनता के पास कोई जायदाद है जिस पर झगड़ा होगा । इसका कुछ असर वहां पड़ सकता है जहां जायदाद है ।

आज चीन में एक बड़ा जबरदस्त उबाल आया है । वहां की हुकूमत में ५० प्रतिशत भाग महिलाओं का है । यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा हो तो यह जरूरी है कि महिलाओं को जन्म से अधिकार होना चाहिये, केवल पति की जायदाद में ही अधिकार नहीं होना चाहिये ।

मैं आपके जरिये आनरेबल मेम्बर्स (माननीय सदस्य) के सामने एक बात और रखना चाहता हूं जिस पर शायद अभी तक गौर नहीं किया गया है । मजदूर और किसान वर्ग की स्त्रियों को तो आप छोड़िय क्योंकि वे तो अपने पिता और पति के साथ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर काम करती हैं और अपनी जीविका पैदा करती हैं लेकिन आज मध्यवर्ग की लड़कियों का एक बड़ा प्रश्न है जिनका विवाह दहेज की कठिनाई के कारण नहीं हो पाता और जिन को जन्म भर विधवा-सा जीवन बिताना पड़ता है । आजकल लड़के शादी नहीं करते, कहते हैं कि यह लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, इसको दहेज ज्यादा नहीं मिलेगा, यह ऊंचे खानदान की नहीं है, आदि-आदि । हो सकता है कि इन में से कुछ लड़कियां यह चाहें कि वे जन्म भर विवाह नहीं करेंगी और देश की सेवा करेंगी । उनके लिये आपने क्या सोचा है । उनके तो पति नहीं होगा और सुसराल नहीं होगी । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर हम स्त्री को इन्सान मानते हैं तो इनको उसे पुरुष के समान ही हिस्सा देना चाहिये ।

अगर कोई लोग मिताक्षरा कानून को कायम रखना चाहते हैं तो उनको क्लाज ६ में वह दिया गया है । केवल उसका वह अंश जो कि सड़ और गल गया है और जिस में से कि बदबू आने लगी है, उस अंश को हटा दिया गया है । हमारे कांग्रेसी सदस्यों का भी मुझसे भिन्न मत है । लेकिन यही तो हमारी पार्टी की विशेषता है । यहां हर गुलदस्ते में अलग-अलग तरह की खुशबू है । लेकिन हम अपने दृष्टिकोण अलग-अलग रखते हुए भी आपस में बैठकर एक बात का फैसला करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं । इसी प्रकार तो हमारी कांग्रेस आगे बढ़ रही है ।

अब अमेंडमेंट है कि इस बिल के क्लाज ५ (१) को खत्म कर दिया जाये । इंडियन सक्सेशन ऐक्ट (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) में हम स्त्रियों को कुछ खास हक देते हैं । जहां तक मिताक्षरा कानून का सवाल है उसमें तो इंटर-कास्ट मैरिज (अन्तर्जातीय विवाह) बिल्कुल फारिन (विदेशी) चीज है क्योंकि उसमें कोपार्सनरी प्रापर्टी के बंटने का डर है । अब जो लोग इंटर-कास्ट मेरिज करना चाहते हैं उनके लिये स्पेशल मैरिज ऐक्ट बनाया गया है । इस ऐक्ट में उनके अधिकारों को रिकाग-नाइज (मान्य) किया गया है । उसमें प्रापर्टी को विल करने का अधिकार दिया गया है । वह ऐक्ट केवल खास हालात में ही लागू होता है । लेकिन हम उसको इस बिल से क्यों मिक्स करें । वह तो अलग चीज है । वह तो उन लोगों के लिये है जो कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट के अनुसार विवाह करते हैं । इसलिये उनको एक्ससेप्शन (अपवाद) में रखा गया है । उनमें कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं । लेकिन उस ऐक्ट में जो प्रावीजन रखे गये हैं वे जरूरी हैं । उनको इस कानून से नहीं मिलाना चाहिये ।

अब क्लाज ५ के सब-क्लाज २ पर भी ऐतराज किया जाता है और कहा जाता है कि राजा महाराजाओं को हटा देना चाहिये । लेकिन यह मांग राजा महाराजाओं की तरफ से नहीं आ रही है । हमारे देश में राजा महाराजाओं का इंस्टीट्यूशन बहुत पुराने समय से चला आता है, और उसकी यादगार अभी भी बाकी है । उनकी एक संख्या है, और अगर उनको खत्म कर दिया जावेगा तो इससे

[पंडित सी० एन० मालवीय]

देश को कोई लाभ नहीं हो सकता। लिहाजा यह अच्छा होगा कि जो कुछ समझौता राजा महाराजाओं और सरकार के बीच हुआ है उसको हम उन दोनों के लिये ही छोड़ दें। सब-क्लाज २ का आम-जनता पर कोई असर नहीं पड़ता, उसको तो खास हालात के लिये रखा है। इसको रखकर हम राजा महाराजाओं के प्रति कोई बड़ा अहसान नहीं कर रहे हैं।

इन दलीलों को हाउस के सामने रखते हुए मैं हाउस से अपील करना चाहता हूं कि हमको मिताक्षरा कानून का मोह छोड़ना चाहिये और हमें अपनी बहिनों के साथ इन्साफ करना चाहिये और हमको अपनी बहिनों को अपने बराबर का दर्जा देना चाहिये। जैसे कि हमने उनको पालिटिकल राइट्स (राजनैतिक अधिकार) दिये हैं, उसी तरह हमको उन्हें आर्थिक अधिकार भी देने चाहियें ताकि स्त्रियां पुरुषों के बराबर आ सकें।

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य) : मैं सम्पूर्ण खण्ड ५ का विरोध करता हूं। उपखण्ड (१) को मैं इस विधेयक में असंगत समझता हूं और मैं चाहता हूं कि इस उपखण्ड को विधेयक में स्थान न दिया जाये।

जहां तक उपखण्ड (२) का प्रश्न है, यह उपखण्ड सामन्तशाही आधार पर बनाया गया है। १९४८–४९ में हम ने देशी नरेशों से जो करार किये थे उनका अर्थ हम को आज के युग के अनुसार निकालना चाहिये। अब हम समाजवादी आधार के अनुयायी हैं। आज की स्थिति बिल्कुल दूसरी है। अब हम यह नहीं चाहते कि समाज के कुछ परिवारों में प्राचीन रूढ़ि के अनुसार सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को दे दी जाय। इतना मैं अवश्य मानता हूं कि उस जमाने में मैं भी सरकार का सदस्य था और इसलिये इन करारों में मेरा भी कुछ हाथ रहा है। परन्तु इसके साथ-साथ समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है। समय के साथ-साथ इस कर्त्तव्य में भी परिवर्तन आता रहता है। अतः मैं आशा करता हूं कि समाजवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उप खण्ड (२) को निकाल दिया जायेगा।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) मेरा संशोधन संख्या १९८ है जिस का उद्देश्य यह है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ में किसी बात के होते हुए भी हिन्दू उत्तराधिकार का निर्णय इस अधिनियम के अधीन किया जाय। इसका कारण यह है कि हिन्दू विधि द्वारा और विशेष विवाह अधिनियम द्वारा प्राप्त होने वाले दायागत अधिकारों में विशेष अन्तर नहीं है। अतः यदि कोई हिन्दू विधि से विवाहित स्त्री-पुरुष किसी समय अदालत में जाकर अपने आप को विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध करा लें तो उन की विभिन्न सन्तानों पर यह नया उत्तराधिकार अधिनियम समान रूप से लागू हो सकता है। उस समय यह स्थिति पैदा नहीं होगी कि प्रारम्भ की सन्तानें हिन्दू विधि के अनुसार उत्तराधिकारी बनें और पंजीकरण के बाद की सन्तानें नये उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा उत्तराधिकारी बनें। मैं समझता हूं कि यह समन्वय अत्यन्त आवश्यक है।

जहां तक उपखण्ड (२) का प्रश्न है उसके बारे में श्री गाडगील ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है और मैं उस का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : मैं खण्ड ५ का, जिसको संयुक्त समिति ने परिवर्तित कर दिया है, समर्थन करती हूं। मूल विधेयक में खण्ड ५ का क्षेत्र बहुत सीमित था और मिताक्षरा संयुक्त परिवारों में लागू न होने के कारण उससे अधिकांश स्त्रियां वंचित रह जातीं। अतः संयुक्त समिति ने इस पर जो परिवर्तन किये हैं वह उचित हैं। जनसंख्या के प्रतिवेदन से ज्ञात होगा कि प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों में से पहिले लड़कियों की संख्या अधिक होती है; बाद को १५ वर्ष की अवस्था से उनकी संख्या बढ़ने लगती है जिस से उनका अनुपात पुरुषों से कम रह जाता है। इसका कारण यह है

†मूल अंग्रेजी में।

कि हमारे समाज में स्त्री पुरुष की सम्पत्ति से अधिक नहीं समझी जाती । एक संस्कृत का श्लोक भी प्रचलित है जिस में कण्व शकुन्तला को भेजते हुए कहते हैं :

"अर्थो हि कन्या परकीय एव
तामद्य संप्रेष्ठ परिग्रहीतुः ।"

आज के समाज में भी माता-पिता उसे भारवत् समझते हैं । यह भार उनके सर से तभी उतरता है जब कि उनका विवाह हो जाता है । विवाह में लड़की के मां-बाप को दहेज में बड़ी-बड़ी रकमें देनी पड़ती हैं । मैंने सुना है कि कृषकों के ऋणी होने का मुख्य कारण यही है । तत्पश्चात् भी उनके साथ पशुवत् व्यवहार किया जाता है जिससे कई स्त्रियों को आत्महत्या तक कर लेनी पड़ती है । मैंने उनकी आत्महत्या के कारणों का पता लगाया है इसका मुख्य कारण पतियों का दुर्व्यवहार है । कई मामलों में लड़कियों के साथ उनके ससुराल में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है; यहां तक कि वे लोग किसी न किसी भांति लड़की से पीछा छुड़ा कर दूसरा विवाह करने को उत्सुक रहते हैं । ऐसी अवस्था में स्वसुर की सम्पत्ति में लड़की को हिस्सा देने के प्रस्ताव का उसके ससुराल वाले कभी समर्थन नहीं करेंगे । लड़की को सम्पत्ति मिलने में उसके विवाह की कोई शर्त ही नहीं होनी चाहिये । यदि आप पिता की सम्पत्ति में लड़की को हिस्सा नहीं देते हैं तो आप उसे उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं । स्त्रियां सब चीज में समान अधिकार नहीं मांग रही हैं, किन्तु कम से कम उसे समान न्याय तो मिलना ही चाहिये जिसका आपने संविधान के निदेशक तत्वों में उपबन्ध किया है । राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि "भारत में सभी जाति के विकास को अवरुद्ध करने के प्रयत्न का अर्थ भारत की आत्मा के स्वतन्त्र और मुक्त विकास में बाधा पहुंचाना है" । अतः मेरे विचार से पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को उचित अधिकार मिलना चाहिये । इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि खण्ड ५ को पारित कर दिया जाय ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार से यह खण्ड अपेक्षाकृत साधारण खण्ड है । इसके दो उपखण्ड हैं । पहिला यह है :

"यह खण्ड लागू नहीं होगा—

(१) ऐसी सम्पति पर, जिसका उत्तराधिकार, विशेष विवाह अधिनियम १९५४ की धारा २१ के उपबन्धों के कारण, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से विनियमित होता है ।"

जब हमने विशेष विवाह अधिनियम पारित किया तो हमने उसमें धारा २१ रखी, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि विशेष विवाह अधिनियम के अधीन हुए बालकों पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा । ऐसा विवाह दो हिन्दुओं के बीच अथवा एक हिन्दू तथा एक अहिन्दू के बीच हो सकता है । यह सच है कि उस समय हिन्दू विवाह अधिनियम पारित नहीं हुआ था । यदि दोनों पक्ष हिन्दू हों तब तो स्थिति साधारण होती है किन्तु यदि एक पक्ष हिन्दू तथा एक पक्ष अहिन्दू हो तो जटिलता पैदा हो सकती है । मेरे विचार से यदि दोनों पक्ष हिन्दू हों तो, कई मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के उत्तराधिकार सम्बन्धी उपखण्डों से हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबन्ध अधिक लाभकारी होंगे । किन्तु वह अधिनियम हाल में ही पारित हुआ है । यह अधिनियम अभी पारित होना है । हमें अभी देखना चाहिये कि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत कितने विवाह होते हैं और उनमें से कितने हिन्दुओं के होते हैं । तभी हम यह बात सोच सकते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा उपबन्ध करना चाहिये कि जब कभी विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दो हिन्दुओं का विवाह हो तो उन पर उत्तराधिकार के भिन्न-भिन्न तरीके लागू हो सकें । यह उसी अधिनियम में संशोधन करने से अधिक अच्छी तरह हो सकता है । इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा हमें अधिनियम में हेर-फेर करने से कोई लाभ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

हमने वह अधिनियम केवल १९५४ में पारित किया है। इसलिये मेरे विचार से इस विधेयक को पारित करते समय तत्काल ही विशेष विवाह अधिनियम के अधीन हुए दो हिन्दुओं के विवाह के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

एक कारण और भी विचारणीय है। मैं यह नहीं कहता कि मैं उसका विरोधी हूं किन्तु मान लिया कुछ व्यक्ति विशेष विवाह, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विवाह करना चाहते हैं तो क्या यह सोचना सही नहीं है कि वह ऐसा यह जानकर करते हैं कि सम्पत्ति के मामले में वे उस अधिनियम के उपबन्धों से प्रशासित होंगे। कुछ भी हो मुझे इससे सहानुभूति है। मेरे विचार से आवश्यकता होने पर निरपेक्ष भाव से यह विचार करना उचित है कि दो हिन्दुओं का विवाह होने पर दायभाग के मामले में विशेष विवाह अधिनियम में कौन से परिवर्तन किये जायें; किन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस समय वे इन जटिलताओं को दूर रखें।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : सहमत होने में क्या कठिनाई है।

†**श्री पाटस्कर** : यदि आप कठिनाई अनुभव नहीं कर सकते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी कठिनाई यह है कि यह अधिनियम अभी हाल में ही पारित हुआ है और अभी मैं इस अधिनियम में छेड़-छाड़ नहीं करना चाहता। यदि वे कुछ समय तक इसी अधिनियम से प्रशासित हों तो कोई प्रलय नहीं हो जायेगी।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा ३३ (क) के अधीन एक ऐसे पति की विधवा को जिस के पैतृक वंशज हों १२,००० रुपये से अधिक नहीं मिल सकते हैं जब कि खण्ड १० के अनुसार एक विधवा को जिस का पति १ लाख रुपया छोड़ कर मरा है ५० हजार रुपये मिल सकते हैं आप इस असंगति को किस प्रकार दूर करेंगे ?

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन संख्या १५९ का समर्थन करती हूं जिसमें यह कहा गया है कि इस खण्ड को ही हल किया जाय। जैसा कि श्री मोरे ने कहा है, विशेष विवाह अधिनियम के अधीन हुए विवाहों की विधावाओं को इससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस खण्ड को ही हटा दिया जाय।

†**श्री पाटस्कर** : मैं विशेष विवाह अधिनियम के इतिहास को नहीं बताना चाहता। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि विशेष विवाह अधिनियम भी समय-समय पर पारित होता रहा है। अन्त में कई कारणों से हमने उसे अन्तिम रूप देकर पारित किया है। लोगों ने स्वभावतः ही इस अधिनियम के अधीन इसलिये विवाह किया होगा कि वे कई कारणों से उस समय हिन्दू विधि के अधीन विवाह नहीं कर सके थे; तत्पश्चात् हिन्दू विवाह अधिनियम भी पारित हो गया और मेरे विचार से तब तक कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हो सकती जब तक कि दोनों पक्ष हिन्दू न हों। मेरे विचार से अधिकांश लोग हिन्दू विवाह विधेयक के अधीन विवाह करना चाहेंगे। अब हम हिन्दुओं के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक विशेष विधि पारित कर रहे हैं। अतः कुछ मामलों में जटिलता हो सकती है मैं जो कुछ भी, श्री मोरे ने कहा है उसका समर्थन करता हूं। मेरे विचार से हिन्दू विवाह अधिनियम के पारित होने पर जिसमें सभी प्रकार के सामान्य विवाहों के लिये उपबन्ध किया गया है, किन्हीं भी दो हिन्दुओं को उसके अधीन विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह बिल्कुल दूसरी बात है। विशेष विवाह अधिनियम के अधीन अधिकतर ऐसे ही विवाह होंगे जहां एक पक्ष हिन्दू ज दूसरा पक्ष अहिन्दू होगा। पहिले कुछ लोगों के लिये विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करना लाभकारी होता था किन्तु मेरे विचार से अब स्थिति बदल गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है

†मूल अंग्रेजी में।

कि इस समय हमें उन लोगों के दायभाग के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जो आंखें खोल कर विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करते हैं। यदि ऐसा होगा तो इस विधेयक को पारित कर लेने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त समय बचेगा और हम उस विधेयक में उपयुक्त संशोधन कर अपेक्षित परिवर्तन कर सकते है। मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम में संशोधन करने से कोई लाभ न होगा। अब दूसरा खण्ड है उपखण्ड (२) जिस में उल्लेख है :

> "यदि कोई सम्पदा, भारतीय रियासत के किसी शासक द्वारा भारत सरकार के साथ की गई किसी प्रसंविदा या करार से, अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी अधिनियम से, अकेले उत्तराधिकारी को मिली हो"

यह खण्ड इस कारण रखा गया है कि हम जानते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही राज्यों का एकीकरण हुआ तथा सरकार तथा रियासतों के शासकों के बीच कई करार तथा प्रसंविदायें हुईं तथा उनके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हाल में ही कुछ प्रबन्ध किया गया। यह एक विशेष बात है। इसमें यह लिखा गया है कि "शासक द्वारा की गई प्रसंविदा अथवा करार से"। वस्तुतः जब हमने ऐसा करार अभी हाल १९४७ या १९४८ में किया है और अधिक समय नहीं बीता है तो यह उचित नहीं था कि हम एक सामान्य अधिनियमन द्वारा उन सारी प्रसंविदाओं और करारों को रद्द कर देते जिन्हें भारत सरकार ने उन लोगों के साथ सच्चाई से किये हैं और जिस के आधार पर उन्होंने अपनी रियायतों का भारत में विलय होना स्वीकार किया है। निस्संदेह मैं यह मानता हूं कि कदाचित् यह समाजवादी ढंग के समाज के सिद्धान्त के अनुसार नहीं है, किन्तु मेरा मत यह है कि हमें विकासवाद की प्रक्रिया के अनुसार बढ़ना चाहिये। मैं लम्बी छलांग लगाने के पक्ष में नहीं हूं। जब हम ने हाल में ही ऐसा करार किया है जिसके आधार पर ही कुछ हुआ है तो हमें उसे अप्रत्यक्ष रूप से रद्द नहीं कर देना चाहिये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : आपने जनता के साथ जो समाजवादी ढांचे के समाज की प्रतिज्ञा की है वह उन संविदाओं के भी बाद में हुई है।

†**श्री पाटस्कर** : किन्तु हमारा समाजवादी ढंग के समाज का उद्देश्य उसके अनुरूप है। मैंने यही कहा है कि हम विकासवाद के अनुसार बढ़ना चाहते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग द्रुत वेग से बढ़ना चाहते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति को गिरने की आशंका बनी रहती है। निस्संदेह भले ही सभी व्यक्ति इससे सहमत नहीं हों तथापि यह मेरा दृष्टिकोण है। संविदाओं के कारण ही पुरानी भारतीय रियासतों का एकीकरण हो सका है और शासकों ने अपने कई ऐसे अधिकारों को छोड़ना स्वीकार किया है जो कि आज तक उन्हें प्राप्त थे। मेरे विचार से ऐसा खण्ड होना आवश्यक था।

मेरे मित्र श्री ए० एम० थामस का संशोधन संख्या १९२ इस प्रकार है कि हमें एक प्रविष्टि (३) जोड़ देनी चाहिये जो कि इस प्रकार है :

> "(३) कोचीन के महाराजा द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा (११२४ की ९ वीं) दिनांक २९ जून, १९४९ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिणामस्वरूप, महल प्रशासन बोर्ड के द्वारा प्रशासित वलियामा थमपूरन को विलागम सम्पदा तथा महल निधि"

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। कोचीन रियासत ३० जुन, १९४९ को विलय की गई थी। कोचीन की स्थिति बिल्कुल भिन्न है और वहां अग्रगत्व के समान एक उत्तराधिकारी होने का कोई प्रश्न नहीं हैं। वहां दायभाग की एक भिन्न प्रणाली है जिसके अनुसार एक बड़े परिवार

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

के, जिसको किसी दक्षिणी नाम से पुकारते हैं, जिसका मैं सरलता से उच्चारण नहीं कर सकता, कई सदस्य होते हैं। उनकी उत्तराधिकार की प्रणाली भी भिन्न होती है। इसलिये जब इस रियासत के एकीकरण का प्रश्न उठा तो कोचीन के महाराजा ने सरकार को लिखा कि वह कुछ सम्पत्ति का जिसे महल निधि कहते हैं एक प्रन्यास बनाना चाहते हैं। किसी बड़ी सम्पदा के एक अकेले उत्तराधिकारी के हाथों में आने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अभी हाल ही कोचीन गया था और मुझे ज्ञात हुआ कि कई व्यक्तियों की आय—इस प्रन्यास से लगभग ५,००० व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं—अल्प है, कई मामलों में यह कुछ सौ रुपयों से अधिक नहीं है।

महाराजा ने २९ जून, १९४९ को, जबकि वह उस रियासत के शासक थे, यह उद्घोषणा की थी, और उस सम्बन्ध में २८ जुलाई, १९४९ को भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली थी। और वास्तव में उसी समझौते के आधार पर ही उस राज्य को ३० जुलाई, १९४९ को भारत सरकार द्वारा अपने शासन में ले लिया गया था। इसलिये यह मामला उपखंड (२) के आधीन आने वाले अन्य मामलों के समान ही है। संभव है कि कुछ एक व्यक्ति इससे सहमत न हों, परन्तु जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उन अनेकों व्यक्तियों के लिये हितकर सिद्ध होगी, जो कि किसी भी न्यास के सदस्य हैं और सरकार ने उस न्यास के निर्माण की अनुमति दी है, और उस प्रकार के न्यास के निर्माण के आश्वासन के आधार पर ही महाराजा उस रियासत के विलय के लिये सहमत हुए थे।

मैंने इन सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। कोचीन के महाराजा से भी मुझे एक अभ्यावदेन प्राप्त हुआ है, और श्री थामस भी कोचीन से ही आये हैं; अतः उनका यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, क्योंकि यह उपखण्ड (२) के उपबन्धों के अनुकूल है। इसलिये मैं संशोधन संख्या १९२ को स्वीकार कर लेने के लिये तैयार हूँ।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत से संशोधन हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जोकि इस विधेयक की योजना को पूर्णरूपेण या आंशिक रूप में समाप्त कर देना चाहते हैं। अतः मैं उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। कोई कहता है कि इस विधि से पंजाब को छूट दी जाये कोई कहता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश को छूट दी जाये, कोई कहता है कि इससे मिताक्षरा सम्पत्ति को मुक्त कर दिया जाय। चल-सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी कई संशोधन आये हैं। उनमें से कुछ तो वैकल्पिक संशोधनों के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। मैं नहीं जानता कि सदस्य खण्ड ६ के बारे में क्या कहना चाहते हैं परन्तु जहां तक खण्ड ५ का सम्बन्ध है, मैं इसके संशोधन संख्या १९२ के अतिरिक्त अन्य किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये उनके उत्तर देने में मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सर्व प्रथम संशोधन संख्या १९२ सभा के सामने मतदान के लिये रखूंगा। इसके उपरान्त सदस्यों की इच्छा के अनुसार अन्य संशोधन भी मतदान के लिये रखे जायेंगे

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४—पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ दिये जायें :

"(iii) The Valiamma Thampuran Kovilagam Estate and the Palace Fund administered by the Palace Administration Board by reason of powers conferred by proclamation (IX of 1124) dated 29th June, 1949, promulgated by the Maharaja of Cochin."

---

†मूल अंग्रेजी में।

["(३) कोचीन के महाराज द्वारा प्रख्यापित उद्घोषणा (११२४ की ९वीं) दिनांक २९ जून, १९४९ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिणामस्वरूप, महल प्रशासन बोर्ड के द्वारा प्रशासित वलियामा थमपूरन कोविलागम सम्पदा तथा महल विधि ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०२, २८, ३२, १५८, १६०, ६, २७, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ६१, ६२, तथा १५९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६–(समांशी सम्पति में हित का प्रक्रामण)

†**अध्यक्ष महोदय** : हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के खण्ड ६ के सम्बन्ध में सदस्यों ने जो चुने हुए संशोधन प्रस्तुत किये जाने के लिये दिखाये हैं, वे इस प्रकार हैं :

३५, १६१, १६२, (१६१ के समान ही), ६४, १६३, (६४ के समान ही), २०१ (सरकारी संशोधन) १९४, १६४, ६६, १६६, १६७, १९६ तथा १९७ ।

†**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट) : मैं संशोधन संख्या ३५ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : मैं संशोधन संख्या १६१ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री एन० पी० नथवानी** (सोरठ) : मेरा संशोधन संख्या १६२ श्री वेंकटरामन् के संशोधन संख्या १६१ के समान ही है ।

†**श्री के० पी० गौंडर** (ईरोड) : मैं संशोधन संख्या ६४ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मेरा संशोधन संख्या १६३ श्री के० पी० गौंडर के संशोधन संख्या ६४ के समान ही है ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ ४––पंक्ति २५ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative, the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be, under this Act and not by survivorship.

Explanation 1. For the purposes of this section the interest of a Hindu Mitakshra coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

Explanation 2. Nothing contained in the proviso to this section shall be construed as enabling a person who has separated himself from the coparcenary before the death of the deceased to claim on intestacy a share in the interest referred to therein."

["परन्तु, यदि मृतक उत्तरजीवी के रूप में अनुसूची की प्रथम क्षेणी में उल्लिखित कोई सम्बन्धिनी अथवा उस श्रेणी में उल्लिखित कोई ऐसा सम्बन्धी, जो उक्त सम्बन्धिनी के ज़रिये दावा करे, छोड़ गया हो, तो मिताक्षरा-समांशिता-सम्पत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन इच्छापत्रीय अथवा वसीयतरहित उत्तराधिकार जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रकान्त होगा न कि उत्तरजीविता द्वारा ।

व्याख्या १. इस धारा के प्रयोजन के लिये हिन्दू मिताक्षरा समांशी का हित सम्पत्ति में वह अंश समझा जायेगा जोकि उसे उस दशा में आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले सम्पत्ति का विभाजन हो गया होता । चाहे उसे विभाजन का दावा करने का हक था या नहीं ।

व्याख्या २. इस धारा के परन्तुक की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति जो मृतक की मृत्यु से पहले समांशिता से पृथक् हो गया हो, बिना वसीयत के ही उसमें निर्दिष्ट हित में अंश का दावा कर सकता है ।"]

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड-सोरठ) : मैं संशोधन संख्या १९४ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १६४ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : मैं संशोधन संख्या ६६ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या १६६ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**श्री डाभी** (कैरा—उत्तर) : मैं संशोधन संख्या १६७ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या १९६ तथा १९७ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये सभी संशोधन सभा के सम्मुख हैं । यदि कोई सदस्य कोई और संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहे तो वह उसकी संख्या बताने की कृपा करें ।

†**श्री शेषगिरि राव** (नंदयाल) : मैं संशोधन संख्या १६५ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (ज़िला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं संशोधन संख्या २०० प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (ज़िला मथुरा—पश्चिम) : मैं संशोधन संख्या १९९ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं संशोधन संख्या १०४ तथा १०५ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

†**श्री के० सी० शर्मा** : मैं संशोधन संख्या २०२ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे सभी संशोधनों को प्रस्तुत समझा जाये । मंत्री महोदय ने संशोधन संख्या २०१ की पूर्व सूचना दी है, और मैंने उस संशोधन का भी संशोधन प्रस्तुत किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसे भी प्रस्तुत हुआ मानूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने अन्य संशोधनों की भी पूर्व सूचना दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें बाद में लूंगा ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खण्ड है, और इस पर विचार करने के लिये हमें समय चाहिये । इसलिये इस पर कल चर्चा की जाये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं उस संशोधन को भी इसी समय पढ़ देता हूँ ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें समय चाहिए इसलिये चर्चा कल जारी रखी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय सदस्य की बारी आयेगी तब तक उन्हें संशोधन पर विचार करने के लिये पर्याप्त अवसर मिल जायेगा । क्या माननीय मंत्री अब कुछ कहना चाहते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने एक ऐसे संशोधन की सूचना दी है जो संशोधन संख्या १९४ जैसा ही है । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खण्ड है, इसलिये मैं सभी दृष्टिकोणों पर विचार करूँगा और अन्त में उत्तर दूंगा । मेरे विचार में इस खण्ड पर आज सायंकाल तक वाद-विवाद समाप्त हो जायगा और मैं अन्त में उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा । इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई ऐसा सदस्य है जिसने अब तक सामान्य वाद-विवाद में भाग न लिया हो तो वह कृपया अब खड़ा हो जाए ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा निवेदन यह है कि पहले माननीय मंत्री को अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये और फिर उस संशोधन के सम्बन्ध में संशोधन भी प्रस्तुत किया जाए ताकि सारी बात पर चर्चा की जा सके । नहीं तो माननीय मंत्री द्वारा विवाद के अन्त में उत्तर के रूप में संशोधन प्रस्तुत करने से कोई लाभ न होगा ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं संशोधन की सूचना दे चुका हूँ ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : पहले माननीय मंत्री को अपने संशोधन के सम्बन्ध में बताना चाहिये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप उस संशोधन के सम्बन्ध में मेरे संशोधन को प्रस्तुत हुआ समझिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब निम्न संशोधन हैं जिनमें संशोधनों के संशोधन भी हैं :

संशोधन संख्या ३५, १६१, १६२ (संशोधन संख्या १६१ जैसा है), ६४, १६३ (संशोधन संख्या ६४ जैसा है), २०१, १९४, १६४, ६६, १६६, १६७, १९६, १९७, १६५, २००, १९९, १०४, १०५, २०२ तथा २१३ ।

संशोधन संख्या २०१ का पंडित ठाकुर दास भार्गव के नाम में कोई भी अन्य संशोधन प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा । यदि किसी अन्य सदस्य को कोई और संशोधन प्रस्तुत करना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री शेषगिरि राव** : मेरा संशोधन संख्या १६५ वैसा ही है जैसा श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ६६ है ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** : मेरा संशोधन संख्या २०० वैसा ही है जैसा श्री के० पी० गौंडर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ६४ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** : मैं संशोधन संख्या १९९ प्रस्तुत करता हूँ ।

†**श्री आल्तेकर** : मैं संशोधन संख्या १०४ का प्रस्ताव करता हूँ । मेरा संशोधन संख्या १०५ वैसा ही है जैसा श्री एच० जी० वैष्णव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ६६ है ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : मैं संशोधन संख्या २०२ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या २१३ का प्रस्ताव करता हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन भी अब लोक-सभा के सामने हैं ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य) : आज चार दिन से इस बिल पर बहस हो रही है । मैंने यह देखा और सुना भी कि जब-जब हिन्दू कोड बिल हाउस के सामने आया तो उस समय सक्सेशन (उत्तराधिकार) के बारे में बहुत-सी बातें कही गयीं । यह चीज़ नई सोसाइटी की तरफ से आ रही है और इस पर अभी भी बहस चल रही है । इस पर बोलना कुछ बहुत नाजुक-सी-बात हो जाती है । अगर कोई आदमी इस बिल पर शुद्ध भाव से टीका टिप्पणी करना चाहता है, और चाहता है कि स्त्रियों को अधिकार दिया जाये, लेकिन यदि अधिकार देने के तरीके में उसका इस बिल से कुछ भी मतभेद है तो कुछ माननीय सदस्य शुरू से ही उसकी तरफ से अपने दिमाग बन्द कर लेते हैं और यह समझने लगते हैं कि यह आदमी जो खड़ा हुआ है यह स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहता । तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे बारे में भी यह न समझ बैठें कि मैं स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहता ।

मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार पहले हम अपनी स्त्रियों की इज्जत करते थे उस तरह से आज नहीं कर रहे हैं । हमारे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने जब राम और सीता का उदाहरण देते हुए आजकल की स्त्रियों का जिक्र किया था तो हमारी बहिन उमा नेहरू जी ने उसका जो जबाव दिया था मैं उसके साथ हूँ । उन्होंने कहा था कि इस बारे में भी दोष की भागी स्त्रियां नहीं बल्कि पुरुष हैं । मैं समझता हूँ कि हमें यह बात माननी चाहिये ।

मैं यह सारा बिल पढ़ गया हूँ । अभी हमारे भाई मालवीय जी बड़े जोश के साथ बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे संविधान के अनुसार स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहियें और उनको यह मिलना चाहिये, वह मिलना चाहिये ताकि वे स्वतन्त्र भारत में अपना जीवन अच्छी तरह से निभा सकें । यह नहीं होना चाहिये कि उनको अपने माता, पिता, भाई या पति पर निर्भर होकर रहना पड़े । वे उनके मुंह की तरफ देखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि इस वर्तमान हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक से स्त्रियों को काफी अधिकार मिल जाता है, उन्होंने इस बिल को ठीक तरह से समझा नहीं है । इससे वास्तव में स्त्रियों को कुछ भी अधिकार नहीं मिलता है, अलबत्ता इस बिल के द्वारा उनके मन में एक इस तरह का सेंटिमेंटल (काल्पनिक) खुशी हो जाती है कि बाप के मरने के पश्चात् उसकी सम्पत्ति में हमको भी अधिकार प्राप्त होगा जैसा कि पुत्र को है । इसके विपरीत हमारी स्त्रियों को शास्त्रानुसार जो अधिकार इस समय प्राप्त हैं और जिस तरह से लड़की के माता, पिता और उसके भाई लड़की से प्रेम भाव रखते हैं और जो उसकी हर प्रकार से मदद करना अपना वालियंटरी (स्वेच्छिक) कर्त्तव्य समझते हैं, उसमें इस बिल के पास हो जाने से एक कड़वापन आ जायेगा । यह बिल स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं देता है और यदि स्त्रियों को कोई तकलीफ होती है तो वह बाप के घर में नहीं बल्कि पति के घर में होती है ।

जब डाइवोर्स (विवाह विच्छेद) बिल यहां पर पास हो रहा था तो मैंने उस समय उसका विरोध किया था और मैं चाहता था कि डाइवोर्स बिल लाने से पहले स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार दिलाने के विषय पर विचार कर लिया जाता और उसके तय हो जाने के बाद डाइवोर्स बिल लाया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जब मैं इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक को पढ़ता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि मानों सिर्फ मुंह पोंछी की गई हो और वास्तव में इसके द्वारा उनको कोई अधिकार नहीं मिलता है। आप हमको यह बतलाइये कि इसमें कम्पलसरिली (अनिवार्यतः) स्त्रियों को किस अवस्था में अधिकार मिल सकता है। आप कहते हैं कि लड़की को अधिकार देना पिता के ऊपर निर्भर है, भाई के ऊपर निर्भर है और माता के ऊपर निर्भर है तो उस हालत में उसका अधिकार ही क्या रहा। पिता अगर चाहेगा तो एक वसीयत करके अपनी पुत्री के अधिकार को खत्म कर देगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बाप और भाई जब यह देखेंगे कि लड़की हमारी सम्पत्ति में से हिस्सा ले जाएगी तो जितना भी उनका प्राकृतिक प्रेम है और लड़की को हर प्रकार से सहायता करना जो वह अपना कर्त्तव्य समझते हैं, वह समाप्त हो जायगा और शुरू से ही उनकी यह चाल होगी कि किसी तरह से लड़की को कुछ न मिल पाये। इस चीज़ की आशंका हमको इस बिल के कारण मालूम होती है और स्त्रियों को सिवाय नुक्सान के कोई लाभ होता नज़र नहीं आता।

श्री पाटस्कर : पिता अपनी लड़की पर इतना क्यों बिगड़ जायगा ?

श्री झुनझुनवाला : मंत्री महोदय अभी इतने बूढ़े नहीं हो गये हैं कि वे यह न समझ सकें कि पिता किस तरह से बिगड़ जायगा। इसके ज़िम्मेवार उनका यह बिल है, यह जो एक प्रतिबन्ध लगाकर उसको सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसका असर यह पड़ेगा कि अभी तक जो लड़की के प्रति उसके बाप और भाई के दिल में प्राकृतिक प्रेमभाव होता है, वह ख़त्म हो जायेगा। मैं तो चाहता हूँ कि कि स्त्रियों को सच्चा और वास्तविक अधिकार प्राप्त हो और उसके लिये बजाए पिता के वहां सम्पत्ति दिलाने के उसको ससुराल में पति के घर में सम्पत्ति और अधिकार दिलाने का सुझाव हम लोगों ने दिया था और आज भी उसके लिये कहते हैं।

अभी कल या परसों जब इस विधेयक पर हमारे श्री एस० एस० मोरे बोल रहे थे तो उन्होंने पिताओं और भाइयों को, स्त्रियों को अधिकार देने के सम्बन्ध में नीच प्रकृति वाला बतलाया था और उनके अनुसार वे लोग जो कि इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक का विरोध करते हैं वे प्रतिक्रियावादी हैं और प्राग्रेसिव (प्रगतिशील) नहीं हैं लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उनका ऐसा ख्याल करना बिल्कुल गलत है। आप हमको पहले यह बतलाइये कि इस बिल से एक लड़की को स्वतन्त्र रूप से किसी भी स्टेज (प्रक्रम) में क्या कुछ मिलता है ? असल में तो तकलीफ एक लड़की को होती है वह उसको अपने पिता के घर में नहीं होती बल्कि ससुराल में जाकर होती है और इसलिये अधिकार दिलाने की बात वहां के लिये होनी चाहिये थी। अब डाइवोर्स बिल पास हो जाने से यह होगा कि पुरुष बूढ़ा होने पर भी यह समझ कर कि चलो अब तो तलाक़ का कानून पास ही हो गया है तो क्यों न मैं दूसरी स्त्री को घर ले आऊं और दूसरी शादी करने के लिये वह पचास तरह से बहाने बना करके पहली स्त्री से छुटकारा प्राप्त कर लेगा और इसलिये मैं कहूँगा कि यदि आप यह समझते हैं कि स्त्रियों को सम्पत्ति और धन पर अधिकार हो तो शेड्यूल (अनुसूची) के क्लाज (खण्ड) १ में डाटर (लड़की) का नाम रखें, उसमें आप यह कर दें कि "सन एंड वाइफ" (लड़का तथा पत्नी) पिता यदि मरे तो पतोहू को भी उसी प्रकार से हक़ प्राप्त हों और अगर ऐसा हो जायगा तो जितनी ख़राबियां इस डाइवोर्स से फैलने वाली हैं, वे नहीं फैल पायेंगी। अगर ससुराल में लड़की को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त रहेगा तो यह जो डाइवोर्स का बदचलन पुरुषों द्वारा अनुचित लाभ उठाये जाने की आशंका है वह बहुत कम हो जायगी क्योंकि उसको भय बना रहेगा कि मेरी सम्पत्ति में उसका अधिकार है और अगर कहीं कोई डायवोर्स हो भी जायगा तो स्त्री उसकी सम्पत्ति में से अपना अधिकार ले लेगी और वह अपना शेष जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकेगी। आज हक़ीक़त यह है कि हमारे हिन्दू समाज में लड़कियों को

[श्री झुनझुनवाला]

पिता के घर में कोई तकलीफ नहीं होती है और हर कोई पिता और लड़की के भाई चाहते हैं कि वह अच्छे से अच्छे घर जाय और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और शादी हो जाने के बाद भी उसका अपने मायके वालों के साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बना रहता है और उसके भाई और बाप के यहां से हर तीज-त्यौहार पर कुछ न कुछ आता रहता है और नाती होने पर मायके वालों के यहां से काफी सामान उसको मिलता है। अलबत्ता मैं यह मानता हूँ कि जहां वह शादी होकर जाती है और जिस घर में बहू बन कर जाती है, वहां पर उसके कोई भी अधिकार नहीं हैं और ससुराल में उसको सम्पत्ति में अधिकार दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

कल मोरे साहब और मैं आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बिल में है ही क्या जो आप इतना शोर मचा रहे हैं। यह विधेयक स्त्रियों के साथ एक छल के सिवा कुछ नहीं है। यह तो केवल एक सेंटिमेंटल (काल्पनिक) चीज़ हो गई है कि लड़कियां यह ख्याल करने लगेंगी कि हमको पिता के घर में हिस्सा मिल गया है लेकिन होगा यह कि इससे हमारे बसु साहब के वकील साथियों की बन आयेगी और मैं पूछता हूँ कि अगर लड़के पिता से बंटवारा करवा लेते हैं और यह कह कर अलग हो जाते हैं कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम अपना अलग कमायेंगे और खायेंगे तो उस हालत में बेचारी लड़की क्या करेगी? इस बिल के बन जाने से तो लड़कियों को तो कुछ नहीं मिलेगा अलबत्ता वकीलों की बन जायेगी और धड़ाधड़ लोग उनसे वसीयतनामें तैयार करवायेंगे। अगर कोई पिता वसीयत करके लड़की को डिसइनहैरिट (दायभाग से वंचित) कर देता है तो वह कहां रहेगी और क्या करेगी? अगर विवाह हो जाने के पश्चात् उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो वह क्या करेगी और उसकी क्या स्थिति होगी?

जैसा हमारे पूज्य टंडन जी ने और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि स्त्रियों को सम्पत्ति में वास्तविक अधिकार मिले, वह सम्पत्ति की अधिकारिणी हों और सचमुच में वे अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकें, न कि केवल एक सेंटिमेंटल चीज़ को लेकर वह यह समझने लग जायें कि हमको बहुत कुछ मिल गया है जब कि उनको मिल कुछ भी नहीं रहा है। इस बिल में जो क्लाजेज़ (खण्ड) दिये गये हैं और उन पर जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) आये हैं, शाह साहब ने दिये हैं, नथवानी साहब ने दिये हैं, भार्गव साहब ने दिये हैं और खुद मिनिस्टर साहब ने दिये हैं, उनको मैं पढ़ रहा था तो मुझ को ऐसा लगा कि यह सब झगड़े की बातें हैं और सिर्फ सालिसिटरों (अभ्यर्थियों) का घर भरेगा।

इसमें जो क्लाज़ेज हैं जिन में प्रापर्टी (सम्पत्ति) का ज़िक्र है, उनमें स्त्रियों की तीन प्रापर्टीज़ का जिक्र है। एक तो स्त्रीधन है, दूसरी वह जो कि वह अपने पिता से इन्हेरिट करती है और तीसरी वह जो अपने पति से इन्हेरिट (दायभाग) करती है, या कहीं और से लाती है। इस जगह पर झगड़ा यह है कि जो वह इन्हेरिटी करती है पिता के यहां से वह पिता के घर में जाय, भाई को मिले और उस को मिलने के बाद चाहे किसी और को मिले। मैं आप से यह पूछता हूँ कि जिस प्रकार से मिनिस्टर साहब ने बिल को ड्राफ्ट (प्रारूप) किया है, उस में कैसे सम्पत्तियों को अलग-अलग किया जायगा, कौन-कौन सी प्रोपरटी है कैसे पता चलेगा? इस में केवल लिटिगेशन (मुकद्दमेबाज़ी) ही तो बढ़ेगा। जिस प्रकार से यह बिल ड्राफ्ट हुआ है उस से एक दूसरे में द्वेष ही तो बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि यदि आप वास्तव में बहनों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, सम्पत्ति का मालिक बनाना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिये। स्त्रियों के साथ यदि कुव्यवहार होता है तो विशेषरूप से पति के घर में होता है, पिता के घर में नहीं होता है इसलिये आप सब बातों को छोड़ कर उन को पति के घर में, फादर-इन-ला (ससुर) के घर में हिस्सा दीजिये, जिस तरह से फादर-इन-ला के यहां लड़के को मिलता है उसी तरह से बहू को भी मिले।

इस विधेयक में जो भी कानूनी बातें हैं वह मैं पंडित ठाकुर दास जी पर छोड़ता हूँ। मैं चूंकि जेनरल डिस्कशन (सामान्य वाद-विवाद) के समय यहां नहीं बोला था इसलिये मैंने प्रायः जेनरल (सामान्य) बातें ही कही हैं। अब समय भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मुझ से पहले अभी-अभी जिस माननीय सदस्य ने भाषण दिया है मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी हैं। उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वे विधेयक के पक्ष में थे या विपक्ष में यह बात मैं नहीं समझ सका हूँ। परन्तु इन तर्कों से स्वामीगत प्रकार के उन विचारों का पता चलता है जिनके विरुद्ध सारा संसार इस समय लड़ रहा है।

यह आन्दोलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि सभी एशियायी तथा अफ्रीकी देशों में भी दिखाई देता है, चीन में स्त्रियों को बहुत से मामलों में पुरुषों के समान समझा जाता है, मिस्र, एक प्राचीन देश है, वहां पर भी उन्होंने—जहां तक कृषि-सम्पत्ति का सम्बन्ध है—स्त्री तथा पुरुष में कोई मतभेद नहीं रखा है।

मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला ने प्राकृतिक प्रेम तथा कर्त्तव्य की चर्चा की है। अब जब कि वर्तमान सामाजिक शक्तियों के कारण इस प्राकृतिक प्रेम में कमी आ रही है और कर्त्तव्य शब्द का अर्थ भी वह नहीं समझा जाता है जो समझा जाना चाहिये, तो यह स्वाभाविक ही है कि इन कमियों को पूरा करने के लिये हम सामाजिक न्याय का आश्रय ले लें। सामाजिक न्याय दो प्रकार से किया जा सकता है एक शिक्षा द्वारा और दूसरे, विधान द्वारा, इस विधेयक में तथा समस्त हिन्दू संहिता विधेयक में इन दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम जो परिवर्तन कर रहे हैं क्या वह क्रांतिकारी परिवर्तन है? इस परिवर्तन से हमारे सिरों पर आकाश टूट कर नहीं गिर पड़ेगा। हम कोई आमूल परिवर्तन अथवा क्रान्तिकारी परिवर्तन जैसी बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि विधि-कार्य मंत्री ने कहा है हम एक उद्विकासी कार्यवाही कर रहे हैं। जिन बातों को कभी माना जाता था और आज जो बिल्कुल बेकार और शून्य हैं उनसे उन्हें भय नहीं खाना चाहिये और इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये। अन्य बातों के अतिरिक्त यह विधेयक उन बहुत-सी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा जो हमारे समाज में घर कर चुकी हैं। हमारे समाज में, बुराई की सबसे बड़ी जड़ दहेज प्रथा है। यह दहेज प्रथा उत्तरी भारत में ही नहीं बल्कि भारत के सारे राज्यों में फैली हुई है। केवल उत्तरी भारत ही इस का शिकार नहीं है।

हमारी महिला सदस्यों ने दहेज प्रथा का उन्मूलन करने वाले कितने ही विधेयक अब तक प्रस्तुत किये हैं। इस विधेयक से और कुछ नहीं तो दहेज की प्रथा के आधार पर कुठाराघात हुआ है। यह कहा गया है कि स्त्रियों को पिता के यहां तो अच्छा बर्ताव मिलता है, किन्तु ससुर के यहां अच्छा बर्ताव नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि तर्क प्रस्तुत करने के लिये पिता और ससुर के यहां का यह भेद बताना कल्पनात्मक और प्रवंचनात्मक है। पुत्री को पिता के यहां रहना हो अथवा ससुर के यहां चीज़ यह है कि हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे वह आराम से रह सके और सामाजिक समानता का जीवन व्यतीत कर सके।

हमने स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक समानता दे दी है। फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आर्थिक समानता से उन्हें क्यों वंचित किया जाता है। जब तक उन्हें आर्थिक समानता नहीं दी जाएगी तब तक वे जीवन के संग्राम का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सकतीं। अनेक मित्र मुझ से कहते

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री डी० सी० शर्मा]

हैं कि इस विधेयक के पास हो जाने पर मुकद्दमेबाज़ी बढ़ जायेगी तथा और भी परेशानियां बढ़ जायेंगी। उन्हें हर अच्छी चीज़ में खराबी दिखाई देती है। इस विधान से उन्हें पिता और ससुर दोनों के घर अपना उचित स्थान मिलेगा और वह भारत की आत्म-प्रतिष्ठित नागरिक बन सकेंगी। मुझे विश्वास है कि इस विधान से स्त्रियों को बहुत लाभ होगा और इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और खण्ड ६ का समर्थन करता हूँ।

†**श्री एन० पी० नथवानी** : मैं संशोधन संख्या १६२ और १९४ का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। संशोधन संख्या १६२ में मिताक्षरा प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देने की अपेक्षा की गयी है। खण्ड ६ को मूल विधेयक में जोड़ कर संयुक्त समिति ने बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। इसके अनुसार पुत्री तथा अन्य महिला उत्तराधिकारियों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के मृत समांशी की सम्पत्ति में भाग दिया गया है। मैं महिला रिश्तेदारों को उत्तराधिकार का अधिकार देने के तो पक्ष में हूँ, किन्तु जिस प्रकार यह किया जा रहा है उसके विरुद्ध हूँ।

माननीय मंत्री जी के अनुसार खण्ड ६ में दो परिणामों की अपेक्षा की गयी है : मिताक्षरा प्रथा के संयुक्त परिवार का विघटन रोकना और वर्ग १ में निर्दिष्ट महिला उत्तराधिकारियों को उचित भाग दिलाना। इन दोनों चीज़ों का समन्वय मैं समझता हूँ सम्भव नहीं है। यदि आप मिताक्षरा संयुक्त परिवार को कायम रखना चाहते हैं, तो स्त्रियों के लिये उचित भाग का दिलाना सम्भव नहीं है। इसलिये सब से सीधा और सब से अच्छा उपाय यह है कि मिताक्षरा प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। समांशी प्रथा का मुख्य लक्षण यह है कि सम्पत्ति में केवल पुरुषों को हिस्सा मिलता है, स्त्रियों को नहीं। किन्तु स्त्रियों को उत्तराधिकार देने के लिये आपने इस सिद्धान्त के विरुद्ध उपबन्ध बनाए हैं जो समांशी प्रथा में निहित हैं।

समांशी प्रथा का दूसरा लक्षण यह है कि पुत्र तथा अन्य उत्तराधिकारी जन्म से अधिकार प्राप्त करते हैं। खंड ६ में यह जन्म-अधिकार नकार दिया गया है।

समांशी प्रथा का तीसरा लक्षण यह है कि कोई समांशी सम्पत्ति का अपना भाग बेच नहीं सकता। अब हमने जिस रूप में खंड ६ का उपबन्ध किया है उससे यह जन्म-अधिकार समाप्त हो गया है जो मूल सिद्धान्त के विरुद्ध है।

फिर मिताक्षरा प्रथा के अनुसार, यदि कोई हिन्दू जिसकी पृथक् सम्पत्ति है, मान लीजिये दो लड़कों को छोड़ कर मरता है, तो दोनों लड़के उस सम्पत्ति के संयुक्त उत्तराधिकारी होंगे। जिसका अर्थ है समांशी होंगे। किन्तु प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत यह समांशी सम्पत्ति समाप्त कर दी गयी है।

इस प्रकार आप समांशी सिद्धान्तों को समाप्त कर रहे हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली को विघटन से बचा नहीं रहे हैं। खण्ड ६ की व्याख्या का प्रभाव यह होगा कि पुत्र विभाजन चाहेंगे और अपना हिस्सा लेकर अलग हो जायेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि जो सम्पत्ति पिता के उत्तराधिकारियों में वितरण के लिये उपलब्ध होगी वह कम रह जायेगी।

खंड ६ से उत्पन्न होने वाली कुछ असंगतताओं की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक असंगतता यह है कि जबकि मृत समांशी की पुत्री को सम्पत्ति में मिलने वाला हिस्सा निरपेक्ष होगा, पुत्र को यह पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिलेगी। इसलिये पुत्री को इस बात की छूट होगी कि वह जिस प्रकार चाहे इस सम्पत्ति को बेच सकती है, किन्तु पुत्र को इस बात की स्वतन्त्रता नहीं है। इस प्रकार की असंगतताओं को देखकर राऊ समिति ने यह सिफारिश की थी कि मिताक्षरा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। और उसे दायभाग में मिला दिया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि समांशी प्रणाली

---

†मूल अंग्रेजी में।

को समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा होगा । इससे एकरूप संहिता के निर्माण की दिशा में भी एक कदम उठेगा ।

फिर, मैं विधवाओं की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । यदि कोई पिता दो लड़के और एक विधवा को छोड़ कर मरता है तो विधवा को एक-तिहाई भाग मिलेगा किन्तु यदि व्याख्या को हटा दिया जाए तो विधवा को नवां हिस्सा मिलेगा । इस कारण मैं व्याख्या को हटाने के पक्ष में नहीं हूँ । विधवा को सम्पत्ति में से उचित भाग मिलना चाहिये ।

संशोधन संख्या १९४ के द्वारा पुत्री तथा स्त्री उत्तराधिकारियों को उचित हिस्सा दिलाने की अपेक्षा की गई है । इस समय खंड ६ के अनुसार उत्तराधिकारियों की संख्या निर्धारित करने में वे पुत्र भी सम्मिलित किए जायेंगे जोकि अलग हो गए हैं । इसका परिणाम होगा कि पुत्री का या अन्य स्त्री उत्तराधिकारी का हिस्सा कम हो जायगा । संशोधन संख्या १९४ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिस्सेदारों की संख्या थोड़ी होगी चूंकि इसमें उन पुत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो समांशी सम्पत्ति में अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे । इसलिये यदि हमारा प्रथम संशोधन स्वीकार्य न हो तो मेरी प्रार्थना है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाए ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : खण्ड ६ समस्त विधेयक का सब से महत्वपूर्ण खंड है । इसके कितने ही संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं और माननीय मंत्री जी द्वारा भी संशोधन संख्या २०१ प्रस्तुत किया गया है । इस संशोधन के अन्तर्गत व्याख्या भी दी गई है । इसका प्रभाव यह होगा कि स्त्रियों को अब उससे कम हिस्सा मिलेगा जिसकी कि मूल विधेयक में अपेक्षा की गई थी । स्त्रियों को कम हिस्सा देने के सम्बन्ध में इस सदन में कही गई कुछ बातों से मुझे बहुत दुःख हुआ है । आखिर स्त्रियां अपने अधिकारों के लिये शोर नहीं मचा रहीं हैं । अधिकार उन्हें संविधान द्वारा दिए जा चुके हैं, और इसलिये वे पुत्र के साथ बराबर हिस्से का दावा करती हैं । जैसा राऊ समिति ने सिफारिश की थी, यदि मिताक्षरा प्रणाली समाप्त कर दी जाए तो सारी परेशानी समाप्त हो जायगी । किन्तु सरकार इसके लिये तैयार नहीं है । गत निर्वाचनों में आधे से अधिक मतदाताओं की संख्या स्त्रियों की थी और यह विधेयक लगभग ६ करोड़ हिन्दू स्त्रियों की निर्योग्यता हटा रहा है । इसलिये यहां यह सोचना है कि क्या स्त्रियों को यह अधिकार दिया जाना है या नहीं । हम आपसे कोई दान नहीं मांग रहे हैं । यह वास्तव में स्त्रियों का अधिकार है ।

कुछ लोगों ने कहा कि केवल पुत्र ही पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लेते हैं इसलिये पिता की सम्पत्ति में उन्हीं का भाग होना चाहिये । इसलिये यह चीज़ गलत है । माता-पिता में पुत्र और पुत्रियों दोनों को ही रुचि होती है । कुछ मामलों में माता-पिता के लिये पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां बहुत कुछ करती हैं ।

एक सुझाव यह है कि पुत्री को ससुर की सम्पत्ति में से हिस्सा मिले, पिता की सम्पत्ति में से नहीं । पहले मेरा भी कुछ यही विचार था किन्तु बाद में मैंने समझा कि यह ठीक नहीं होगा । पुत्री के लिये ससुर की अपेक्षा पिता की भावनायें अधिक कोमल होती हैं । फिर, यदि पुत्री ससुर की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनेगी तो उसके विवाह में बहुत कठिनाई होगी । इसलिये अब मेरा विचार यही है कि उसे पिता की सम्पत्ति में ही उचित हिस्सा मिलना चाहिये । मैं इस बात में विश्वास नहीं करती कि इससे बहनों और भाइयों में शत्रुता पैदा हो जायगी । मुझे विश्वास है कि भाइयों के यहां बहनों का सदा स्वागत होगा ।

श्री बी० डी० पांडे (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर जो यहां दो रोज़ से वाद-विवाद चल रहा है उसको मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री बी० डी० पांडे]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने इस बिल का विरोध किया है लेकिन मैं यह चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं स्त्रियों को अधिकार दिये जाने का विरोधी नहीं हूँ। मैं स्त्रियों को उनके पतियों की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार दिलाये जाने के पक्ष में हूँ। वैसे यह हर एक को मालूम है कि आज स्त्रियां हमारे घरों की महारानियां होती हैं और गृहलक्ष्मियां कहलाती हैं और हम लोग और हमारे लड़के जो भी पैसा कमा कर लाते हैं वह सब इन्हीं देवियों के हाथ पर रख देते हैं और घर का सारा काम-काज वे ही चलाती हैं और मानना पड़ेगा कि वे बड़े सुचारू रूप से चलाती हैं। आज इस बात से कौन इंकार करेगा कि हमारे घरों में लड़कियों और लड़कों के लालन-पालन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता बल्कि देखने में तो यह आता है कि लड़कियों को उनके मां-बाप कुछ ज्यादा प्यार करते हैं और जैसा कि मेरी एक बहन ने यहां पर कहा था कि लड़कियों का लालन-पालन ठीक नहीं होता है और उनका जीवन बड़ा दुःखमय व्यतीत होता है, उसमें कोई सार नहीं है और ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा दुर्जन पिता शायद ढूंढ़ने से एक आध मिल जाये जो इस तरह का बुरा व्यवहार अपनी लड़कियों के साथ करता हो, वरना आमतौर पर यही देखने में आता है कि लड़कियों का लड़कों के समान लालन-पालन होता है और उनको हर तरह से सुखी रखने की कोशिश की जाती है। हर मां-बाप की यही ख़्वाहिश और कोशिश रहती है कि किसी तरह मेरी लड़की के हाथ पीले हो जायं और वह अच्छे घर जाय और उसका वैवाहिक जीवन सुख से बीते और अगर दुर्भाग्यवश ससुराल में उसको सुख नहीं रहता और दुःख में रहती है तो पिता उसको अपने पास बुला लेता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई एक आध ही दुर्जन हिन्दू कुटुम्ब होगा जिसमें लड़कियों को दुःख दिया जाता होगा। सज्जन पुरुष कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मेरा इससे विरोध नहीं है। मैं तो अब अपनी आखिरी मंजिल पर हूँ, ७५ वर्ष का हो चला हूँ। बदायूं में २० हज़ार का गांव कभी मेरा होता था उसको सरकार ने छीन लिया और उसके बदले में ४ हज़ार रुपये का बौंड मिला है। इसके अलावा पहाड़ पर एक छोटा-सा मकान और कुछ ज़मीन है, बस यह ही थोड़ी-सी जायदाद मेरे पास है और मैं आपको बतलाऊँ कि मेरी लड़कियों ने लिख कर दे दिया है कि आपकी जायदाद में हम हक़ नहीं लेंगी। इस विषय पर बोलते हुए हमारी बहन श्रीमती शिवराजवती नेहरू और श्रीमती उमा नेहरू ने जो कि नेहरू ख़ानदान की प्रतिष्ठित महिलायें हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कुटुम्ब टूटता है तो हम जायदाद नहीं लेंगी, यह उदारता का परिचय उन्होंने दिया है। और स्त्रियों की इसी उदारता और धर्मपरायणता पर हिन्दू धर्म स्थापित है और हमारी देवियों ने ही हिन्दू धर्म को अभी तक बचाया है और कायम रक्खा है और धर्म के ख़ातिर हमारी बहनों ने मुसलमानों के तरह-तरह के अत्याचार सहे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविन्द सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी सरीखे हिन्दू वीरों ने मुगलों के अत्याचारों के सामने सिर नहीं झुकाया बल्कि उनका डट कर मुक़ाबला किया और हिन्दू धर्म को बचाया। हमारे देश में महात्मा बुद्ध ने यह समानता की बात चलाई थी कि सब समान हैं लेकिन स्वामी शंकराचार्य ने उस बात को उलट दिया। हमने देखा कि जब मुसलमान एक हाथ में तलावार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर निकल पड़े और हिन्दुओं पर तरह-तरह के अत्याचार करने लगे और उनके सामने यह चीज़ रक्खी कि या तो मुसलमान बन जाओ वरना तुमको कत्ल कर दिया जायेगा, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और शिवाजी यह सब सामने आये और हिन्दुओं को बचाया। मुसलमानों के बाद जब इस देश में अंग्रेज़ आये तो उन्होंने हमारे धर्म पर प्रत्यक्षतः तो कोई आघात नहीं किया लेकिन यहां पर ईसाई पादरियों द्वारा ईसाई धर्म का गांव-गांव में प्रचार कराया जाने लगा और उस चुटिया कटिंग कम्पनी ने भोले-भाले और अनपढ़ लोगों को यह बहकाया कि अगर तुम ईसाई हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जायगा और तुमको नजात मिलेगी और उन ईसाई पादरियों के झूठे बहकावे में हमारे बहुत से लोग आकर ईसाई बन गये लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म पर प्रत्यक्ष कभी आघात नहीं कया। इससे हमें स्वामी दयानन्द ने बचाया।

अब यह जो पुरुषों और स्त्रियों में समानता लाने की बात हर तरफ से सुनने में आती है तो उस के लिये मेरा कहना है कि उसका इलाज मनुष्य के पास नहीं है और इसके लिये तो भगवान से ही शिकायत करनी चाहिये कि उसने एक को पुरुष क्यों बनाया और दूसरे को स्त्री क्यों बनाया ? स्त्री और पुरुष में जो भेद है वह प्रकृति ने ही बनाया हुआ है और आप कितनी ही कोशिश करिये वह मिटने वाला नहीं है। अब घर तो पिता या लड़का ही चलाता है और धन उपार्जन करता है जब कि स्त्री का काम उस धन से गृहस्थी का कार्यभार ठीक तरह से चलाना होता है और वह घर की व्यवस्था करती है और वह अपने काम को बहुत उत्तम रीति से करती है।

हम को कोई तकलीफ नहीं है। यह है बटवारा काम का, हमारे कुटुम्ब में। आप इस बटवारे को तोड़ना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या स्त्रियों में इतनी क्षमता आ गई है कि वह सारी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर लें। फिर सम्पत्ति के साथ विपत्ति भी तो होती है, राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, उन को कौन लेगा ? अगर आप उन को बराबर का अधिकार सब बातों में दे रहे हैं तो क्या वह मैनेज (प्रबन्ध) कर लेंगी। पहले तो मेरे पास काफी सम्पत्ति थी, बीस हजार की थी, खूब मौज से खनाखन रुपया आता था, बैंक बैलेंस था। अब बैंक बैलेंस एक पैसा नहीं है। पहले जमींदार था, शान से रहता था, अब वह सब कहां है ? सब कुछ तो छिन गया, राजा महाराजा जो थे उन के पास का सब कुछ छिन गया, फिर मैं तो एक छोटा-सा जमींदार था, मेरे पास अब है क्या ? मैं तो मिताक्षरा से बच जाऊंगा, बिल से बच जाऊँगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो कुछ इन्तजाम कर लेंगे, लेकिन हमारे यहां एक खस जाति के लोग रहते हैं हिमालयन रेन्ज में। उन के पास छोटे-छोटे खेत होते हैं, नंगी क्या निचोड़ेगी और क्या नहायेगी। पढ़े-लिखे लोग देंगे और देते हैं, पैसा देंगे, टका देंगे, लेकिन वह बेचारे क्या देंगे ? उनके ऊपर तो आपत्ति ही आ जायेगी। मैं देहातों में देखता हूँ, चार आने का हिस्सा, दो आने का हिस्सा। मैं ने देखा है कि पहाड़ों के लोग यहां आते हैं, बरतन मलते हैं, छोटे-छोटे काम करते हैं। उनके पास पैसा नहीं, बुद्धि नहीं, विद्या नहीं। उनकी क्या हालत होगी ? उनके कुटुम्ब का कैसे गुजर होगा। हम तो अपनी विद्या के बूते से, विवेक से सब कुछ ठीक कर लेंगे। आखिर यहां विद्या का बटवारा तो हो ही नहीं रहा है, पैसे का बटवारा हो रहा है।

बुद्धिर्यस्य बलंतस्य निर्बुद्धेस्तु कुतोबलम्

निर्बुद्धि के तो बल होता नहीं। जो यहां पर आये वह बलवान हैं, सबको समान अधिकार है, जो चाहेंगे कर लेंगे, जो देहातों के निर्बुद्धि लोग हैं उनका क्या होगा ? पाटस्कर साहब आज हमारे मनु बन गये हैं। वह कहते हैं कि मनु को न मानो, याज्ञवल्क्य को न मानो, रामायण को मत मानो, गीता को मत मानो, मुझ को मानो और मुझ पर ईमान लाओ। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन बेचारे देहात वालों का क्या होने वाला है। मुझे क्या है, मेरी जिन्दगी तो खत्म हो गई, मैं ७५ वर्ष का हूँ, दो एक बरस और भगवान दे देगा तो रह जाऊंगा, नहीं देगा तो चला जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा वसीयतनामा तो तैयार है, एक दफा मैं बहुत बीमार हुआ, डाक्टरों ने कहा यह तो खत्म हो जायेगा। मैंने वसीयत-नामा लिख कर रख दिया।

एक माननीय सदस्य : उस में सुधार कीजियेगा इस ऐक्ट के मुताबिक ?

श्री बी० डी० पांडे : मुझ को तो यह टच नहीं करता। मेरी लड़की बड़ी बुद्धिमती है, उसने कह दिया कि पिता जी, मैं नहीं लेती हूँ, मेरे लेने से कुटुम्ब टूट जायेगा। यह कहा जाता है कि और कोई नहीं सिर्फ नेहरू इस बिल को चाहते हैं। किन्तु नेहरू खानदान की दो प्रतिष्ठित महिलाओं ने स्वयं अपना त्याग दिखा दिया है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर कौन इस बिल को बना रहा है। हमें अपनी फिक्र नहीं है, हम तो अपनी चीज़ को ठिकाने लगा लेंगे, लेकिन देहात वालों को बिल्कुल चौपट करने वाला यह बिल लागू किया जा रहा है। मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन मेरी वसीयत को आप समझ लें। आप को इस बिल को बदलना पड़ेगा। सरकार को बहुत सम्भल कर इसको अमल में

[श्री बी० डी० पांडे]

लाना होगा क्योंकि इसकी वर्किंग (संचालन) मुश्किल है। हमारी यू० पी० गवर्नमेंट ने यह तय कर दिया है कि ६ एकड़ से नीचे जमीन नहीं बंटेगी। ३० एकड़ की तो सीलिंग (अधिकतम सीमा) रक्खी गई है। अब आप का रुपया सारा बट जायेगा, कैश बट जायेगा, जमीन बट जायेगी, ऐग्रिकल्चरल लैंड भी बट जायेगी, लेकिन दूसरी तरफ जमीन का इन्तजाम कौन करेगा ? ससुराल और मायके दोनों जगहों की जमीन का इन्तजाम कौन करेगा ? सिर्फ बेचारी लड़की झगड़े में पड़ेगी। जो भी लड़की के पास जायेगा जमाई उस को खा जायेगा। जोड़-जोड़ कर मर जाओगे, और माल जमाई खायेंगे। असल बात यह है कि लड़की के हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है इस को आप अच्छी तरह से समझ लें। यहां पर सब सज्जन बुद्धिमान हैं, मैं भी वृद्ध हूँ, मैं भारत का भला चाहता हूँ, बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं पश्चिमी सभ्यता को नहीं लाना चाहता, लेकिन वहां पर भी ऐसा कानून नहीं है कि लड़की इधर भी जायदाद ले उधर भी ले। अगर लड़की को जायदाद मिलेगी तो भी वह कहेगी, यह क्या है, हमारी जायदाद तो ससुर ही खा जायेंगे। वह कहेंगे लड़की से कि ला अपने बाप के यहां से जायदाद का हिस्सा। यह जायदाद ला, वह जायदाद ला। फिर यहां राइट आफ प्रिएम्शन (पूर्व क्रियाधिकार) भी है। इस कानून को अमल में लाना बड़ा कठिन होगा। इसलिये इस नियम को बनाने से पहले हम को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये। मेरी विनती है कि बड़े भाग्य से पाइये दाद, खाज और राज। हमें गांधी की सत्य और अहिंसा की नीति से यह राज्य मिला है, इस को सत्य और अहिंसा से रखिये। राम का राज्य आने से पहिले भरत ने १५ आ० टैक्स माफ कर दिया। लोग कहेंगे कि यह भाई का राज्य ले बैठा है, इसलिये उन्होंने १५ आ० टैक्स कम कर दिया, सिर्फ एक आना ही रक्खा जब कि रामचन्द्र १ रु० लेते थे। ऋषि मुनियों से पूछा गया कि भरत का राज्य कैसा है। उन्होंने कहा कि राम का राज्य राम का ही है, लेकिन भरत ने १५ आ० टैक्स कम कर दिया। और यहां पर सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। हम बहनों को जरूर देंगे लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कितनी सर फुटौवल होती है। बहनों ने कहा कि हमने वोट दिये हैं। यह बात नहीं है कि आगे वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो मिलेंगे ही, हम और आप देंगे। लेकिन जो जायदाद हम देते हैं वह बहनों के पास जानी चाहिये, पैसा और रुपया उन की जेब में आना चाहिये न कि जमाई और ससुर की जेब में। आप के पति के घर में जो जायदाद है उसकी आप मालिक होंगी। मेरे घर में मेरी स्त्री मालिक है और सब प्रबन्ध वही करती है, मैं तो एक पैसे का हिसाब नहीं जानता हूँ। सब कुछ वही करती है, वही संभालती है। लेकिन कहां उस का तिरस्कार होता है। हिन्दू धर्म में तो मान लिया गया है कि :

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमते तत्र देवता:'

आप मनु को गाली देते हैं, आज जो तिरस्कृत है, त्रस्त है उसके लिये मनु ने कहा है कि उसकी पूजा होनी चाहिये। स्त्री के लिये कहीं भी मनु ने या याज्ञवल्क्य ने कटु शब्द नहीं कहे हैं। कहीं भी उन्होंने स्त्री का निरादर नहीं किया है। आज कौन है जो स्त्री को नहीं देना चाहता है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिये कि किस तरह से उसको जायदाद मिलेगी और उसके पास रहेगी। अगर आप एक यहां की कमाई दूसरे के यहां दे देंगे तो यहां के कुटुम्ब टूट जायेंगे, यह ठीक नहीं है। मेरी आप से यही विनती है। आप इस कानून को मैजारिटी से स्वीकार कर लेंगे यह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ यहां हो उस से भारत में सुख और शांति हो। मेरा अल्टिमेटम (अन्तिम उद्देश्य) सुख और शांति है। मैं भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ कर जहां हिमालय में शिव रहते हैं वहां जाना चाहता हूँ। आप पिंड दान करें, श्रद्धा करें, हमें पाटस्कर साहब को भी पिंड देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस शुभचिन्तन के बाद आपको कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री बी० डी० पांडे : जिस तरह से स्त्रियों का भला हो उस को करने का मैं पक्षपाती हूँ। उनके पास जायदाद रहेगी, पैसा रहेगा, हजारों रुपया वह दहेज में लायेंगी। मैंने अपनी दो लड़कियों को

और एक नातिन को ग्रेजुएट बनाया है और उनको अच्छे-अच्छे घरों में दिया है। शायद ही कोई हिन्दू ऐसा होगा जो अपनी स्त्री को, माता को बहन को कष्ट देता होगा। बहरहाल मैं पति की जायदाद में स्त्री को हक देने का पक्षपाती हूं, और पिता के घर में नहीं। इतना ही मेरा निवेदन है।

†**श्री डाभी** : मैं एक उदाहरण द्वारा यह बताना चाहूंगा कि खंड ६ के परन्तुक को व्याख्यासहित क्रियान्वित करने का क्या प्रभाव होगा और बिना व्याख्या के क्रियान्वित करने का क्या प्रभाव होगा।

मान लीजिये कि मिताक्षरा समांशी में किसी हिन्दू की सम्पत्ति है और वह अपने पीछे दो पुत्रों और एक पुत्री को छोड़ जाता है। मान लीजिये कि समांशी सम्पत्ति का मूल्य ९,००० रु० है। खंड ६ के परन्तुक को बिना व्याख्या के लागू करने पर प्रभाव यह होगा कि पुत्री को केवल १,००० रु० मिलेगा। किन्तु यह पुत्री के प्रति उचित नहीं है। इसको महसूस करने पर व्याख्या जोड़ी गयी। किन्तु उसको लागू करने का प्रभाव यह होगा कि ९,००० रु० की सम्पत्ति में से ३,००० रु० पुत्री को मिल जायेंगे। किन्तु मेरी राय में पुत्रों के प्रति यह उचित चीज़ नहीं है।

मैं पुत्रियों को बराबर हिस्सा देने के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु भाइयों द्वारा अर्जित सम्पत्ति में से बहनों को अनिवार्य रूप से हिस्सा दिये जाने के विरुद्ध हूं। हम जानते हैं कि हिन्दू परिवारों में लड़कियां धनार्जन नहीं करतीं और विवाह होने पर वे अपने पतियों के घर चली जाती हैं। किन्तु लड़के सम्पत्ति अर्जन में बड़ा भाग अदा करते हैं। इसलिये भाई द्वारा अर्जित सम्पत्ति में से बहन को हिस्सा देना उचित नहीं होगा। इसका परिणाम केवल यह होगा कि भाई सदा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का बंटवारा चाहेंगे और इसका बंटवारा होने पर पुत्रियों को भी कोई लाभ नहीं होगा।

विधि मंत्री जी ने कहा कि विधेयक का आशय मिताक्षरा परिवार को समाप्त करने का नहीं है, किन्तु यदि यह खंड समाप्त हो गया तो इसका प्रभाव यही होगा कि संयुक्त मिताक्षर परिवार समाप्त हो जायेगा।

जैसा मैंने कहा, मैं पुत्रियों को भाई के बराबर पूरा हिस्सा देने के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु मेरी आपत्ति यह है कि यदि पुत्रों ने भी समांशी सम्पत्ति में योगदान दिया है तो उनके योग में पुत्रियों को हिस्सा न मिले। इसी कारण मैंने संशोधन संख्या १६७ प्रस्तुत किया है। इससे भाई और बहन दोनों के प्रति न्याय होगा।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा––रक्षित अनुसूचित जातियां) : यही समय है जब कि अपने सामाजिक या आर्थिक जीवन के प्रति अपना रुख, अपना तरीका और अपनी पद्धति हमें बदलनी चाहिये। देश की आधुनिक महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु श्री टंडन जी की बातें सुन कर मैं केवल यही कहूंगा कि उन्होंने आधुनिक महिलाओं को ठीक-ठीक तौर पर नहीं समझा है। यह बिल्कुल निर्विवाद है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हिस्सा देना होगा, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिये समान अवसर का समर्थन करते हैं।

अपने केरल राज्य में उत्तराधिकार की एक बहुत प्रगतिशील पद्धति थी। चालीस वर्ष पूर्व हमने लगभग सात विधेयक पारित किये थे किन्तु वे सभी अब रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि यह विधेयक उतना प्रगतिशील नहीं है। उत्तरी भारत के लोग सोचते हैं कि वहां केवल मरुमक्कटयम् पद्धति प्रचलित थी किन्तु वह केवल अल्पसंख्यक जाति में ही प्रचलित थी। किन्तु वहां की अन्य जातियों में इंगलैण्ड की सामान्य विधि जैसी उत्तराधिकार-विधियां थीं। यदि यह विधान हम पारित करते हैं तो अपने राज्य की कुछ प्रगतिशील प्रथाएं और विधान समाप्त हो जायेंगे। परिणाम यह होगा कि हमारे राज्य की स्त्रियां इस विधान का शिकार हो जायेंगी। म नहीं समझता कि इस विधेयक में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन किया

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेलायुधन]

गया है। मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर ने जो हाल में संशोधन रखा है उससे तो वह सब छीन लिया गया है जो मूल विधेयक के अधीन हम स्त्रियों को देना चाहते हैं। मेरे विचार से मंत्री कांग्रेस दल के बोझ से दब गये हैं जिसका यह परिणाम है कि विधेयक वह नहीं है जिसकी कि हम आशा करते थे।

मेरे विचार से सारा उपद्रव इस कारण हुआ है कि लोग दूसरों के मन्थे अधिक धन और संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं। जब कि हम भूमि और वेतनों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की सोच रहे हैं, तब संपत्ति के वितरण के प्रश्न पर इस प्रकार का वाद-विवाद मैं बिलकुल निर्थक समझता हूं।

अब भारत में महिलाओं की क्या दशा है? तथ्य यह है कि भारतीय महिलाओं का बहुत अधिक शोषण किया गया है और दुनिया के किसी भी अन्य भाग की महिलाओं से वे अधिक पीड़ित हैं। यद्यपि खंड ६ द्वारा स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया जा रहा है फिर भी माननीय मित्र श्री पाटस्कर द्वारा रखे गये संशोधन से वह अधिकार छीन लिया जा रहा है। अतः मेरे विचार से हिन्दू कोड के बारे में चर्चा निरर्थक है। वास्तव में केरल की स्त्रियों को जो कुछ दिया गया है वह इससे छीन लिया जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि जहां तक हमारे हितों का सम्बन्ध है, पुरुषों को स्त्रियों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। लोग इस प्रकार बातें करते हैं जैसे वे यहां विदेशी हों, जैसे कि भारत की प्रत्येक स्त्री किसी अन्य देश की हो। मेरे विचार से इस विधेयक के प्रति यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। इस विधेयक की ओर हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि उससे देश में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो रहा है। मेरे विचार से इस विधान से हिन्दू समाज संगठन और हिन्दू समाज व्यवस्था को नया बल, नयी शक्ति और एकता प्राप्त होगी। कांग्रेस से मेरी प्रार्थना है कि वह इस दृष्टिकोण से अर्थात् समझौता और समन्वय की दृष्टि से यह विधेयक स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्तुत किये गये संशोधनों के अलावा पंडित ठाकुर दास भार्गव संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करना चाहते हैं यह ६६ जैसा ही संशोधन है, जो श्री के० पी० गौंडर द्वारा प्रस्तुत हुआ है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैंने अनेक पूर्ववक्ताओं के भाषण सुने हैं और उनके तर्क सुन कर मुझे यह विश्वास हुआ है कि स्वाभाविक प्रेम और रक्त सम्बन्ध की अपेक्षा सम्पत्ति अधिक दृढ़ता से रखनी है। सभी प्रकार के असंगत तर्क यह सिद्ध करने के लिये रखे गये हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्र के अधिकार के बिना न हम धर्म की, चरित्र की और न प्राचीन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। एक तर्क में अविभक्त परिवार पद्धति को बचाने का प्रश्न रखा गया था। अब समय बदल गया है और हमारे देखते-देखते उस पद्धति का ढांचा गिरता जा रहा है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि अविभक्त परिवार पद्धिति का प्रश्न सामने रखने वाले लोग ही पुत्र को विभाजन की मांग करने का अधिकार दिये जाने का आग्रह कर रहे हैं। आज यह विभाजन क्यों मांगा जा रहा है? इसलिये कि आधुनिक समाज के लिये आज व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है। अतः आज सर्वोत्कृष्ट यही है कि हम इस प्रश्न की ओर इस दृष्टिकोण से देखें कि क्या उससे हमारे समाज को, हमारे स्त्री पुरुषों को और हमारे परिवार को लाभ होगा।

अब नये विचारों का उदय हुआ है। हम जानते हैं कि अविभक्त परिवार व्यवसाय आयकर से बचाने के लिये बहाना है। व्यापार के भी अब नये विचार उत्पन्न हुए हैं जैसे लिमिटेड कंपनियां, साझेदारी आदि। अतः सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह समय के साथ कदम रखे और हमें गतिशील दृष्टिकोण से इस विधेयक पर विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड ६ में, संपूर्ण वाद-विवाद मिताक्षर के प्रश्न पर हुआ है अर्थात् मिताक्षरा परिवार में उत्पन्न स्त्री को अधिकार मिलना चाहिये या नहीं। हम दायभाग स्कूल के हैं और एक बार स्त्री को अपने भाई के बराबर अधिकार का विश्वास दिये जाने पर उसे समान अंश मिलता है। जब श्री टंडन यह कहते हैं कि मिताक्षर हिन्दू धर्म की सभी अच्छी बातों का सार है मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैंने अभी मलाबार में देखा है कि वहां स्त्रियों को अधिकार और भूमि सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है किन्तु हिन्दू धर्म अपने उच्चासन से नीचे नहीं गिर गया है।

†**श्री टंडन** (जिला इलाहाबाद—पश्चिम): मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है जो मेरे माननीय मित्र हम पर लादना चाहती हैं। मैंने मिताक्षरा विधि और दक्षिण भारत में प्रचलित विधि में कोई भेद-भाव नहीं किया है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : मैंने मलाबार में देखा है कि वहां स्त्रियों को अधिकार और भूमि सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। मैं भाइयों के रुख को समझती हूं जिन्हें अब तक संपत्ति में पूर्ण अधिकार मिलते रहे। बिना लड़े वे अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। किन्तु मुझे श्रीमती उमा नेहरू का यह भाषण सुनकर कि स्त्रियों को भूमिगत अधिकार नहीं मिलने चाहिये, सबसे अधिक दुःख हुआ है।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : ऐसा मालूम होता है कि लोग अब यह सोच रहे हैं कि स्त्रियों को भूमि सम्बन्धी अधिकार और पुरुषों की तरह बराबर अधिकार दिये जाने से कोई हानि नहीं होगी। अतः मेरी यह धारणा है कि इस विधेयक द्वारा स्त्रियों को संपत्ति रखने का जो अधिकार दिया जा रहा है वह उचित है।

मैं उन लोगों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि यह विधेयक स्त्रियों के लिये धोखा है। जो राशि उन्हें दी जा रही है वह प्रतिदिन घटायी जा रही है। संयुक्त समिति में विचार करते समय खंड ६ में कहा गया था कि पुत्री का अंश निर्धारित करते समय विभक्त पुत्र की संपत्ति का भी विचार किया जाना चाहिये और उसके बाद ही विभाजन हो। उस समय भी हमने बताया था कि कुछ दशाओं में पुत्री को और कुछ दशाओं में पुत्र को कम मिलेगा। इसी कारण हम में से कुछ को विश्वास दिलाया गया है कि हम पुत्र और पुत्री को बराबर अधिकार नहीं दे सकते। किन्तु सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं थी कि मिताक्षरा को समाप्त कर सभी स्थानों में दायभाग प्रारंभ करे। अतः संयुक्त समिति ने यह सोचा कि जब कि स्त्री को शिक्षा नहीं प्राप्त होती, धन कमाने और सामाजिक उत्पादन में हाथ बंटाने के अवसर नहीं मिलते, और समाज में उसका दर्जा नीचा होता है तब यदि पुत्री के पक्ष में थोड़ा संतुलन रहता है, तो उसे रहने दिया जाये। किन्तु राज्य सभा में वह अस्वीकृत हो गया। हम देखते हैं कि केवल अविभक्त पुत्र की तुलना में ही पुत्री का अंश अधिक होगा। अब हम यह देखते हैं कि उसे भी हटाकर एक नयी व्याख्या जोड़ी जा रही है। इसके द्वारा थोड़ा और प्राप्त होगा क्योंकि विभक्त पुत्रों को वसीयत रहित पिता की संपत्ति में और अंश मांगने का अधिकार न होगा। यदि यह व्यवस्था भी निकाल दी जाती है, तब तो हमें जो भी कुछ प्राप्त है, सब चला जायगा।

आगे खंड ३२ है। हम पूर्वजों की संपत्ति की वसीयत बनाने का अधिकार भी दे रहे हैं। पिता अथवा अविभक्त परिवार के पास यह एक दूसरा शस्त्र होगा जिससे कि पुत्री को पूर्वज संपत्ति का एक छोटा-सा टुकड़ा भी न मिल सके जो अन्यथा उसे मिलता। यह एक संरक्षण रखा गया है कि मकान विभाजित नहीं किया जायगा। मैंने उसका समर्थन किया था। वह हकसुभा का प्रश्न जिससे कि परिवार की संपत्ति परिवार के बाहर न जाये। ये सभी संरक्षण दिये गये हैं फिर भी इस प्रश्न पर इतनी गरमा-गरमी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मैं देखती हूं कि अनेक असंगत तर्क रखे गये हैं। मैं चाहती हूं कि सभा परिवार के कल्याण की दृष्टि से संपूर्ण प्रश्न पर विचार करे। मैं माननीय सदस्यों से इस विषय में सहमत नहीं हूं कि अलग अलग परिवारों में रहने से स्वाभाविक प्रेम नष्ट हो जायगा। आजकल अधिकतर ऐसा परिवार बनता जा रहा है जिसमें माता, पिता, बच्चे, बच्चों के बच्चे हों और ऐसे परिवार में यदि पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है या स्त्री को अपने पिता से मिलता है तो वह परिवार के कल्याण के लिये ही काम आयेगा। ऐसी दशा में भाई-बहन या पति-पत्नी में विवाद उठने का कोई कारण मैं नहीं देखती। मेरे विचार से हमें सर्वतोपरि परिवार के कल्याण को और स्वाभाविक प्रेम बंधनों को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की मंशा यह है कि स्त्रियों को जो आज हमारे कानून में समान अधिकार सम्पत्ति पर प्राप्त नहीं है या जो अन्याय समाज में उनके साथ हो रहा है, उसको दूर किया जाय। जहां तक इस क़ानून के उद्देश्य का सम्बन्ध है, वह बहुत अच्छा है परन्तु हमको देखना यह है कि क़ानून की रचना उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिस प्रकार की गई है उस रचना में कहां तक उस उद्देश्य की पूर्ति होती है और कहां तक वह उस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस धारा के ऊपर जो संशोधन आज इस सदन के सामने पेश हैं, उन पर हम विचार करें तो साफ पता लग जायगा कि जैसे-जैसे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो खामियां हमको दिखाई देती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे समस्या और जटिल होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि इस क़ानून की जो रचना है वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। अभी मुझे से पहले जिन माननीय सदस्या ने तक़रीर की है, उन्होंने अभी आपको बतलाया कि धारा ६ में जो संशोधन माननीय विधि मंत्री की तरफ़ से आज दिया गया है, उससे जो अधिकार सम्पत्ति का लड़की को या विधवा को दिया गया था, वह भी अधिकार बहुत कम हो जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सम्पत्ति के अंदर स्त्रियों के अधिकार में जो असमानता पाई जाती है, उस असमानता के मूल कारण को हमें दूर करना चाहिये और इस असमानता को दूर करने का एक मात्र उपाय यह हो सकता है कि आज जो मिताक्षरा कोपार्सनरी (समांशिता) के अन्दर हमारी स्त्रियां मेम्बर नहीं होतीं उनको उसमें शामिल कर लिया जाय और यदि मेरे अमेंडमेंट को यह सदन स्वीकार कर ले तो जो मूल कुठाराघात समानता के ऊपर है, उसको हम दूर कर देंगे और उस अमेंडमेंट की मंशा यही है कि जहां मिताक्षरा कानून में लड़के को अधिकार है, वहां लड़की को भी कोपार्सनरी का मेम्बर करार दिया जायगा और लड़के की बहु और मृत लड़के की विधवा इन सभी को कोपार्सनरी का मेम्बर समझा जायगा। यदि हम इन को मिताक्षरा क़ानून के अन्दर शामिल कर दें और लड़कियों, बहुओं और विधवाओं को भी मिताक्षरा के अंदर कोपार्सनरी में मेम्बर बना दिया जायगा तो फिर हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी और हमारी जो मंशा और उद्देश्य है वह भी पूरा हो जायगा और जो जटिल समस्या आज हमारे सामने है, वह भी ठीक तरह से हल हो जायगी। हमने अभी तक और भी बहुत से क़ानून पास किये हैं और यह कोई पहला ही क़ानून नहीं है। स्त्रियों को सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त नहीं था और इस असमानता और अन्याय को मिटाने के लिये हमने पहले भी एक आध क़ानून पास किया है। इस बुराई को दूर करने के लिये, इस अन्याय को मिटाने के लिये हमने पहले भी एक-आध कानून पास किये हैं। एक कानून हमने सन् १९३७ में **'हिन्दू वीमेन्स राइट टु प्रापर्टी ऐक्ट'** पास किया।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : आप का कौन-सा ऐमेन्डमेंट है ?

श्री कृष्ण चन्द्र : १९९। वह कानून हमने पास किया और उसमें स्त्री की सम्पत्ति में अधिकार दिया। लेकिन जब आज हम इस कानून की शब्द रचना को देखते हैं तो मालूम होता है कि जो अधिकार हमने पहले कानून के द्वारा स्त्री को दिया था उस अधिकार को भी यह कानून कहीं-कहीं पर कम कर रहा है। जैसा कि नथवानी साहब ने, जो कि मेरे पहले बोल चुके हैं, बतलाया कि माननीय मंत्री महोदय

का जो संशोधन हमारे सामने पेश है अगर स्वीकार हो जाता है तो सन् १९३७ के कानून के अन्तर्गत स्त्री का जो अधिकार सम्पत्ति में मिला हुआ है वह भी बहुत कम हो जाता है। सन् १९३७ में स्त्री को जो सम्पत्ति में अधिकार है वह इस तरह से है कि अगर हस्बैन्ड (पति) मर जाये और उसके दो लड़के हों, तो उसकी सम्पत्ति के तीन हिस्से होंगे। एक हिस्सा विधवा को मिलेगा और एक-एक हिस्सा दोनों लड़कों को मिलेगा। अब इस कानून के अन्दर जो हमारे माननीय मंत्री का संशोधन है, अगर उसको मान लिया जाय, तो विधवा को सम्पति का एक-तिहाई हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि जो पति का हिस्सा होगा, यानी एक-तिहाई, उस एक-तिहाई में से तीनों को मिलेगा। पति मर गया तो पति के मरने के बाद लड़के का हिस्सा तो एक-तिहाई रहेगा, पति का हिस्सा जो एक-तिहाई था उसमें तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। इस तरह से सन् १९३७ मे जो अधिकार हमने स्त्रियों को दिया था उस के अन्दर भी इस कानून से कमी हो जाती है।

दूसरी मिसाल मैं आपको बताऊं। हमने धारा ३२ में बिल (विरासत) करने का अधिकार दे दिया है। जहां-जहां हम मिताक्षर हिन्दू ला को जगह-जगह बदलने की कोशिश करते हैं, पैवन्द लगाने की कोशिश करते हैं, वहां समस्या और भी जटिल होती जा रही है। अभी तक बिल (विरासत) करने का अधिकार नहीं था। सम्पत्ति में जिस-जिस को अधिकार थे वह पवित्र अधिकार समझे जाते थे, कोई भी उनको मेट नहीं सकता था। अब हमने धारा ३२ के द्वारा इस रचना को बदल दिया और बिल करने का अधिकार दे दिया। बिल करने का अधिकार दे कर कोई अगर चाहे कि जो सन् १९३७ के कानून में विधवा को सम्पत्ति में जो हक मिला हुआ है उसे भी रद्द कर सकता है। एक ओर इस कानून के जरिये उस हक को और पूरा करने की व्यवस्था की है अर्थात् लिमिटेड ओनरशिप को ऐब्सोल्यूट ओनरशिप में बदल दिया है लेकिन दूसरी तरफ बिल करने का अधिकार देकर अगर कोई ससुर चाहे तो लड़के को विधवा को डिसइन्हेरिट (दायभाग से मुक्त) कर सकता है, वह बिल कर सकता है कि उसको कोई हक न मिले। सन् १९३७ के कानून में यह अधिकार नहीं था। आज जब हम यह अधिकार स्त्रियों को दे रह हैं तो दूसरी तरफ से जो अधिकार उन को पहले से मिले हुये हैं उनको छीन रहे हैं। यह उचित और न्याय की बात नहीं है।

अब देखने की बात यह है कि चाहे हम दूसरों से, जो कि इस बिल से इत्तफाक नहीं करते, कितने ही कहे जायें कि तुम प्रगतिशील नहीं हो, लेकिन यदि गौर से देखा देखा जाय तो हम को यह मानना पड़ेगा कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिये कानून की रचना करना जरा मुश्किल काम है। मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के विभाग ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिस कानून की रचना की है और जहां-जहां पर कठिन समस्यायें आ रही हैं उनको दूर करने के लिये जो संशोधन उसने सदन के सामने रखे हैं, उनसे वह अपनी असली मंशा से दूर ही होता जा रहा है। इसलिये मैं सदन की महिला सदस्यों से खास तौर पर प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर गौर करें कि उनको असली चीज की जगह कहीं परछाई मिल कर न रह जाय।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में सौराष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ससुर के अन्याय से कितनी ही स्त्रियों को सौराष्ट्र में आत्म-हत्यायें करनी पड़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी आत्म-हत्याओं को मिटाने के लिये आप के कानून में क्या व्यवस्था है? ससुर की सम्पत्ति में उनको अधिकार मिले, ससुर के यहां उनकी इज्जत हो, वह वहां पर गृहलक्ष्मी समझी जायें, इसके लिये क्या व्यवस्था आपने की है इस कानून में? कहीं भी और कोई भी इस बात का हवाला नहीं दिया गया है किसी स्त्री ने कहीं पर माता-पिता के दुर्व्यवहार के कारण आत्म-हत्या की हो, दूसरी तरफ माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस ससुर के दुर्व्यवहार से आत्म-हत्यायें हुई हैं, लेकिन इस कानून में इस को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

मैं अपनी महिला सदस्यों से जो कि इस सदन में हैं कहूंगा कि वह मुझे माफ करें अगर मैं उनसे यह कहूं कि वह हमारे हिन्दुस्तान की महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। आज अगर वह किसी का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो उन महिलाओं का कर रही हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं, समाज के अन्दर वह काफी आगे बढ़ चुकी हैं और उनकी स्थिति इतनी उन्नत हो गई है कि वह इस सदन के अन्दर आ गई हैं।

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जो अपने पतियों से भी आगे बढ़ गई हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : जो बेचारी बे पढ़ी लिखी स्त्रियां देहातों में रहती हैं, जिनके ससुराल में उनकी कोई इज्जत नहीं है, आज उनकी इज्जत रखने का सवाल है, आत्म-हत्यायें भी वही करती हैं जो कि बेचारो बेपढ़ी लिखी हैं। जिनको मालूम भी नहीं है कि आज उनके लिये कहां पर क्या हो रहा है, जो अपने अधिकारों को प्राप्त करना भी नहीं जानती हैं। यदि आप यहां पर उनका प्रतिनिधित्व करतीं तो ज्यादा अच्छा होता। यदि आप ऐसा करतीं तो आप कोशिश करतीं कि ससुर के घर में भी उनकी ज्यादा इज्जत हो। मेरा जो संशोधन है उसकी मंशा यही है कि वह अपने ससुर की सम्पत्ति में अधिकारिणी हों, वहां भी वे कोपार्सनर (समांशी) रहें और यहां भी। अगर आप ऐसा करें तब तो आप की जो असली मंशा है वह पूरी हो सकती है जहां पर असली दिक्कत स्त्रियों को है, जहां पर उनका परेशान किया जा रहा है, उसे आपको दूर करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम केवल उनको परछाई मात्र दे रहे हैं। यहां की महिला सदस्यायें मुझे माफ करेंगी, वह यह समझती हैं कि वह आज बहुत आगे बढ़ गई हैं, ससुर के यहां उनकी इज्जत है, इसलिये जो कुछ उनको करना है वह केवल यही कि मां-बाप की जायदाद में हिस्सा ले लें। लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि आज हमारे गांवों में करोड़ों ऐसी महिलायें हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जिन के लिये उनके घर में कोई इज्जत नहीं है, जो ज्यादातर पढ़ी हुई नहीं हैं, वह उनका ध्यान करें। जब वह उनका ध्यान करेंगी तो उनको पता चलेगा जिस कानून की रचना हम करने जा रहे हैं उसमें उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है।

श्री बंसल : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से, और वह सवाल यह है कि कृष्ण चन्द्र जी का जो ऐमेन्डमेंट है उसमें यह कहा गया है कि अनमैरिड डाटर्स (अविवाहित पुत्रियों) को भी कोपार्सनरी में हिस्सा मिलना चाहिये। मान लीजिये कि अनमैरिड डाटर्स को कोपार्सनरी का हिस्सा मिल जाय तो जब वह मैरिड हो जायेंगी तो वह हिस्सा उसके साथ ही जायेगा या कोपार्सनरी में ही रह जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं अपनी मंशा बता चुका हूं। हमारे मंत्री महोदय कानूनदां हैं, अगर कानून में कोई दिक्कत पैदा होती है तो यह उन का काम है कि उसको दूर करें।

श्री बंसल : आप क्या चाहते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : और अग्रेतर पारस्परिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

†**श्री एम० डी० जोशी** (रत्नगिरि—दक्षिण) : इस विधान का उद्देश्य कि नारियों को समानता दी जाये सचमुच बड़ा सराहनीय है। मैं इस सम्बन्ध में वेदों से उद्धरण नहीं देना चाहता हूं तथा न ही यह बताना चाहता हूं कि मनु ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है क्योंकि उन्होंने नारी को घर में उच्चतम पद पर सुशोभित किया है।

उपाध्यायान दशाचार्यः आचार्यणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणतिरिच्येत ॥

माता, सैंकड़ों पिता के समान है जिसका अर्थ है कि माता सैंकड़ों पिता से महत्वपूर्ण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता हम पर निगाह रखे हुए है। इसीलिये यहां बाज़ार जैसा वातावरण नहीं होना चाहिये। मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों को यह बता रहा हूं कि उनको सभा की मर्यादा रखनी चाहिये।

†**श्री एम० डी० जोशी :** विवाह के समय आशीर्वाद में कहा जाता है कि

सम्राज्ञी श्वशेरे भवसम्राज्ञीश्वश्रुवांमका।
ननान्दरि च सम्राज्ञी सम्राज्ञी अधिदेवषु ।।

विवाहित लड़की को घर की सम्राज्ञी कहा गया है। परन्तु मैं जानता हूं कि इस मर्यादा का सदा पालन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि नारियों को शिक्षा नहीं मिली और इसीलिये वह देश के राजनीतिक जीवन में पुरुषों के साथ भाग नहीं ले सकीं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका घर में भी अनादर होता है। इसलिये हिन्दू धर्म के दोष निकालना उचित नहीं है।

हमारी बहनें समानता की मांग कर रही हैं तथा संविधान से उन्हें समानता मिल भी गई है। परन्तु संविधान के अन्तर्गत उन्हें समानता मिलने से पूर्व ही जनजीवन में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह राज्यपाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सभापति आदि थीं तथा संसद के सदस्यों के रूप में वह अब भी हैं। मैं समझा नहीं कि अब यह समानता की मांग क्यों है तथा वह यह क्यों कहती हैं कि उनको समानता नहीं दी जाती है? इसका कारण वह यह बताती हैं कि उनको पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिलना चाहिये। समानता अब उत्तराधिकार में विकेन्द्रीकृत है।

हम जानते हैं कि नारी के साथ न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय अब भी न्याय करते हैं। बम्बई राज्य में पिता की मृत्यु के पश्चात् यदि कोई लड़का न हो तो उसकी सम्पत्ति लड़कियों में वितरित हो जाती है परन्तु इस विधान से यह व्यवस्था होने जा रही है कि पुत्र के होने पर भी विवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार होगा। माननीय मंत्री कहते हैं कि वह मिताक्षर पद्धति में गड़बड़ करना नहीं चाहते हैं। परन्तु सत्य यह है कि यह मिताक्षर पद्धति को पूर्णरूप से नष्ट करता है। इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा के पास एक तोता था तथा उसका आदेश था कि जो सेवक उस तोते की मृत्यु का समाचार लायेगा उसको भी मार डाला जायेगा। तोते के मर जाने पर सेवकों ने सोचा कि यह समाचार राजा को किस प्रकार दिया जाये। उनमें से एक सेवक राजा के समीप गया तथा उसने राजा को बताया कि तोता हाथ और पैर पसारे, निश्चेष्ट पड़ा है। राजा ने कहा कि कहो कि तोता मर गया। सेवक ने उत्तर दिया कि आप यह कह सकते हैं, मैं नहीं। ऐसी ही स्थिति इस समय है। माननीय मंत्री मिताक्षर पद्धति समाप्त करना चाहते हैं परन्तु कहलाना हम से चाहते हैं स्वयं कहना नहीं चाहते।

पुत्री का विवाह होने के पश्चात् वह नये परिवार का अंग बन जाती है। हमारी सभा में उपस्थित बहिनों का ध्यान केवल धनी परिवारों की ओर है तथा ग़रीब किसानों पर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया है। मान लीजिये एक निर्धन किसान के पास एक एकड़ भूमि तथा तीन बैल हैं तथा परिवार में दो पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। पुत्रियां भूमि तथा बैल दोनों में अपना भाग मांगेंगी जोकि उचित नहीं होगा।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** जब चार पुत्र होंगे तब वह क्या करेंगे।

†**श्री एम० डी० जोशी :** वह आपस में किसी प्रकार बंटवारा कर सकते हैं अथवा संयुक्त परिवार के रूप में रह सकते हैं परन्तु पुत्री तो दूसरे परिवार की होगी।

इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक विभाजन न हो पुत्री अपने पिता के घर में रह सकती है। मेरा माननीय मंत्री से यही कहना है कि इससे बहुत झगड़े होंगे तथा हिन्दू समाज बरबाद हो

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एम० डी० जोशी]

जायेगा । मेरा यही कहना है कि इससे नारियों की स्थिति में सुधार न होकर हिन्दू परिवारों में कलह की बढ़ोतरी होगी ।

हमें नारी को घर की नारी बनाना चाहिये न कि वह उस परिवार को नष्ट करने वाली बने जिसमें उसका जन्म हुआ है । इसी आधार पर मैंने संशोधन संख्या १०४ तथा १०५ प्रस्तुत किये हैं । मेरा नम्र निवेदन है कि मिताक्षर पद्धति बिल्कुल समाप्त की जा रही है इसलिये मुझे खेद है कि यह विधान जबरदस्ती जनता पर लादा जा रहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अन्तिम संशोधन का स्पष्टीकरण हो जाये क्योंकि उसके सम्बन्ध में कुछ सदस्यों को शंकायें हैं ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मेरा सुझाव है कि पहले उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाये जिन्हें शंकायें हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संभव है माननीय मंत्री महोदय शंकायें दूर कर दें ।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैंने संशोधन संख्या १९४ प्रस्तुत किया है जोकि माननीय मंत्री के संशोधन संख्या २०१ के समान है । इस प्रकार मैं अपने संशोधन का समर्थन कर रहा हूं । मैं समस्त विधेयक की चर्चा न करके केवल उसी खण्ड पर चर्चा करता हूं जिस पर विचार किया जा रहा है । यह खण्ड संयुक्त परिवार सम्पत्ति के सम्बन्ध में है तथा सभा इसी पर विचार कर रही है कि इस सम्पत्ति का किस प्रकार बंटवारा हो तथा महिला वारिसों को इसका लाभ किस प्रकार मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में तीन प्रकार के विचार हैं । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि संयुक्त परिवार सम्पत्ति को, इस विधेयक म रखना ही नहीं चाहिये । इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि तब इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि देश की अधिक सम्पत्ति, संयुक्त परिवार सम्पत्तियां ही हैं इसलिये मेरी राय है कि संयुक्त परिवार सम्पत्ति में महिला वारिस को अधिकार मिलना चाहिये ।

कुछ व्यक्तियों की यह राय है कि मिताक्षर पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये तथा तभी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में नारियों को समान अवसर मिल सकता है । मैं इस पर अधिक कुछ न कह कर, ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे दोनों पक्ष सहमत हों । तथा यही मेरे संशोधन में है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे हिन्दू समाज नष्ट हो जायेगा । परन्तु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे हिन्दू समाज का लाभ ही होगा । मैं इस सम्बन्ध में भी तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं । मुझे इस विधेयक की चर्चा सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक का कोई भी विरोधी नहीं है क्योंकि किसी ने अविवाहित पुत्री का पिता की सम्पत्ति में अधिकार का पक्ष लिया है तो किसी ने ससुर की सम्पत्ति में पुत्रवधु के अधिकार का समर्थन किया है । परन्तु इन सब बातों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है ।

पुत्री के पिता की सम्पत्ति में अधिकार के विरोध में दो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । एक यह कि इससे सम्पत्ति के बहुत टुकड़े हो जायेंगे तथा दूसरा जामाताओं की बेईमनी का है । ये दोनों तर्क बेकार हैं । चार अथवा छः पुत्र होने पर भी सम्पत्ति के टुकड़े होंगे तथा जामाता सभी व्यक्तियों के होते हैं ।

अब मैं संशोधन संख्या २०१ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । खण्ड ६ के परन्तुक पर कोई आपत्ति न उठा कर इसके स्पष्टीकरण पर अधिक आपत्ति उठाई गई है । परन्तुक में यह कहा गया है कि प्रत्येक नारी वारिस मृत समांशी के अंश की अधिकारिणी हो सकती है । परन्तु स्पष्टीकरण से अविभक्त

†मूल अंग्रेजी में ।

पुत्र की सम्पत्ति पिता की सम्पत्ति में सम्मिलित कर दी गई है। मैं भी इसका विरोधी हूं परन्तु इस कारण नहीं कि इससे सम्पत्ति में नारी को अंश मिल जायेगा प्रत्युत इस कारण कि मैं संयुक्त परिवार पद्धति का विरोधी हूं तथा उसको समाप्त कर देना चाहता हूं। मेरा विचार है कि इस स्पष्टीकरण से अविभक्त पुत्र के साथ अन्याय होगा। इसलिये मेरा विचार है कि नारियों को सम्पत्ति में भाग देने की व्यवस्था करते समय हमें ऐसा उपाय करना चाहिये जो परिस्थिति के लिये आवश्यक हो।

संशोधन यह है कि एक संयुक्त हिन्दू परिवार में समांशी की मृत्यु के पश्चात् यदि कोई नारी उत्तराधिकारिणी है तो उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार उत्तरजीविता से न होकर उत्तराधिकार से होगा। द्वितीय स्पष्टीकरण में दिया है कि यदि कोई पुत्र, पिता के जीवनकाल में अलग हो गया तो अलग हुआ पुत्र पिता के अविभक्त अंश में से अंश का दावा नहीं कर सकता है। यही मेरा संशोधन है। इससे पुत्र संयुक्त परिवार में रहेंगे तथा पिता की मृत्यु तक विभाजन का प्रयत्न नहीं करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि इस उपबन्ध से नारी उत्तराधिकारियों को कम मिलेगा। श्री कृष्ण चन्द्र ने बताया कि विधवा को इस संशोधन के कारण हानि होगी। यह सच है। परन्तु हम बहुत-सी नारियों को सम्पत्ति का अधिकार दे रहे हैं तब मां को कुछ कम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उसको अपने पिता की सम्पत्ति में अंश मिलेगा जो उसको अब तक नहीं मिलता था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री कृष्ण चन्द्र ने खण्ड ३२ के स्पष्टीकरण की ओर निदेश किया कि अविभक्त समांशी अपने अंश की वसीयत भी कर सकता है। वर्तमान समांशी विधि के अनुसार समांशी अपने अंश की वसीयत नहीं कर सकता है क्योंकि वह उत्तरजीविता से प्राप्त होती है। हम इसी सिद्धान्त को समाप्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक पिता के दो पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। दोनों पुत्र शिक्षित हैं तथा उनकी पर्याप्त आय है और सुचारू रूप से जीवन चल रहा है परन्तु एक पुत्री की पर्याप्त आय नहीं है तथा एक का विवाह नहीं हुआ है तो यदि आप खण्ड ३२ के अधीन पिता से वसीयत करने का अधिकार छीन लेते हैं तो उससे यह अधिकार छीनते हैं कि वह अपनी पुत्रियों की कोई सहायता न कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरा विचार है कि यह विधेयक हिन्दू-समाज की भलाई के लिये है। इससे नारियों को सभी सम्पत्तियों में पुरुषों के समान अंश मिलेगा। मेरा निवेदन है कि विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री का संशोधन सर्वोत्तम है जो कि स्वीकार किया जाना चाहिये।

†**श्री बर्मन :** मैंने स्वयं संशोधन संख्या १६६ प्रस्तुत किया है। उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। उसमें वही बात कही गई है जो कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित है। किन्तु अब सरकार द्वारा रखे गये संशोधन को देख कर मेरा यह कहना है कि यदि यह सरकारी संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा।

इस विधेयक के लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पुत्री को भी पिता अथवा अन्य पुरुष उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति का भाग मिल सके। इस विधेयक के संयुक्त समिति तक पहुंचने से पहले ही पुत्री की पुरुष उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति में हकदार होने की बात स्वीकार करली गई थी। किन्तु उसे मिताक्षरा समांशिता सम्पत्ति में साझीदार नहीं माना गया था। संयुक्त समिति में यह निश्चय बदल दिया गया और पुत्री को भी कुछ शर्तों के साथ समांशिता सम्पत्ति में भी भागी मान लिया गया। किन्तु जब संयुक्त समिति की यह रिपोर्ट राज्य सभा में गई तो उन्होंने पुत्री के अधिकार की उक्त बात को निकाल दिया क्योंकि उससे कुछ अन्य प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना थी। अतः अगर अब राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ है कि पिता के साथ केवल नाबालिग बच्चे ही रह जायेंगे। क्योंकि जो बच्चा बड़ा होता जायेगा वह

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वर्मन]

पिता से जायदाद लेकर जुदा होता जायेगा और फिर जब पिता की अवशेष सम्पत्ति का बंटवारा होगा उस समय भी वह उसमें से कुछ प्राप्त करने की आशा कर सकता है। भला इस प्रकार का संशोधन कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस सभा को यह संशोधन नहीं स्वीकार करना चाहिये।

फिर इसका विकल्प क्या है ? क्या हम इस पद्धति को बिल्कुल समाप्त करदें ? वास्तव में सम्पत्ति के बंटवारे की मिताक्षरा समांशिता पद्धति समाज के लिये इतनी हितकर नहीं है जितनी की यह किसी कुटुम्ब के लिये हितकर है। इससे सम्पत्ति का संचयन होता रहता है और आज समाजवादी राज्य में हम इसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं। फिर भी हमें इस दिशा में एकदम क्रान्ति नहीं लानी चाहिये। इस दृष्टि से माननीय मंत्री का संशोधन एक अच्छा समझौता पेश करता है। अतः मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

हमारे सामने यह समस्या है कि कैसे समांशिता सम्पत्ति को भी बना रहने दिया जाये और साथ ही स्त्रियों को भी उसमें साझीदार बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में कृषि-सम्पति का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संसद् को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। इस संशोधन के अनुसार वर्ग १ में आने वाली उत्तराधिकारणियों को ही समांशिता सम्पत्ति का भागीदार माना गया है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में मां को वर्ग १ में रखा गया था किन्तु राज्य सभा में उसे वर्ग २ में रख दिया गया है। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। माता को वर्ग १ में रखा जाना चाहिये। उसके साथ न्याय होना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माता और पिता दोनों को।

†**श्री बर्मन** : मैं यहां स्त्री साझीदारों का ही पक्ष ले रहा हूं। किन्तु यदि पिता को भी उसके साथ रखा जाये तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री द्वारा रखा गया संशोधन अवश्य सभा को स्वीकार्य होगा। इस अवस्था में मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा। किन्तु यदि यह स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं अपने संशोधन पर अटल हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण खंड है। इस पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं। अब माननीय सदस्य स्वयं ही यह निश्चय कर लेवें कि क्या वे अधिक देर तक बैठना पसन्द करेंगे अथवा उनको और कैसे बोलने का अवसर प्राप्त हो सकता है ?

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवाद कल ३ बजे तक जारी रखा जाय। इस खंड के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने में कोई हानि नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि इसमें यह विचार निहित है कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके तो कल ३ बजे तक भी सब सदस्य बोलना समाप्त नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ को छोड़ना ही पड़ेगा।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा विचार था कि सदस्य इस खंड ६ तक ही सीमित रहेंगे। अगर वे ऐसा करते तो हम अब तक सब विवाद समाप्त कर चुके होते। किन्तु अब भी जो व्यापक विवाद हो रहा है उसको देखते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसे आज ६ बजे तक जारी रखें। मुझे उत्तर देने के लिये केवल आधा घंटा चाहिये। किन्तु विवाद को इससे अधिक लम्बा नहीं करना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं इस समय माननीय मंत्री से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि खंड ६ के पारित हो जाने पर वह हमें इसकी अनुसूची के सम्बन्ध में संशोधन रखने से मना ही नहीं करेंगे क्योंकि इस समय हम केवल खंड ६ पर ही विचार कर रहे हैं उसकी अनुसूची पर नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** हां, मैं यह आश्वासन देता हूं कि खंड ६ के पास होने के बाद मैं इसकी अनुसूची के सम्बन्ध में संशोधन रखने के समय सदस्यों के बीच व्यवधान नहीं बनूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम ऐसा कर सकते हैं । माननीय मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं । किन्तु क्या हम और अधिक देर तक बैठना चाहते हैं ?

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** (पूर्निया व संथाल परगना) : मेरे विचार में यह सब कुछ विलम्ब करने की चालें हैं । हम इस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं । अब इस पर मतदान होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब निश्चय हो चुका है । अब और स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । अब श्री देवेश्वर सर्मा बोलेंगे ।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं और जिस रूप में यह विधेयक राज्य सभा से आया उसी रूप में उसका समर्थन करता हूं । मेरा निवेदन है कि यह सभा भी उसे उसी रूप में स्वीकार करे ।

मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री स्वयं इस पर एक संशोधन रख रहे हैं । कल उन्होंने कहा था कि मैं किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा । किन्तु आज के संशोधनों को देखते हुये स्पष्टतया कहा जा सकता है कि वह भी किसी न किसी प्रकार के दबाव में आ गये हैं ।

मैं माननीय मंत्री के संशोधन का भी विरोध करता हूं क्योंकि इसमें स्त्रियों को मूल विधेयक की अपेक्षा और भी कम दिया गया है । अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

इस विधेयक का गला घोंटने के लिये तरह-तरह के तर्क रखे गये हैं । कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें समाज की आर्थिक दृढ़ता का ध्यान रखना चाहिये । कुछ ने सन्तुलन की दुहाई दी है । कुछ ने यह कहा है कि स्त्रियों को सम्पत्ति देने से मुकद्दमेबाजी और भी बढ़ जायेगी । मैं इस तर्क को नहीं समझ पा रहा हूं । मनु से लेकर आज तक सभी पुरुषों ने स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखना चाहा है । किन्तु आज जहां पर उन्हें इस अधिकार से वंचित रखने के लिये जो युक्तियां दी जा रही हैं उन्हें सुन कर हमारी आत्मा छटपटा रही है । आखिर हम अपनी पुत्रियों, बहिनों और माताओं को सम्पत्ति का अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं ? जो संशोधन माननीय मंत्री ने रखा है यदि वह पारित हो जाता है तो विधवाओं को मूल विधेयक की अपेक्षा कहीं कम सम्पत्ति मिलेगी । यह कहा जा रहा है कि यदि मिताक्षरा पद्धति में स्त्रियों को भी साझीदार बना लिया जायेगा तो समाज में एक उथल-पुथल मच जायेगी । मैं ऐसे व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि आसाम और बंगाल के दाय भाग पद्धति के इलाकों में कौन सी प्रलय मच रही है ? क्या शिलांग आदि में जहां बड़ी लड़की को सारी सम्पत्ति मिलती है अधिक मुकद्दमेबाज़ी होती है ? मिताक्षरा पद्धति अविभाज्य हिन्दू कुटुम्ब व्यवस्था पर आश्रित है । किन्तु क्या बंगाल, आसाम तथा अन्य स्थानों पर जहाँ यह पद्धति नहीं है कुटुम्ब कम संयुक्त हैं ? बंगाल में भी इतने ही संयुक्त परिवार हैं जितने के अन्य किसी मिताक्षरा पद्धति वाले प्रदेश में हैं । मैं संयुक्त परिवार व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं । यह एक प्रकार का सामाजिक आश्रय है । मैं इसका स्वागत करता हूं । मेरी केवल यही इच्छा है कि परिवार के सभी सदस्य कमायें । दायभाग पद्धति भी इतनी ही अच्छी है जितनी कि मिताक्षरा । उनके परिवारों में भी बूढों, बच्चों, अनाथों आदि का भरण पोषण होता है ।

अतः मैं इस बात से असहमत हूं कि स्त्री को सम्पत्ति देने से परिवार विभाजित हो जायेगा । प्रत्युत यदि हमारी पुत्रियों और बहिनों को सम्पत्ति में भाग मिलने लगेगा तो उनका सहयोग और बढ़ जायेगा । यह कहना कि स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार देने से सम्पत्ति के टुकडे-टुकड़े हो जायेंगे, परिवारों में

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री देवेश्वर सर्मा]

अधिक कलह कलेश होने लगेंगे बिल्कुल अयुक्तियुक्त है। इससे किसी प्रकार का रहन-सहन का ढंग नहीं घटेगा। अगर लड़कों में जायदाद बांटी जा सकती है तो लड़कियों में बांटने में क्या हर्ज है ? हम यह विचार क्यों करते हैं कि लड़की को जायदाद देने से उसके घर वाले अर्थात् उसका पति अथवा उसका श्वसुर आदि हमारे शत्रु बन जायेंगे ? किन्तु इसके विपरीत यदि लड़के को पता होगा कि लड़की को जायदाद मिलने वाली है तो वह दहेज आदि नहीं मांगेगा। क्योंकि तब उसे पता होगा कि यह राशि उसको मिलने वाली सम्पत्ति में से ही घट जायेगी। इस प्रकार समाज का भी भला हो जायेगा।

मेरा विचार है कि यदि यह विधेयक बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया जाय तो विधवाओं तथा माताओं को अधिक भाग उपलब्ध हो सकता है।

हम इस विधेयक का पूर्णमनसः समर्थन करते हैं।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल––पश्चिम कटक) : हिमालय भारतीय समाज का प्रतीक है। हिमालय की भांति ही हमारा समाज भी अचल है। इसका प्रमाण यह है कि अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले और समाजवादी ढंग के समाज का नारा लगाने वाले हमारे शासक दल के सदस्य भी सामाजिक विधानों के मामले में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी सिद्ध हुए हैं।

हमने संविधान में स्त्रियों को सामाजिक समानता और पूर्ण मताधिकार दिया हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्य सभी क्षेत्रों में भी उनको समानता मिलनी चाहिये। और आज स्त्रियां इसी की मांग कर रही हैं।

समाजवादी समाज बनाने का अर्थ तो यही है कि स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार मिलने चाहियें। फिर जब मेरे माननीय मित्र स्त्रियों के लिये सम्पत्ति के विभाजन का विरोध करते हैं, तो उन्हें प्रतिक्रियावादी ही कहा जा सकता है। खण्ड ६ में यही किया गया है।

हम जब सम्पत्ति की बात करते हैं, तो उसमें हम भू-सम्पत्ति और अन्य सम्पत्तियों में विभेद नहीं करते हैं। सम्पत्ति के क्षेत्र में तो हर प्रकार की सम्पत्ति आ जाती है। यदि देश में पूर्ण औद्योगिककरण होता है तो फिर भू-सम्पत्ति का उतना महत्व नहीं रह जायेगा जितना कि औद्योगिक सम्पत्ति का होगा। इतना ही नहीं, अगले १०-१५ वर्षों में यह भूमि जोतने वालों को मिल जायेगी। आज समाज़ में भद्र कहाने वाले हम लोगों के पास इतनी अधिक भूमि नहीं रह जायेगी। तब फिर भू-सम्पत्ति के बारे में चिन्ता ही क्या है कि पुत्री को पुत्र का आधा अंश मिले या उसके बराबर ही अंश मिले ?

कुछ सदस्यों ने आपत्ति की है कि स्त्रियां सम्पत्ति की देखभाल करने योग्य नहीं हैं, इसलिये उन्हें सम्पत्ति नहीं दी जानी चाहिये। मैंने स्वयं देखा है कि स्त्रियां सम्पत्ति की देखभाल पुरुषों से अधिक अच्छी तरह से करती हैं। पुरुषों से वे एक बात में अवश्य ही कम हैं––वे उनकी तरह से षड्यंत्र करके किसी विधवा या अनाथ या नाबालिग की सम्पत्ति का हरण नहीं कर सकती हैं।

संयुक्त परिवार का तर्क भी बड़े जोरों के साथ दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि गत आधी शताब्दी में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कारण सरकारी नौकरियों की तलाश में ये संयुक्त परिवार बिखर चुके हैं। अब एक साथ रहने का सुख परिवारों में नहीं रह गया है; हां, पारिवारिक सम्पत्ति अभी बनी हुई है। संयुक्त परिवार तो टूट ही चुके हैं।

संयुक्त परिवार की प्रणाली में एक और बुराई है ––वह निकम्मे लोगों को प्रोत्साहन देती है, और यह बात हिन्दू समाज की प्रगति में बाधक बन जाती है। संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य तो जी तोड़ मेहनत करते हैं और कुछ बिना कुछ किये ही मौज़ उड़ाते हैं। इस सहयोग नहीं कहा जा सकता; क्योंकि सहयोग

†मूल अंग्रेज़ी में।

का अर्थ तो यही है कि सभी व्यक्ति सबके लिये कार्य करें। बिना कार्यशीलता के सहयोग नहीं चल सकता। इसलिये, इस देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिये आवश्यक है कि संयुक्त परिवार की प्रणाली को समाप्त किया जाये। औद्योगीकरण के साथ-साथ यह कार्य अपने-आप होता जा रहा है।

मैं इस विधान का समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि यह इससे भी अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर भी यह संतोष की बात है कि स्त्रियों के साथ न्याय करने वाला एक विधान हमारे सामने आया है, जो संविधान के निदेशक तत्वों के कुछ अनुकूल है। मैं जानता हूं कि यह पारित हो जायेगा, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुरदास भार्गव।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने संशोधन संख्या ३६, १९६, १९७ और २१३ की सूचना दी है। प्रश्न यह उठता है कि क्या श्री सी० सी० शाह और माननीय मंत्री के संशोधन स्वीकार किये जाने चाहियें? श्री नथवानी ने खण्ड २१ का भी उल्लेख किया है। खण्ड ६ के सम्बन्ध में चर्चा करते समय खण्ड २१ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खण्ड २१ में कहा गया है कि "यदि दो या इससे अधिक उत्तराधिकारी एक साथ किसी निर्वसीयत सम्पत्ति के वारिस बनते हैं, तो वे पितृ परक रूप से नहीं बल्कि व्यक्ति परक रूप से ही उस सम्पत्ति को लेंगे और वे सह-भारकी रहेंगे, संयुक्त-भारकी नहीं।" अब यदि उपर्युक्त संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं और उसका विभाजन खण्ड ६ के अनुसार किया जाता है, तो संयुक्त परिवार का क्या होगा?

खण्ड ६ के पहले भाग में कहा गया है कि, "किसी भी हिन्दू पुरुष की मृत्यु के बाद मिताक्षरा समांशित सम्पत्ति का उसका भाग समांशिता के शेष जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता के अनुसार न्यसित होगा इस अधिनियम के अनुसार नहीं।" यह तो स्पष्ट है। लेकिन आगे उसके परादिक में कहा गया है कि मृतक पुरुष की कोई स्त्री सम्बन्धी या उसके द्वारा सम्बन्धित कोई पुरुष सदस्य भी, उस स्त्री सम्बन्धी के द्वारा, मृतक की उस समांशित सम्पत्ति का अंशधारी होगा।

यहां तक तो ठीक है। मृत्यु के बाद, पुत्री और पुत्री के पुत्र उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि पुत्री और पुत्री के पुत्र मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत नहीं आते हैं। वे तो इस अधिनियम के द्वारा ही सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे।

अब आप इस परादिक के संशोधन को देखिये। संशोधन में रखा गया है कि मृतक पुरुष की स्त्री सम्बन्धी या उसके द्वारा सम्बन्धित किसी पुरुष सदस्य का मृतक की मिताक्षरा संमाशित सम्पत्ति का न्यसन उत्तरजीविता के द्वारा नहीं, बल्कि इच्छापत्रीय, या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा ही प्राप्त होगा?

मैं तो इसका अर्थ यही समझता हूं कि पुत्रों और पौत्रों के सम्बन्ध में भी उत्तरजीविता का नियम नहीं रहता है। खण्ड २१ के अनुसार उनको भी सह-भारकी की भांति माना जायेगा और उनका परिवार टूट जायेगा। इस प्रकार पुत्रियों और पुत्रियों के पुत्रों को भी इसमें सम्मिलित करके संयुक्त परिवार प्रणाली पर प्रहार किया जा रहा है। यदि लोक-सभा इस से सहमत है, तो ठीक है। लेकिन, शेष परिवार को तो संयुक्त परिवार रहने दीजिये। पिता से मिलने वाली सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होती है, इसलिये संयुक्त परिवार बना रहता है। माननीय मंत्री ने कल कहा था कि सम्पत्ति तो संयुक्त सम्पत्ति बनी ही रहेगी लेकिन जब न्यायाधीश इसकी व्याख्या करेंगे तो वे इसका कोई दूसरा अर्थ भी लगा सकते हैं। इसीलिये, मैं चाहता हूं कि यह बिलकुल ही स्पष्ट कर दिया जाये कि पुत्री और पुत्री के पुत्र मिताक्षरा नियमों से शासित नहीं होंगे; वे इस अधिनियम के अनुसार ही उत्तराधिकारी बनते हैं, और साथ ही

†मूल अंग्रेजी में।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

यह भी कि पुत्रों और पौत्रों को ही पैतृक सम्पत्ति मिलेगी। अन्यथा इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि पुत्र को मिलने वाली सम्पत्ति को भी पैतृक सम्पत्ति नहीं माना जायेगा। इस प्रकार परिवार टूट जायेगा। परिवार के अविभाजित सदस्यों पर भी उत्तरजीविता लागू नहीं होगी। इस धारा में जिस विभाजन का उल्लेख है वह केवल भावात्मक विभाजन ही होगा, यथार्थ में नहीं। इससे प्रभावित होने वाले परिवार के सदस्य पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। यदि यही है, तो फिर इस भावात्मक विभाजन से उनमें वास्तविक विभाजन होना आवश्यक नहीं है। मैं केवल यही बताना चाहता था कि जहां तक शब्दों का सम्बन्ध है उनसे यह स्पष्ट तौर पर नहीं निकलता। इसीलिये, मैंने संशोधन संख्या २१३ प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि उस परादिक को ज्यों का त्यों रहने दिया जाये।

इससे खण्ड ६ का अर्थ यह होगा कि पुत्री और पुत्री के पुत्र का अंश मिलने के बाद भी मृतक का मूल परिवार—पुत्रों आदि—संयुक्त ही बना रहेगा। मैं केवल यही चाहता हूं कि हमें इसकी सम्भावित व्याख्या की भी छानबीन कर लेनी चाहिये। मुझे भय है कि इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। हमें संदेहों के लिये गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिये। वास्तव में यदि आप धारा २१ को देखें तो उत्तर-जीविता के नियम लागू नहीं होंगे। निस्संदेह ही उसका अर्थ यही निकाला जायेगा कि सम्पत्ति विभाजित है। यदि आप खण्ड २१ के उपखण्ड (ख) को देखें, तो निश्चय ही उसकी व्याख्या इसके बिलकुल विपरीत ही पड़ेगी। उसमें शब्द हैं : "सह-भारकी के रूप में, संयुक्त-भारकी के रूप में नहीं।" इसका तो अर्थ यही है कि एक साथ उत्तराधिकारी बनने पर दो पुत्र सह-भार की के रूप में रहेंगे। श्री सी० सी० शाह की विचारधारा के लोग तो चाहते हैं कि संयुक्त हिन्दू परिवार समाप्त ही हो जाये। मुझे उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। पर यदि हम माननीय मंत्री के दृष्टिकोण से सहमत होते हैं, तो हमें यह बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा कि पुत्री और पुत्री के पुत्र का अंश परिवार से निकाल देने में हमारा उद्देश्य समूचे हिन्दू परिवार को छिन्न-भिन्न करना नहीं है।

जहां तक दूसरी व्याख्या का सम्बन्ध है, वर्तमान हिन्दू विधि यह है कि यदि समांशिता का कोई सदस्य विभाजित हो चुका है तो बाद में होने वाले सम्पत्ति के किसी भी अन्य विभाजन में उसे सम्पत्ति पाने का अधिकार नहीं होता। समांशी निकाय में उत्तराधिकार नहीं होता है। उसमें केवल विभाजन होता है। चूंकि यह वर्तमान विधि है, इसलिये यह व्याख्या अनावश्यक है। हां, उससे कुछ संतोष अवश्य मिलता है। माननीय मंत्री और श्री सी० सी० शाह के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है।

हिन्दू संयुक्त परिवार का समर्थन करने के लिये, हमें तमाम विशेषण दिये गये हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति देश की स्त्रियों को भी सम्पत्ति के अधिकार देना चाहते हैं उन्हें प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जाना चाहिये। यहां तो विवाद केवल इसके लिये अपनाये जाने वाले तरीके के सम्बन्ध में ही है। टंडनजी को प्रतिक्रियावादी कहना बड़ा अपमानजनक और अशोभनीय है। यदि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारी पुत्रियों और बहिनों को इसी प्रकार से सम्पत्ति के अधिकार दिये जाने चाहियें, तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मतभेद होता ही है। मेरा कभी भी यह आशय नहीं था कि उन्हें सम्पत्ति के अधिकार न दिये जायें। मैं तो उनके पक्ष में रहा हूं।

सम्पदा के सीमित अधिकार के सम्बन्ध में हम एक ग़लती कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्त्रियों को सम्पदा के पूर्ण अधिकार मिलने चाहियें। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है। मैं चाहता हूं कि स्त्रियों के अधिकार भी वही होने चाहियें जो कि पुरुषों के हैं। मैं स्त्रियों को और अधिक अधिकार नहीं देना चाहता। आज पुरुषों के अधिकार भी तो सीमित हैं। इसलिये, स्त्रियों के अधिकार भी सीमित रहने चाहियें।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि वे पुत्रियों को अधिक अधिकार देना चाहते हैं। यह ग़लत है, पुत्रों और पुत्रियों दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहियें। हम से असहमत माननीय सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिये कि हम सभी सुधारों के विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि मेरा मत कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है। मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का विरोध किया था। हमें एक-दूसरे के मत को समझने का भी प्रयास करना चाहिये।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : मैं खण्ड ५ और ६ के वर्तमान स्वरूप का विरोध करता हूं। संयुक्त समिति और राज्य सभा ने उनमें बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये हैं। इसीलिये, हमें उन पर पूरी तौर पर चर्चा करनी चाहिये।

मैंने संशोधन संख्या ६६ प्रस्तुत किया है, जिसमें विधेयक के खण्ड ६ की व्याख्या को हटा देने का सुझाव है। उस व्याख्या को हटा देने से जो भी अभाव उत्पन्न हो सकता था, उसकी पूर्ति श्री सी० सी० शाह और माननीय मंत्री के संशोधन ने कर दी है। यह व्याख्या पुरुष उत्तराधिकारियों के प्रति बड़ी अन्यायपूर्ण थी।

उस व्याख्या के अनुसार तो यह होता कि एक पिता, दो पुत्र और एक पुत्री के परिवार में, पिता के जीवन-काल में विभाजित हो जाने वाले पुत्र को पहले विभाजन के समय एक अंश मिल जाता, और पिता की मृत्यु के बाद उस शेष सम्पत्ति में से फिर उसका एक अंश निकलता; क्योंकि शेष सम्पत्ति में से विभाजित पुत्र, अविभाजित पुत्र और पुत्री को समान अंश दिये जाते। इस प्रकार विभाजित हो जाने वाले पुत्र को दो बार अंश मिल जाते, और अविभाजित पुत्र का अंश बहुत ही थोड़ा रह जाता। यह बड़ा ही असमान बंटवारा होता।

इस व्याख्या को हटा देने पर यह अन्याय नहीं होगा। यदि संशोधन संख्या २०१ या १९४ को स्वीकार कर लिया जाता है, तो स्थिति बिलकुल ही बदल जायेगी। संशोधन में कहा गया है कि समांशी सम्पत्ति में उत्तराधिकारियों के बीच केवल पिता के अंश का ही विभाजन होगा। इसका अर्थ यह होगा कि उपर्युक्त परिवार में पिता की मृत्यु के बाद केवल पिता के अंश में से ही अविभाजित पुत्र और पुत्री के बीच विभाजन होगा। अविभाजित पुत्र को पहले विभाजन का निजी अंश तो मिलेगा ही, मृत्यु बाद होने वाले विभाजन में से भी उसे पुत्री के बराबर एक अंश मिलेगा; अर्थात् अविभाजित पुत्र को अधिक अंश मिलेगा। इसलिये, पुत्र विभाजित होना पसंद नहीं करेंगे और इससे संयुक्त परिवार प्रणाली को बल मिलेगा।

इस संशोधन में आगे यह भी कहा गया है कि पिता के जीवन-काल में विभाजित हो जाने वाले पुत्र को, पिता की मृत्यु के बाद होने वाले विभाजन में समांशी सम्पत्ति का कोई अंश नहीं मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या के अनुसार तो विभाजित पुत्र को पिता की मृत्यु और उसके बाद के दोनों विभाजनों में सम्पत्ति का अंश मिलता है। इस संशोधन ने उस अन्याय को मिटा दिया है। इस प्रकार, सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह संशोधन अत्यंत उचित है और इसमें विधेयक का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों के परस्पर-विरोधी विचारों का समन्वय किया गया है। अब क्योंकि इस संशोधन द्वारा पुत्री के समान अंश देने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है, इसलिये इससे उद्देश्य बिल्कुल पूरा हो जाता है। यह सच है कि इस संशोधन के कारण कुछ विधवाओं को अपने प्रति अन्याय होता हुआ प्रतीत होगा। विधवा को अंश तो पहले की अपेक्षा कम अवश्य प्राप्त होगा, परन्तु उसको पूर्णाधिकार प्राप्त हो जायेगा, और यह लाभ की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या १९४ और २०१ को स्वीकार कर लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे पूर्व, कि श्री देशपांडे कुछ बोलें, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

आज प्रातः अध्यक्ष महोदय ने जिन सदस्यों से प्रत्येक खण्ड पर विचार के लिये समय आवंटित करने को कहा था, उन्होंने मंत्री महोदय के सामने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय भी इस आवंटन से सहमत होंगे :

खण्ड ७ से १०	—	२ घंटे
" से १३/१५	—	१/२ घंटा
" १६ से १७	—	२ घंटे
" १८ से २३	—	१ घंटा
" २४ से २६	—	२ घंटे
" २७ से ३३	—	१ घंटा ३० मिनट
अनुसूची	—	२ घंटे ।

मुझे आशा है कि सम्पूर्ण सभा भी इससे सहमत होगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक अनुसूची का सम्बन्ध है, यह आवंटन हमको स्वीकार्य नहीं है । अनुसूची ही तो विधेयक की जान है और उसके लिये दो घंटे बिल्कुल अपर्याप्त हैं । इसी प्रकार खण्ड १७ और ३२ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । मेरी समझ में नहीं आता .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य कुछ अन्य खण्डों का समय कम करना चाहते हैं ?

†**श्री शेषगिरि राव** : खण्ड १६ और १७ के लिये एक घंटा तथा अनुसूची के लिये दो घंटे और बढ़ा दीजिये । यही ठीक होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो यह ठीक है कि खण्ड ७ से १० के लिये २ घंटे; खण्ड १३ से १५ के लिये आधा घंटा, खंड १६ और १७ के लिये २ घंटे ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : यह अपर्याप्त होगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खण्ड ८ का सम्बन्ध अनुसूची से ही है । आप खण्ड और अनुसूची के लिये दो-दो घंटे लेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब यह ठीक होगा कि खण्ड ७ से १० के लिये ४ घंटे रख दिये जायें । यह काफी होंगे । परन्तु यह कार्यक्रम तभी ठीक रहेगा जब हम ४ और ७ तारीख को भी ६ बजे शाम तक बैठें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : साथ ही अध्यक्ष महोदय को समय बढ़ाने का अधिकार है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमको पहले के ३५ घंटों की अपेक्षा अधिक समय ३७ घंटे मिल रहे हैं । यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो प्रत्येक सदस्य के लिये १० मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाये क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

कुछ माननीय सदस्य : पांच मिनट काफ़ी होंगे ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : इस खण्ड पर मेरा एक संशोधन है कि खण्ड के परन्तुक को निकाल दिया जाये । इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि मिताक्षरा सम्पत्ति इस खण्ड के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल बाहर निकल जायेगी । विधि-कार्य मंत्री महोदय तथा अन्य सदस्यों से मेरा अनुरोध है

†मूल अंग्रेजी में ।

कि विधेयक की शब्दावलि और प्रारूपण पर ठण्डे दिल से विचार करें। मैंने आपसे इस बात की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया था कि मंत्री महोदय आरम्भ में ही अपने संशोधन को स्पष्ट कर दें, जिससे कि उसी के आधार पर चर्चा की जा सके। हमारी इस मांग को कुछ सीमा तक पूरा अवश्य किया गया है परन्तु मेरी यह समझ में नहीं आता है कि मंत्री महोदय अंत तक प्रतीक्षा करके ऐसे उत्तर क्यों देते हैं जो कभी कभी हमारे लिये संतोषप्रद नहीं होते हैं।

यह एक ऐसा सामाजिक विधान है जिसके दूरव्यापी परिणाम होंगे। इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह विधान सर्वांग पूर्ण होना चाहिये। इसलिये अपना मतभेद रहते हुए भी मैं चाहता हूँ कि पुत्री को एक अंश देने वाले खण्ड को यथासंभव त्रुटिरहित बनाया जाये।

मेरी जो कठिनाइयां हैं, उनको स्पष्ट करने के लिये मैं ठोस उदाहरण दूंगा। मान लीजिये किसी पिता के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं और ४०,००० रुपये की सम्पत्ति है। इस उपबन्ध के अनुसार पिता का काल्पनिक अंश १३००० रुपये होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके पुत्र पुत्रियों को इस सम्पत्ति में से कितना अंश प्राप्त होगा? मेरा प्रश्न यह है कि जब इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो क्या इसके फलस्वरूप बंटवारा किया जायेगा?

एक उदाहरण ही लीजिये। लड़के की मृत्यु हो जाती है और पिता जीवित है। लड़के के भी दो पुत्र हैं। लड़के की मृत्यु के पश्चात् उसके हित उसके लड़कों को प्राप्त हो जायेंगे और ऐसा होने पर क्या दोनों पौत्रों को अपने पितामह से अलग कर दिया जायेगा? यहां यह कहा गया है कि समांशी सम्पत्ति में मृतक का अंश इच्छा-पत्र हीन उत्तराधिकार की भांति न्यसित होगा उत्तरजीविता के आधार पर नहीं।

हम वास्तव में जो बात चाहते थे वह यह थी कि मिताक्षरा सम्पति के सम्बन्ध में पुत्रियों, विधवाओं अथवा विधवा पुत्र वधुओं के लिये कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये। परन्तु यहां इसमें परिवर्तन करके उन्होंने संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में समांशी के हितों का पूर्ण न्यसन कर दिया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिसमें, उनके द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले पुत्र अथवा प्रपौत्र को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का विभाजन कर दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं? मैं यह महसूस करता हूं कि यदि मिताक्षरा सम्पत्ति में पुत्री को कोई अंश दिया ही जाना है तो इसको संयुक्त समिति द्वारा प्रस्थापित की गयी शब्दावलि द्वारा दिया जाना चाहिये। इससे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का कम विघटन होगा।

इस बात का संकेत किया गया है कि अब इसके परिणाम स्वरूप विधवाओं के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक से उसका अंश बहुत कम रह जायेगा। भारतीय समाज में विवाहिता पुत्री की दशा विधवा से कहीं अच्छी है और हमारे सभी सुधारक यह उपदेश देते रहे हैं कि विधवाओं की स्थिति में सुधार किया जाय। यदि इस विधेयक के फलस्वरूप—जिसे भारतीय महिलाओं के अधिकारों के घोषणापत्र की संज्ञा दी गयी है—विधवाओं की स्थिति पर आंच आये तो मैं कहूंगा कि हालत ठीक नहीं है।

मैंने बाधा खड़ी करने के लिये इस प्रश्न को नहीं उठाया है। हम इस तरह का कोई ढंग निकाल सकते हैं कि जिस समय विभाजन किया जाये, उस समय विधवा को भी पुत्र के बराबर ही अंश दिया जाये, हम उपयुक्त शब्दावलि द्वारा इस बात की गारंटी भी कर सकते हैं कि पुत्रियों को भी इसी आधार पर अंश प्राप्त हो। मैं नहीं समझता कि वैधानिक भाषा इतनी कठिन है कि यदि हम सब चाहें फिर भी शब्दावलि ठीक न की जा सके और इन त्रुटियों को दूर न किया जा सके।

इसलिये विधि-कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इसको स्पष्ट करें। उनसे मेरी अपील है कि वह उन संशोधनों को, जिनसे इन कमियों को दूर किया जा सके स्वीकार कर लें।

†**श्री मूल चन्द दुबे** : यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित, है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। परन्तु जब मैं उसकी विषय-वस्तु को देखता हूं तो वह मुझको अत्यन्त शरारतपूर्ण प्रतीत होती है। उदाहरण के लिये ऐसा प्रतीत होता है कि दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। एक तो यह कि पुत्री का दूसरे परिवार में विवाह हो जाने से वह एक दूसरे परिवार का अंग बन जाती है और दूसरी यह कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को कायम रखने वाली मिताक्षरा प्रणाली का अन्त किया जा रहा है।

माननीय मंत्री ने अनेक बार कहा है कि वह समांशिता-प्रणाली के विरुद्ध नहीं हैं और उनका इस प्रणाली का अन्त करने का कोई इरादा नहीं है। यह अच्छी ही बात है क्योंकि यह प्रणाली चिरकाल से ही चली आ रही हैं और इसी ने वास्तव में समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में बढ़ने में देश को सहायता पहुंचायी है। इसीलिये, मेरा विचार है कि संयुक्त परिवार प्रणाली का अन्त करना एक बहुत बड़ी भूल होगी।

मैंने अपना संशोधन संख्या २०० प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य यह है कि खण्ड ६ के साथ संबद्ध परन्तुक और स्पष्टीकरण को निकाल दिया जाये क्योंकि यह संयुक्त परिवार प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। परन्तुक में यह दिया गया है कि बिना वसीयत मरने वाले व्यक्ति का संयुक्त सम्पत्ति का भाग श्रेणी १ के उत्तराधिकारियों पर न्यसित होगा। यदि इस स्थिति का लाभ उठाया गया तो इससे समांशी सम्पत्ति तथा मिताक्षरा प्रणाली की समाप्ति हो जायेगी। अभी तक देश के किसी भी भाग में ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण नहीं कर सकता है, इसी से संयुक्त सम्पत्ति बची रहती है। परन्तु खंड ६ का परन्तुक तथा व्याख्या इसी प्रणाली के मूल पर चोट करती है। इसलिये सरकार अथवा श्री भार्गव या श्री शाह द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनसे कोई लाभ नहीं है। जब तक कि यह न कहा जाये कि संयुक्त परिवार प्रणाली में कोई अच्छाई ही नहीं है तब तक इन संशोधनों से कोई लाभ नहीं है।

जहां तक पुत्रियों को दिये गये अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है, मूल विधेयक में समांशी सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। संयुक्त समिति ने ही समांशी सम्पत्ति में विधवा और विधवा पुत्र वधू को एक अंश दिया है। केवल पुत्री को ही अंश नहीं मिलता है। यदि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्री को अंश दिया ही जाना हो तो इसको इस विधेयक द्वारा, जिसमें इच्छा-पत्र हीन उत्तराधिकार का निर्देश किया गया है, नहीं किया जाना चाहिये। इस विधेयक में यह उपबन्ध रख कर संयुक्त समिति ने भूल की है। जब आप संयुक्त परिवार और विभाजन के सम्बन्ध में अगला विधेयक पुरःस्थापित करें तभी पुत्री सहित सभी स्त्रियों को समांशी बनायें जिससे कि उनको भी उनका अंश प्राप्त हो सके।

पुत्रियों के सम्बन्ध में मैं केवल एक यही शर्त रखना चाहता हूं कि उसके अंश को विवाह होने पर समाप्त कर दिया जाना चाहिये। जब तक वह अविवाहित है तब तक उसको पुत्र के बराबर का ही अंश प्राप्त होना चाहिये। एक बार विवाह हो जाने पर उसका अंश समाप्त हो जायेगा क्योंकि तब उसको अपने पति का अंश प्राप्त होगा। यह सब गड़बड़ी इसी कारण हो रही है कि विधेयक का आधार ही गलत है।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा-झालावाड़) : श्री शाह ने श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तुत किये गये नये संशोधन के उपबन्धों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परन्तु उसमें वह एक प्रश्न पर, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, मौन ही रह गये। श्री शाह ने अपने भाषण में कहीं भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि पुरुष सदस्यों को उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का स्वरूप क्या होगा। यह कहने का, कि यह सम्पत्ति उत्तराधिकार के आधार पर और वह सम्पत्ति उत्तरजीविता के आधार पर जायेगी, कोई

†मूल अंग्रेजी में।

अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि विधि की दृष्टि में सम्पत्ति का स्वरूप क्या होगा ?

जहां तक कि इसके पहले भाग का सम्बन्ध है, उद्देश्य यह था कि स्त्री अपने पिता अथवा पति के हितों को उत्तराधिकार में प्राप्त करे। यही स्थिति अत्यन्त कठिन हो गयी है। इस समय स्थिति यह है कि मिताक्षरा सम्पत्ति में मृतक के हित उत्तराधिकार के आधार पर न्यसित होंगे, केवल उन मामलों में यह बात नहीं होगी जिनमें कोई पुरुष अथवा स्त्री एक स्त्री की ही ओर से हस्तक्षेप करे।

स्त्रियों के सम्बन्ध में तो स्थिति खण्ड १६ द्वारा स्पष्ट कर दी गयी है, परन्तु जहां तक पुरुषों का सम्बन्ध है, उनकी स्थिति को किसी भी स्थान पर स्पष्ट नहीं किया गया है। इसीलिये मैं यह प्रश्न करता हूं कि उस सम्पत्ति का, जो अब उत्तराधिकार द्वारा पुरुष स्वामियों को प्राप्त होगी, क्या स्वरूप होगा।

यदि सम्पत्ति समांशी सम्पत्ति है जो पुरुष स्वामियों को जाती है तो उसके सम्बन्ध में कोई व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब कोई व्यक्ति समांशी सम्पत्ति से अलग हो जाता है, तब वह संयुक्त परिवार की शेष सम्पत्ति में किसी भी अंश की मांग नहीं कर सकता है। परन्तु यदि तात्पर्य यह है कि उत्तराधिकार के कारण सम्पत्ति के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो मैं यह कहूंगा कि स्पष्टीकरण (२) से एक ऐसा कार्य कराया जा रहा है जो उसके द्वारा कभी भी कराने का विचार नहीं था। हमको यह समझाया गया है कि जहां तक पृथक् सम्पत्ति अथवा स्व-अर्जित सम्पत्ति का सम्बन्ध है उसको साफ बचा लिया गया है। यदि सम्पत्ति का स्वरूप इस प्रकार बदलने लगे तो मैं कहूंगा कि स्पष्टीकरण (२) लागू हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथक् सम्पत्ति अथवा स्व-अर्जित सम्पत्ति नहीं बचती है। परन्तु इसके विपरीत स्पष्टीकरण (२) के अनुसार स्थिति यह होगी कि जिस पुरुष स्वामी ने पृथक्करण कर लिया है, उसको पृथक् अथवा स्व-अर्जित सम्पत्ति का अंश प्राप्त नहीं होगा। मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण (२) का तात्पर्य यह नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण (२) बेकार है अथवा उससे ऐसा अर्थ निकलता है जो उसको बनाने वाले निकालना नहीं चाहते थे।

श्री नन्द लाल सर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च वाधा प्रवर्तते नाधयीव्याधयश्चेव रामे राज्यं प्रशासति।

जहां तक मैं समझता हूं वर्त्तमान विधेयक का प्राण इस धारा ६ में है। भारत का अधिकतर भाग, बंगाल और आसाम को छोड़ कर, मिताक्षरा के द्वारा शासित होता है और मिताक्षरा पद्धति याज्ञवल्क्य स्मृति द्वारा सम्पादित होती है, और याज्ञवल्क्य स्मृति वेदों से सम्बद्ध है। इसलिये इसे हमारे धर्म शास्त्रों में मुख्य स्थान प्राप्त है। आज उसका अन्त करने की चेष्टा की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि धारा ६ का प्रोवीजन (उपबन्ध) मिताक्षरा की रक्षा करने के लिये रखा गया है। मेरा तो विचार है कि इस प्रोवीजन को रख कर मिताक्षरा को समाप्त किया जा रहा है। जहां ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी (संयुक्त परिवार की सम्पत्ति) को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है जिस में कि वह प्रापर्टी टूट कर बाहर जाये और जिनका बर्थ राइट (जन्म सिद्ध अधिकार) से उस प्रापर्टी से सम्बन्ध नहीं है उन का इंटरेस्ट (हित) पैदा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी कैसे रह सकती है और इसका मिताक्षरा से क्या सम्बन्ध है।

दूसरे हिन्दू माता के नाम से बार-बार कहा जा रहा है कि हम उसको बराबर के अधिकार प्रापर्टी में देना चाहते हैं। मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि इस धारा द्वारा हिन्दू माता को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह कही जा रही है कि हम विवाहित लड़की को पिता की जायदाद में बराबर का अधिकार दे रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अगर एक लड़की अपने पिता की जायदाद में से हिस्सा लेगी तो उसके श्वसुरालय से उसकी ननद अपना हिस्सा

[श्री नन्द लाल सर्मा]

ले जायेगी और उस लड़की के लिये प्रापर्टी उतनी ही रहेगी । हां इस धारा से एक अनहैल्दी कम्पिटीशन (अस्वास्थकर प्रतिस्पर्द्धा) समाज में पैदा हो जायेगा। और मैं समझता हूं कि इससे समाज का विघटन ही होगा ।

दूसरी बात माता के लिये यह कही गई है कि इस धारा का जो संशोधन किया जायेगा संशोधन २०१ और संशोधन १९४ द्वारा उससे माता को अधिक हिस्सा मिलेगा । लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि इन संशोधनों के द्वारा माता को उसका अधिकार देने की ईमानदारी से चेष्टा नहीं की गयी है । इससे हिन्दू देवी का भाग बहुत कम हो जायेगा ।

पंडित के० सी० शर्मा : यह तो ईमानदारी पर हमला किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इन इंटरप्शन्स (अन्तर्बाधाओं) का जवाब न दें और अपनी स्पीच जारी रखें ।

श्री नंद लाल सर्मा : दूसरी बात यह है कि मिताक्षरा की समाप्ति की बात अधिकतर उन माननीय सदस्यों ने कही है जिनका कि मिताक्षरा से सम्बन्ध नहीं है । हम स्वराज्य की लड़ाई के दिनों में कहते थे कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट (जन्म सिद्ध अधिकार) है। मैं पूछता हूं कि यह बर्थ राइट की कल्पना मिताक्षरा के सिवा दुनिया में और किस सिस्टम (प्रणाली) में मिल सकती है ?

श्री फीरोज गाँधी (जिला प्रताप गढ़, पश्चिम व जिला राय बरेली, पूर्व): पटाक्षर सिस्टम में ।

श्री नंद लाल सर्मा : यह कोई नया सिस्टम लागू हो सकता है । पंजाब में कस्टमरी ला (रूढ़िगत विधि) के रूप में मिताक्षरा पद्धति को माना जाता है। बहुत से मुसलमान भी जो कि पंजाब में धनवान बने हुये हैं उनको भी मिताक्षरा सिस्टम रक्षा प्रदान कर रहा है, और इसको कस्टमरी ला के नाम से लागू किया जाता है ।

अब यह कुतर्क दिया जाता है कि हमको सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसायटी (समाजवादी प्रकार के समाज) में प्रापर्टी को ऐक्यूमूलेंट (संचित) नहीं होने देना है । इसलिये हम नहीं चाहते कि कोई बहुत धनवान हो । तो क्या इसका अर्थ है कि सब को दरिद्र बनाया जाये । यह एक दृष्टिकोण हमारे पूर्वजों का था कि उस सम्पत्ति की सुरक्षा कैसे हो? और उसकी रक्षा केवल इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार पद्धति) से हो सकती है और इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं था । आज उस संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़ कर हमने हिन्दू जाति के साथ क्या अन्याय किया है, यह अभी हमारे एक बंधु ने स्पष्ट कह दिया । आज गांवों में रहने वाली करीब ९० प्रतिशत जनता धनवान नहीं है और यह स्पष्ट बात है कि उनकी बहनें और बेटियां उनके पास से कोई विशेष सम्पत्ति ले जाने वाली नहीं हैं । अभी तक जो भाई लोग अपनी-अपनी बहनों के विवाह के लिये कर्जा तक अपने ऊपर ओट कर उनका योग्य तथा अच्छे वर के साथ विवाह करते थे, इस विधेयक के द्वारा मिताक्षरा कानून में खुल्लम-खुल्ला हस्तक्षेप करने से एक तो सम्पत्ति के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और सम्पत्ति के प्रश्न को लेकर आपस में झगड़ेबाजी और द्वेषभाव फैलेगा और हिन्दू समाज में बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी ।

मेरा इस सदन और मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक को आपको पास करना ही है तो जो संशोधन पंडित ठाकुरदास भार्गव ने दिया है उसकी शब्दावलि उस संशोधन की शब्दावलि से कहीं अच्छी है जो कि आपके सामने उपस्थित है । संशोधन के अन्दर किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिये कि हम वस्तुतः उसे संयुक्त परिवार प्रथा की प्रापर्टी बनाने वाले हैं अथवा उसको सेप्रेट प्रापर्टी (पृथक् सम्पत्ति) सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी (स्वअर्जित सम्पत्ति) में ही उसको विल

(इच्छापत्र) करने का अधिकार दे रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के द्वारा विल करके अपनी आने वाली संतान को वह डिसइनहैरिट (उत्तराधिकार से वंचित) नहीं कर सकता है क्योंकि यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस जन्म सिद्ध अधिकार को जहां हमने यह कह दिया कि टैस्टामेंटरी (इच्छापत्रोक्त) के द्वारा हटाया जा सकेगा तो अब तक के जन्म सिद्ध अधिकार को हम समाप्त कर देते हैं। इसलिये हमारा यह कहना है कि यह अधिकार जो मिताक्षरा सिस्टम के अन्दर किसी को नहीं दिया गया था और विशेष करके आप ने चूंकि तलाक प्रथा को स्वीकार किया तो तलाक को स्वीकार करने पर पहली की स्त्री से जो संतान है उस संतान के प्रति पिता का कोई प्रेम नहीं रह जायगा और यदि नई स्त्री उन पुत्रों को डिसइनहैरिट करना चाहे और इस टेस्टामेंटरी के द्वारा अगर उनको डिसइनहैरिट कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत अनर्थ होगा और समाज का केवल विघटन ही नहीं होगा बल्कि और भी कितने ही अनर्थ होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज चाहे पाटस्कर साहब की बुद्धि हो, चाहे सारे कैबिनेट की बुद्धि हो और चाहे गवर्नमेंट की बुद्धि हो अगर उसका मार्ग-दर्शक शास्त्र न हो तो उसका परिणाम कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। साथ ही धर्मशास्त्र के शब्द से चिढ़ने वाले लोगों को यह भी समझ लेना चाहिये कि संस्कृत में "ला" का अर्थ ही धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र विभाग यह आपकी ला मिनिस्ट्री का ही नाम है।

वेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ स्म चप्रियमात्मनः।
एतच्चसुर्विधा प्राहुः साक्षाद्धर्मस्यलक्षणम् ॥

वेद, स्मृति और सदाचार इन तीनों का खंडन करने के बाद यदि हम केवल अपनी बुद्धि के बल से करोड़ों व्यक्तियों के ऊपर कोई ला (विधि) लादना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि वह आज नहीं तो कल जरूर फेल होगा और उसके जन्म में ही उसकी मृत्यु होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**श्री शेषगिरि राव** : मैंने संशोधन संख्या १६५ दिया है। माननीय मंत्री ने दो बातों से प्रभावित होकर खंड ६ को रखा है। एक तो यह कि संयुक्त परिवार पद्धति का संरक्षण है और दूसरे मिताक्षरा संयुक्त परिवार में पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त हों। अब देखना यह है कि क्या इस खंड से यह आवश्यकता पूरी होती या उलझनें बढ़ती हैं।

इससे विभाजित हो जाने वाले पुत्र और अविभाजित पुत्र में विभेद पैदा होता है। यह इस मूलभूत सिद्धांत के भी विरुद्ध है कि किसी को एक बार निहित की गई सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इन कारणों से खंड ६ स्वीकार्य नहीं था। माननीय मंत्री ने जो संशोधन दिया है उससे पर्याप्त उलझनें दूर हो जायेंगी।

यह आपत्ति की गई है कि विधवा को कम हिस्सा मिलेगा। परन्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है। संयुक्त परिवार पद्धति में एक प्रकार से अनधिकृत प्रवेश किया जा रहा है। ऐसा किये बिना पुत्री को संयुक्त सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। मैं मानता हूं कि वर्तमान संशोधन से कुछ शंकायें उत्पन्न होती हैं। खंड २१ में उपयुक्त संशोधन करके उत्तराधिकार विषयक शंकायें दूर की जानी चाहियें।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन संख्या २०२ पर विचार करें। मुख्य विचार यह है कि पुत्री के साथ पुत्र के समान बर्ताव किया जाये। समांशी सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिये उसे पुत्र के समान समझा जाये। यही पर्याप्त है शेष सब निकाल दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश सदस्य माननीय मंत्री के संशोधन संख्या २०१ के पक्ष में हैं। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इससे मिताक्षरा परिवार के सदस्यों को बड़ी कठिनाई होगी।

एक शंका यह है कि संशोधन २०१, व्याख्या २ के अनुसार विभाजित पुत्र को अपने पिता की समांशी सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकेगा परन्तु विभाजित पुत्र की विधवा को अनुसूची की श्रेणी १ में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ उसमें हिस्सा मिल सकेगा। माननीय मंत्री इस बात की व्याख्या करें कि क्या इससे यह अभिप्रेत है कि वह विधवा अविभाजित पुत्रों के साथ अपने श्वसुर की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करे ? माननीय मंत्री को इस शंका का समाधान करना चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : मैं मंत्री महोदय के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहन रेणु चकवर्ती ने बोलते हुये कहा था कि यह विधेयक स्त्री जाति के साथ धोखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि जब अब से पहले कोई भी बड़ा हक स्त्रियों को जायदाद के ऊपर नहीं था, अब उनको उस पर हक ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि असल में बात ऐसी है कि अब उनको बाप की जायदाद में भी हक होगा और पति की जायदाद के ऊपर भी हक होगा। दूसरे मानों में आज अगर कोई भाई यह गिला करे तो शायद किसी हद तक जायज हो सकता था, लेकिन बहनों के लिये शिकायत करने की इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह इस को बनियों की तौल से ही नापना चाहें तो बहस मुबाहसे की बात भले ही हो जाये। वास्तव में समझ में आने वाली नहीं होगी। स्पष्ट है कि बहनों को भाई के मुकाबले में ज्यादा हक मिलने वाला है।

यहां पर मैट्रिआर्कल सिस्टम, अर्थात् मातृशासन क्रम, और पैट्रिआर्कल (पित्रपक्षीय) सिस्टम की बात कही गई और दोनों का मुकाबला किया गया। जहां तक मेरा खयाल है, हमें कम से कम इस सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। मैट्रिआर्कल सिस्टम हो या पैट्रिआर्कल दोनों में एक ही बात है। फर्क इतना है कि एक में लड़की का प्रभुत्व है और दूसरी जगह लड़के का। लेकिन बात वैसी की वैसी बनी रहती है।

कुछ लोगों ने फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स (धृतक्षेत्र अपखण्डन) की बात कही। अगर वह सिर्फ बड़ी-बड़ी जायदादों और साहकारों की सम्पत्तियों तक महदूद रहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो कानून बन रहा है वह गांवों के ऊपर भी लागू होगा, वह गरीबों के ऊपर भी लागू होगा। आप जानते हैं कि इस देश के अन्दर ७० फीसदी आबादी में से मैं कहूं तो ८० या ८५ फीसदी, किसान ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम जमीन है। इस कानून के पास हो जाने से जिन भाइयों के पास पांच एकड़ जमीन से कम है उनकी जमीन के टुकड़े हो जाने का डर है। लेकिन मुझे इस का डर ज्यादा नहीं है। क्योंकि जहां पर चार भाई एक बहन है, वहां पर पांच भाई होते तो भी उनमें आपस में बटवारा होता ही। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि इस तरह से जो जमीन के टुकड़े होंगे वह एक ही गांव में रह जायेंगे बल्कि अगर दूसरी जगह बीवी जायेगी जोकि उस गांव से चालीस मील हो, तो एक टुकड़ा वहां पर होगा जहां पर लड़की पहले से रहती रही है और एक टुकड़ा वहां पर होगा जहां पर वह शादी के बाद जाती है।

आगे चल कर ऐसा भी हो सकता है कि दस पांच साल में उस जायदाद का एक एकड़ का टुकड़ा एक गांव में हो और एक एकड़ का टुकड़ा दूसरे गांव में हो, एक एकड़ का टुकड़ा तीसरे गांव में हो और एक एकड़ का टुकड़ा चौथे गांव में हो। आप इस तरह से अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी देख भाल लड़की किस तरह से कर सकेगी। बाज लोग कहते हैं कि क्या हुआ लड़की को मुआवजा मिल जायेगा। बात

†मूल अंग्रेजी में।

टीक है, उसको मुआवजा मिल सकता है और उसको जायदाद का मुआवजा मिलना चाहिये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि जैसे उनके पास पैसा है, उसी तरह से दूसरों के पास भी होगा बैंक बैलेन्स होगा और वह आसानी से बहन को पैसा चुका देंगे । बात ऐसी नहीं है । जो पांच एकड़ जमीन के रखने वाले हैं उनके पास आज रुपया नहीं है । अगर उनको बहन को पैसा देना पड़ा तो अपनी जमीनों को बनियों के पास ले जाकर गिरवी रखना पड़ेगा । इससे तो पार्टिशन (विभाजन) से भी बदतर हालत जमीनों की हो जायेगी ।

मैं तो यह समझता हूं कि बहनों का हक महफूज रहना चाहिये, बहनों को पूरा हक जायदाद में मिलना चाहिये । इस मामले में मैं किसी से भी पीछे नहीं । इस सब को देखते हुये हम को यह मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णचन्द्र का जो संशोधन है १९९ नं० पर उस को स्वीकार कर लेना चाहये । अगर ऐसा हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती । बीवी को अपने पति की जायदाद में हिस्सा मिल सके तो उस से उसको आर्थिक आजादी भी मिल सकती है और फैमिली (परिवार) की खराबी भी रुक सकती है । लेकिन मैं जनता हूं कि हमारे मंत्री महोदय उस को मानने वाले नहीं हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय के सुझाव का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस से बहनों को भाइयों से ज्यादा हक मिलने वाला है ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला–शिमला) : मैं स्वीकार करता हूं कि संशोधन से खंड ६ की बुराइयां कुछ हद तक दूर हो गई हैं परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि इस से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी ।

संशोधन में तीन कंडिकायें हैं । अन्तिम अनावश्यक है, दूसरा अपर्याप्त है और पहिला अस्पष्ट है । जो कंडिका रखी गयी है वह परन्तुक के प्रतिकूल है । यह ठीक है कि परन्तुक अपवाद के लिये है परन्तु वह कंडिका १ के सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं होना चाहिये ।

उत्तरजीविता के नियम को बनाये रखने की सराहना तो की गई है परन्तु उसी कंडिका में इसे अप्रभावी कर दिया गया है । इस कंडिका में तीन असंगत बातें हैं । पहले यह कि मृत व्यक्ति के हित को विशेषित नहीं किया गया है । क्या यह समस्त हित होगा या आंशिक ? इसे विशेषित न करने से इसका अर्थ समस्त हित ही माना जायेगा ?

†**श्री पाटस्कर** : यह तो स्वाभाविक ही है ।

†**श्री टेक चन्द** : यदि ऐसा है तो फिर इस परन्तुक अथवा इस कंडिका की क्या आवश्यकता है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मूल सिद्धांत कंडिका १ में दिया गया है और परन्तुक में उसे कम कर दिया गया है ? आप कंडिका १ को निकाल क्यों नहीं देते । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

फिर आप कहते हैं कि मृत व्यक्ति को मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में समस्त हित इच्छापत्रोक्त अथवा इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार द्वारा न्यसित होगा । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । उत्तरजीविता प्रकार की सम्पत्ति इच्छापत्रोक्त उत्तराधिकार के अधीन न्यसित नहीं हो सकती है ।

व्याख्या संख्या १ में आपने यह स्वीकार किया है कि हिन्दू विधि में जो रूपभेद दिये गये हैं उनसे पंजाब के लोगों को हानि नहीं होगी । उस हद तक मुझे सन्तोष है । मेरे संशोधन संख्या १९३ का वास्तविक उद्देश्य यह था कि जैसे देश के मिताक्षरा विधि द्वारा शासित अन्य भागों में समांशी पुत्र को अलग होने का दावा करने का अधिकार होता है इसी प्रकार यहां भी उसे यह अधिकार प्राप्त हो । माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन की विषय-वस्तु की सराहना की है ।

जो लोग उत्तराधिकार की अन्य विधियों द्वारा शासित हैं उन्होंने मिताक्षरा को अपने आक्रमण का केन्द्र बनाया है, क्योंकि इस बारे में उनकी जानकारी पर्याप्त नहीं है । मिताक्षरा विधि द्वारा जो सन्तान गर्भ में भी होती है उसका भी भविष्य संयुक्त परिवार में संरक्षित हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री टेक चन्द]

जहां तक दायभाग प्रणाली का सम्बन्ध है वह अत्यन्त स्वार्थी है। इसके अनुसार पिता अपनी किसी भी सन्तान को पुरुष अथवा स्त्री को, उत्तराधिकार से वंचित कर सकता है। यह बात समांशी व्यवस्था में संभव नहीं है। इसलिये जो लोग मिताक्षरा प्रणाली की आलोचना करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि उन्हें कम से कम उसकी प्रमुख बातों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : उस संशोधन की व्याख्या करने से पूर्व, जिसकी कि मैंने पूर्व-सूचना दी है, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दूंगा।

भारत के कुछ भागों में जहां मिताक्षरा प्रणाली प्रचलित है जनता की यह भावना है कि यह प्रणाली अच्छी है। इस बात पर मैं उनसे झगड़ना नहीं चाहता, न ही मैं इसके अच्छे या बुरे होने के बारे में अथवा इस बारे में कि इस प्रणाली का क्या होगा कोई तर्क-वितर्क करना चाहता हूं क्योंकि इस विषय में चर्चा हो चुकी है। लगभग एक सी ही बातें कही गई हैं और मैंने उन्हें क्रमवार रख लिया है। यदि मैं उनका उत्तर न दूं तो मेरे विचार से माननीय सदस्य मुझे गलत नहीं समझेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि मैंने उनकी राय की परवाह नहीं की। परन्तु लोक-सभा में दिये गये भाषणों में मैंने एक अच्छी बात देखी है जिसका मैं लाभ उठाना चाहता हूं और जिस पर मैं विश्वास करना चाहता हूं। वह यह है कि प्रत्येक सदस्य ने यह मत प्रकट किया है कि स्त्री जाति से न्याय किया जाना चाहिये। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। लोक-सभा का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि स्त्री जाति के साथ न्याय न किया जाये।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : क्या आप का यह अभिप्राय है कि मिताक्षरा के अन्तर्गत उन के प्रति न्याय नहीं किया जाता है ?

†**श्री पाटस्कर** : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी भावुकता का प्रदर्शन करने की बजाये मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे सहमत होना असम्भव है। यह समय उनके साथ ऐसे मामलों पर झगड़ने का नहीं है।

इसका क्या परिणाम निकलता है ? वस्तुतः जैसे कि कल मैंने इसकी व्याख्या की थी कि खंड ६, जो कि समस्त विधेयक की जान है, को रखने का मेरा उद्देश्य यह था कि उस समय हिन्दू कोड बिल में एक बारगी ही संयुक्त हिन्दू परिवार का अन्त करने की प्रस्थापना की गई थी। मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहता कि मिताक्षरा पद्धति अच्छी है या बुरी, क्योंकि माननीय सदस्य हमसे प्रभावित हैं और वे इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। यह बात नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि कोई कार्य करना है तो उसे क्षणिक आवेश में आकर ही नहीं कर देना चाहिये। इसे न करने का कारण यह है कि चाहे कोई विधि अच्छी हो या बुरी आखिर वह इतने समय से इस देश की जनता पर लागू है और यदि इसे समाप्त ही करना है और यह समाप्त हो रहा है—तो स्वाभाविक रूप से ही इसे समाप्त होने देना चाहिये।

मैं कोई अन्यायपूर्ण अथवा प्रतिकूल बात नहीं कहना चाहता। मैंने सोचा कि इसके आधार पर अनेक कार्यवाहियां की गई होंगी और यदि हम इन कार्यवाहियों के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो ऐसा करना स्त्रियों के साथ न्यायपूर्ण न होगा। मैं तो यही बात कहता रहा हूं, परन्तु कितने दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक का विरोध करने वालों ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है, बल्कि मुझे इस बात से दुःख हुआ कि वे मुझ पर तर्क संगत न होने का आरोप लगाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि इसका कारण यह है कि वे आवेश में आकर इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं अब भी इसके पक्ष में हूं। इस विधेयक में पुत्री के लिये सम्पत्ति के अंश की व्यवस्था करने का जहां तक सम्भव है, मैं समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। क्यों ? मैं कहता हूं कि यही

---

†मूल अंग्रेजी में।

कारण है । अतः मैं मिताक्षरा विधियों को छुये बिना इस प्रश्न को हल नहीं करने जा रहा हूं । यदि यह उत्तरजीविता का ही प्रश्न है तो उत्तराधिकार नहीं हो सकता है । कोई भी पुत्री उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है । जब तक आपकी यह धारणा है कि परिवार एक इकाई है, तो उसमें उस पुत्री का, जो दूसरे परिवार में चली जाती है, कोई स्थान नहीं है । अतः केवल उत्तरजीविता की ही व्यवस्था करना असम्भव है । आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे समाज का क्रमशः विकास हो जिसके द्वारा स्त्रियों के प्रति न्याय किया जाये । खंड ६ का यही उद्देश्य है । अतः मेरा कहना है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यदि कोई हिन्दू पुरुष मर जाता है और मरने के समय उसका मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में कोई अधिकार हो तो उसका सम्पत्ति सम्बन्धी हित उसके समांशी उत्तरजीवियों को उत्तरजीविता के आधार पर न्यसित होगा न कि इस अधिनियम के अनुसार । यह है खंड ६ ।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि मैं उससे आगे न बढ़ूं । मैं इससे सहमत नहीं हूं । यदि ऐसी बात है तो इस विधेयक की ही क्या आवश्यकता है ? आप पुत्री को क्या दे रहे हैं ? अतः अपनी समझ के अनुसार में वही करना चाहता हूं जिसे मैं ठीक समझता हूं । मैं कह चुका हूं कि यह विकासोन्मुख विधि है । मान लीजिये कि कोई संयुक्त परिवार वर्तमान मिताक्षरा पद्धति का अनुसरण कर रहा है इस विधेयक के पारण से तुरन्त ही क्या होगा ? उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वह परिवार विघटित नहीं होगा । मान लीजिये कि उस परिवार में कोई पुत्री नहीं है, तब भी कुछ नहीं होगा । वह संयुक्त परिवार इस विधेयक के पारित होने पर भी वैसे ही चलता रह सकता है । परन्तु यदि उसमें कोई पुत्री अथवा कोई यहां उल्लिखित स्त्री उत्तराधिकारी है तो स्वाभाविक है कि मुझे उसे हिस्सा देना है । मैं मिताक्षरा सिद्धांत को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी नहीं रख सकता । इसी लिये मेरे कुछ वकील मित्र इसे असंगत बताते हैं यह जानबझ कर किया गया है । इसके प्रभाव को देख कर मैं इसका निर्णय करूंगा ।

यदि कोई पुत्री है, तो क्या होता है ? यदि मैं उसे हिस्सा देना चाहूं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है ? इसीलिये खंड ६ रखा गया था । संयुक्त समिति में इस पर काफी विचार किया गया था और समिति के अधिकांश सदस्यों को यह स्वीकार्य था । कई सूत्र प्रस्तुत किये गये थे । हमें यह देखना था कि पुत्री को उचित हिस्सा मिलता है या नहीं । जब संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया तो दो व्याख्यायें दी गईं । यह कहा गया कि उसे न केवल अविभाजित पुत्र के साथ बल्कि विभाजित पुत्र के साथ भी हिस्सा दिया जाये क्योंकि वे इसे ठीक समझते थे । जो लोग यह सोचते हैं कि संयुक्त परिवार तुरन्त समाप्त कर दिया जाये उनके लिये कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु हमने एक आधार पर कार्य किया है । मूल उद्देश्य यह था कि अकस्मात ही कोई कार्यावही न की जाये; लोगों को अपना समयोजन करने के लिये कुछ समय दिया जाये । इसीलिये यह उपबन्ध किये गये ।

यह देखा गया है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में दी गई व्याख्या संख्या २ के कारण कुछ मामलों में पुत्री के प्रति पुत्र को कठिनाई होगी । आखिर जो पुत्र अलग हो गया है उसने अपना हिस्सा ले लिया है । इस सम्पत्ति का लेखा कैसे किया जा सकता है ? इसमें कठिनाई होगी । अविभाजित पुत्रों को भी कठिनाई होगी । इसलिये राज्य सभा में विचार किया गया कि इस व्याख्या को निकाल दिया जाये ।

अतः वर्तमान व्याख्या को ही रखा गया । अब तो कम से कम अविभाजित पुत्र के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । इसका उदाहरण मैं दे चुका हूं । जहां तक अविभाजित पुत्र का सम्बन्ध है पुत्री को उस अविभाजित पुत्र के बराबर हिस्सा तो मिलना ही चाहिये ।

परन्तु इस तर्क में भी कुछ बल था कि जब कि मिताक्षरा पद्धति को तुरन्त ही नहीं हटाया जा रहा है तो इस प्रकार के कुछ परिणाम निकलेंगे । मान लीजिये एक परिवार में पिता, पुत्र और एक

[श्री पाटस्कर]

पुत्री थे और पुत्र ने अभी विभाजन नहीं कराया था और आधे हिस्से में उसका निहित हित था, यदि सारी सम्पत्ति में से आप पुत्री का आधा हिस्सा देना चाहें तो इसका अर्थ यह होगा कि उसे न केवल पिता के हिस्से में से बल्कि पुत्र के अविभाजित हिस्से में से भी कुछ हिस्सा मिल जायेगा ।

उस समय यह तर्क किया गया कि इसका परिणाम केवल एक बड़े पैमाने पर विभाजन ही होगा, और यह तर्क किसी हद तक सही भी था । उस दृष्टिकोण से मामले पर यहां पुनः चर्चा की गई, और यह सोचा गया कि किसी भी स्थिति में पुत्री को पिता के हिस्से में हिस्सा मिलना ही चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच इस दृष्टिकोण से की जाये ।

एक-दो बातें और भी हैं जिन्हें जोड़ दिया गया है । उदाहरण के लिये, जैसा कि मैं सदा कहता रहा हूं इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि अविवाहित पुत्री को हिस्सा मिलना चाहिये या विवाहित पुत्री को हिस्सा मिलना चाहिये अथवा इनमें से किसे मिलना चाहिये । संविधान द्वारा भी हम इस सिद्धांत के प्रति वचन-बद्ध हैं कि इन दोनों में से किसी के प्रति भी भेद-भाव नहीं करेंगे । इसलिये हमने यह सोचा कि उसे करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि पिता को वसीयत करने का अधिकार दिया जाये यद्यपि यह बात मिताक्षरा परिवार की मूल कल्पना पर एक आघात है । इसलिये यह उपबन्ध एक अन्य खंड में किया गया है जिस पर हम बाद में विचार करेंगे । यदि इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जाता है तो, जैस कि मैंने कल कहा था, कि यदि हम अविवाहित पुत्री को हिस्सा देते हैं तो संभव है कि विवाहित पुत्री को अविवाहित पुत्री की अपेक्षा उसकी अधिक आवश्यकता हो । इसलिये यह सोचा गया कि जहां तक उसकी सम्पत्ति का सम्बन्ध है पिता इस बात का निर्णय करने के लिये सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है कि वह सम्पत्ति किसे मिलनी चाहिये । संभवतः यह सब पिता की मृत्यु के बाद ही होगा, क्योंकि, जैसा कि मैं बताता रहा हूं, निकट भविष्य में कुछ होगा नहीं ऐसा हमारा अनुमान है । इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

इस आशय के सुझाव भी दिये गये हैं कि पुत्री को भी समांशी माना जाये । मैं देखता हूं कि पंडित के० सी० शर्मा का दृष्टिकोण वास्तव में अत्यन्त प्रगतिशील है । किन्तु अब भी समांशी की स्थिति के सम्बन्ध में क्या हुआ है ? कितने विवाद उसके सम्बन्ध में मौजूद हैं ? जितनी भी उलझनें पैदा हुई हैं, वह संभव है कि मिताक्षरा की मूल कल्पना से नहीं किन्तु उसके मौजूदा निर्वचन से कितनी उत्पन्न हुई हों । इसलिये मैं और अधिक जटिलतायें उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं । मान लीजिये कि पुत्री को सम्मिलित किया जाता है और वह समांशी बन जाती है । उसका विवाह होगा; उसके बच्चे होंगे तब कितने समांशी होंगे ? पुत्रियों और उन के उत्तराधिकारियों की वृद्धि के बावजूद कोई परिवार ठीक ढंग से चल सकेगा । इस बात की कल्पना मैं नहीं कर सकता हूं यह उस विधि के आधार पर ही आघात करता है जो परिवार के जारी रखे जाने पर ही आधारित थी । यह स्वीकार किया जाता है कि विवाह द्वारा पुत्री परिवार की सदस्य नहीं रह जाती है । इसलिये जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता हूं । उसके प्रति मेरी सहानुभति है और मेरा ख्याल है कि उसका उद्देश्य प्रशंसनीय है किन्तु कुछ किया नहीं जा सकता है ।

कई अन्य मामलों पर माननीय सदस्य बोले हैं । इसलिये, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैंने सोचा कि मौजूदा स्थिति में हस्तक्षेप न करने का यथासंभव प्रयास करते हुये और जहां आवश्यक था वहां समन्याय कार्यवाही कर के पुत्री के प्रति कितना अधिक किया जा सकता है यह देखा जाये । इसी दृष्टिकोण से वसीयत करने का अधिकार दिया गया है और यह कार्यवाही राज्य-सभा में की गई थी ।

जब हम खंड ४ पर चर्चा कर रहे थे तब यह बताया गया था कि पंजाब में किसी विनिर्णय के फल-स्वरूप सम्पत्ति के विभाजन का अधिकार प्राप्त नहीं है । स्वाभाविकता मैंने विचार किया कि पंजाब में

मिताक्षरा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति और देश के अन्य भाग के किसी व्यक्ति के बीच क्यों विभद किया जाये। इसलिये जो मौजूदा प्रारूप है वह की गई सभी आलोचनाओं और उठाई गई बातों को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया है, और मेरा खयाल है कि ऐसे मामलों में अत्यन्त द्रुत गति से कार्यवाही करने के बजाय उचित यही है कि जहां तक संभव है हम आवश्यक परिवर्तन और समायोजन करें।

अब मैं इस खण्ड को पढ़ कर उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। मैं जानता हूं कि उसमें कुछ कठिनाई है जिसका उल्लेख मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने किया और मैं उसका निर्देश करूंगा। खण्ड ६ जैसा है वैसा ही रखा गया है क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यह है। हम कुछ मामलों को छोड़ कर मिताक्षरा पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। संशोधन में कहा गया है उसके अनुसार यदि वह पुत्री है या पुत्री का पुत्र है जो अपनी माता अथवा किसी ऐसे सम्बन्धी के जरिये दावा करता है तो मिताक्षरा सम्पत्ति में मृत व्यक्ति का हिस्सा इच्छा पत्रोक्त या इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार के जरिये, जैसी स्थिति हो, न्यसित होगा और उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

यह सच है कि उस समय इस परन्तुक के शब्द यह थे :

.....''ऐसे महिला सम्बन्धी के जरिये दावा करता है तो ऐसा महिला या पुरुष सम्बन्धी को उत्तराधिकार का अधिकार होगा।'' वहां शब्द रचना ऐसी थी जिसने उन्हीं हितों तक स्वयं को सीमित रखा था। किन्तु जो आलोचनायें हमें प्राप्त हुईं उनके फलस्वरूप हमने सोचा कि एक अधिक सरल और अच्छा रास्ता भी है।

इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है। यदि आप खण्ड ७ की जांच करें तो आप देखेंगे कि उसमें आलिया संतान और अन्य विधियों का उल्लेख किया गया है और वहां भी वही शब्दावलि है जो यहां है। अब हमें यह देखना चाहिये कि उससे जो कुछ पहले बनाया गया है उसमें वास्तव में क्या कोई महत्वपूर्ण अंतर पड़ता है। हमने यह सोचा था कि मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में मृत व्यक्ति का जो हिस्सा है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत इच्छापत्रोक्त या इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार द्वारा, जैसी स्थिति हो, न्यसित होगा उत्तरजीविता द्वारा नहीं। यदि हम इस शब्दावलि को रखें तो यहां एक बात उत्पन्न होती है। मान लीजिये कि एक पुत्री है और एक पुत्र भी है। तब क्या होता है ? मृत व्यक्ति का हिस्सा इच्छापत्रोक्त या इच्छा पत्रहीन उत्तराधिकार द्वारा न्यसित होगा, क्योंकि संभव है कि उसे इच्छापत्र अथवा सम्पत्ति में हित होने के फलस्वरूप कुछ और भी मिले। मान लीजिये कि दो पुत्र हैं और उनमें एक का हिस्सा एक-तिहाई था। वह अपना हिस्सा रखे रहता है। तो उसे पिता का हिस्सा भी मिलेगा। उसको अपनी बहिन के साथ-साथ कुछ और हिस्सा भी प्राप्त होगा। यह उसके अतिरिक्त होगा। सामान्यतः मिताक्षरा पद्धति में जो विधि है उसके अनुसार जहां तक उसका सम्बन्ध है जो सम्पत्ति वह अपने पूर्वजों से अर्जित करता है वह स्वाभाविकतः एक संयुक्त परिवार सम्पत्ति होगी। किन्तु खण्ड २१ की शब्द रचना के फलस्वरूप कुछ कठिनाई हो सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि उक्त खण्ड का प्रारूप उस समय बनाया गया था जबकि खण्ड ६ का स्वरूप कुछ भिन्न था। मैं यह कहने को तैयार हूं कि इस मामले पर निश्चय ही विचार किया जायेगा और जिस समय खंड २१ पर चर्चा का अवसर आयेगा तो मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा। यह उन बहुमूल्य बातों में से एक है जिसका सुझाव पंडित ठाकुरदास भार्गव ने देकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने किसी ऐसे सदस्य का निर्देश किया था जो उनकी बात से सहमत नहीं था। किन्तु मैं यह कदापि नहीं समझता हूं कि वह प्रगतिशील नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वह यहां एक लम्बे अर्से से हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि प्रगतिशील विधि निर्माण के क्षेत्र में वह सदा अगुआ रहे हैं। अन्य लोगों की उनके बारे में क्या धारणा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किन्तु यदि वह मुझ से

[श्री पाटस्कर]

सहमत नहीं होते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि व प्रगतिशील नहीं हैं। इस प्रश्न के प्रति मेरा रुख यह नहीं है। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन दे सकता हूं।

व्याख्या १ में कहा गया है :

"इस धारा के प्रयोजनों के लिये, एक हिन्दू मिताक्षरा समांशी का हित उस सम्पत्ति में वह हिस्सा माना जायेगा जो उसे उस समय आवंटित किया गया होता यदि सम्पत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले हुआ होता इस बात के निरपेक्ष कि वह विभाजन का दावा करने का अधिकारी था या नहीं था।"

यह मूल विधेयक में था और वह प्रथम परन्तुक का एक अंग था। उसे अलग करना पड़ा, क्योंकि हम यह उपबन्ध करना चाहते थे कि जहां तक पंजाब के लोगों का सम्बन्ध है उन्हें कोई कठिनाई न हो मुझे प्रसन्नता है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे प्रख्यात वकील और विधेयकों का गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा यह सुझाव दिया गया है। यह अच्छा ही है कि उन्हें इस बात का स्मरण रहा। पहले प्रारूप के आधार पर प्रश्न के प्रति जो रुख अपनाया गया था उसकी अपेक्षा यह रुख अधिक अच्छा है।

व्याख्या २ में जो कुछ कहा गया है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। मान लीजिये कि दो पुत्र और एक पुत्री हैं। एक पुत्र ऐसा है जो पहले ही अलग हो चुका है और जिसने अपना पूरा हिस्सा ले लिया है। हम उसके अधिकारों पर आघात नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में तर्क किया जा सकता है। क्या उस पर तर्क किये जाने के लिये उसे ऐसा ही छोड़ दिया जाये ? मैं जानता हूं कि उस पर तर्क किया जा सकता था। इसलिये मैंने उसे इस प्रकार एक व्याख्या के रूप में रखना अधिक अच्छा समझा। यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति अलग हो चुका है और अपना पूर्ण हिस्स प्राप्त कर चुका है, तो उसे ऐसे भाई या बहन के हिस्से में हिस्सा क्यों मांगना चाहिये जोकि अभी अलग नहीं हुए हैं ?

उसका दृष्टिकोण यह नहीं था। कोई ऐसी बात भविष्य में न हो इसलिये सावधानी के लिये उसे यहां रखा गया था।

यहां भी एक त्रुटि है जो मेरे ध्यान में अभी आई है। व्याख्या २ में कहा गया है कि इस धारा के इस परन्तुक में जो बातें निहित हैं उसका अर्थ यह नहीं लिया जायेगा कि उनसे कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने मृत व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व समांशिता से स्वयं को अलग कर लिया हो. इच्छापत्र-हीन सम्पत्ति में उसमें निर्देश किये गये हित के सम्बन्ध में दावों करने का अधिकारी हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में पुत्र अलग हो जाये और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाये। यह संभावना रही है। इसलिये इस खतरे से बचने के लिये मैं आपकी अनुमति से एक प्रारूपक संशोधन प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या २ को मैं परिवर्तित रूप में इस प्रकार रखता हूं कि इस धारा के इस परन्तुक में जो बातें दी गई उनका अर्थ यह नहीं लिया जायेगा कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसने मृत व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी की मृत्यु से पूर्व अपने आपको समांशिता से अलग कर लिया हो .... मैंने शब्द "मृत व्यक्ति की मृत्यु" के बाद शब्द "अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी की" जोड़ दिये हैं क्योंकि हो सकता है कि विभाजित पुत्र की मृत्यु हो जाये और उसके कुछ उत्तराधिकारी हों। इसका अर्थ यह है कि उसके उत्तराधिकारियों में से किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा।

जहां तक पहले प्रारूप का सम्बन्ध था इस आशय का आरोप लगाया गया था कि पुत्री को उसके जायज हिस्से से वंचित करने के लिये, वह सभी पुत्रों को, और यहां तक कि परिवार के शिशुओं को भी, अलग करने का प्रयत्न करेंगे। मेरा ख्याल है कि अलग होने के बजाय संयुक्त रहने के लिये ही कुछ प्रेरणा रहेगी, क्योंकि यदि वह अलग हो भी जाता है तो उसे पिता की मृत्यु के उपरांत कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिये मुझे विश्वास है कि यह परन्तुक संयुक्त परिवारों को कायम रखने में सहायक होगा।

निस्सन्देह मौजूदा उपबन्ध उस निश्चित उद्देश्य से नहीं किया गया था जिससे कि पुत्री को उसके हिस्से से वंचित करने के लिये पुत्र अलग हो जायें। फिर भी खण्ड ६ के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए, उपबन्ध जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसे न छोड़ते हुए और इस सभा के सदस्यों के विचारों और इस पर हुई चर्चा को सुनने के उपरांत मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उसे स्वीकार करेंगे।

निस्सन्देह मैं यह जानता हूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मिताक्षरा विधि में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, किन्तु हम लाचार हैं। जहां तक खण्ड ६ का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो व्याख्या दी है और उससे और जिस तरीके से मैंने खण्ड ६ के शब्दों में परिवर्तन करने की आवश्यकता और उसके कारणों को स्पष्ट किया है, उससे मेरे सभी माननीय मित्रों को, जिनमें श्री वी० जी० देशपांडे शामिल हैं, संतोष हुआ है। वह मुझ से अन्य बातों में असहमत हो सकते हैं, किन्तु जहां तक खण्ड ६ का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूं इस बात पर सभी सहमत होंगे कि जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह अधिक अच्छा है।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : क्या मैं जान सकता हूं कि पिता की मृत्यु होने के बाद पुत्रों की संयुक्त संस्थिति स्वयं विच्छिन्न हो जायेगी ?

†**श्री पाटस्कर** : नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी बताया था कि खंड २१ से ऐसा परिणाम हो सकता है। हमें उस खण्ड पर इस दृष्टिकोण से भी विचार करना होगा क्योंकि व हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं जानता हूं कि दुर्भाग्य से इस मामले के सम्बन्ध में इस सभा में मतभेद है। कुछ लोगों की इच्छा है कि मिताक्षरा परिवार को एकदम अछूता छोड़ दिया जाये। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उसकी पूर्ण समाप्ति चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पुत्री को समांशी बनाने में भय का अनुभव करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कथन यह है कि विवाहित और अविवाहित किसी भी पुत्री को हिस्सा दिया जाये अथवा न दिया जाये सभी प्रकार के मत हैं संभवतः इस खण्ड की चर्चा ने इस विधेयक में निहित लगभग सभी बातों की चर्चा का रूप धारण किया था। मैंने यह बात खण्ड २२ और २३ इत्यादि के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों के बारे में देखी है। इस खण्ड पर विचार के समय मैं उनका उत्तर देकर सभा का समय नहीं लेना चाहता। यदि मैं उत्तर नहीं देता हूं तो माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह यह न समझें कि मैं उत्तर देने में हिचक रहा हूं। यह संभव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन संख्या २०१, जिसे मैंने पूर्ण विचार और इस सभा में की गई आलोचनाओं और व्यक्त किये गये विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किया है, जहां तक विधेयक में निहित बातों का सम्बन्ध है, सदस्यों को मान्य होगा।

†**श्री कासलीवाल** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। शब्द "अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी" एकाएकी ही रखे गये हैं। हम नहीं जानते कि उनका अर्थ क्या है।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने उसे पहले स्पष्ट कर दिया है। एक ऐसा पुत्र, जो अलग हो चुका है, पुनः हिस्सा नहीं मांग सकेगा यह हो सकता है कि जो पुत्र अलग हो गया था उसकी मृत्यु हो जाये और वह अपने पीछे उत्तराधिकारी छोड़ जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं सरकारी संशोधन को लेता हूं और बाद में उस संशोधन के संशोधनों को। क्या पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको देखते हुये मेरा ख्याल है कि उसको मतदान के लिये रखना आवश्यक नहीं है। उनकी विषयवस्तु में कोई अंतर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सी० सी० शाह और श्री वेंकटरामन अपने संशोधनों के बारे में क्या कहते हैं ?

†**श्री सी० सी० शाह** : संशोधन दो हैं—१६२ और १९४। संशोधन संख्या १९४ : २०१ के के समान ही है। यदि २०१ को मतदान के लिये रखा जाता है तो दूसरे को रखने की आवश्यकता नहीं है। हम संशोधन संख्या १६२ पर आग्रह नहीं करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम संशोधन संख्या २०१ को संशोधित रूप में लेते हैं।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : संशोधन किसने किया है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने उसमें एक परिवर्तन के लये मौखिक सुझाव दिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : व्याख्या २ में यह स्पष्ट किया गया है कि संभांशी सम्पत्ति का एक ऐसा सदस्य जो पहले ही अलग हो चुका हो और जिसने हिस्सा प्राप्त कर लिया हो इच्छा-पत्रहीन सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होगा। अर्थ यह हो सकता है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या पौत्र को हिस्सा मिलेगा। स्थिति को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने संशोधन द्वारा स्वयं यह सुझाव दिया है कि उन्हें सम्मिलित न किया जाये। कौन जानता है ? उन्होंने अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति में शब्द "मृत व्यक्ति" के बाद शब्द "अथवा उसके उत्तराधिकारियों में कोई" जोड़ने का सुझाव दिया है।

प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावित संशोधन संख्या २०१ की व्याख्या २ में अंतिम से पहली पंक्ति में शब्द"deceased" ["मृतक"] के बाद शब्द "or any of his heirs" ["अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी"] जोड़ दिये जायें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४—पंक्ति २५ से ३६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that, if the deceased had left him surviving a female relative specified in class I of the Schedule or a male relative specified in that class who claims through such female relative, the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship.

Explanation 1. For the purposes of this section the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

Explanation 2. Nothing contained in the proviso to this section shall be construed as enabling a person who has separated himself from the coparcenary before the death of the deceased or any of his heirs to claim on intestacy a share in the interest referred to therein."

["परन्तु, यदि मृतक उत्तरजीवी के रूप में अनुसूची की प्रथम श्रेणी में उल्लिखित कोई सम्बन्धिनी अथवा उस श्रेणी में उल्लिखित कोई ऐसा सम्बन्धी, जो उक्त सम्बन्धिनी के जरिये दावा करे, छोड़ गया हो, तो मिताक्षरा-समांशिता-सम्पत्ति में मृतक का हित इस

†मूल अंग्रेजी में।

अधिनियम के अधीन इच्छापत्रीय अथवा वसीयतरहित उत्तराधिकार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रक्रान्त होगा न कि उत्तरजीविता द्वारा ।

व्याख्या १. इस धारा के प्रयोजन के लिये हिन्दू मिताक्षरा समांशी का हित संपत्ति में वह अंश समझा जायेगा जो कि उसे उस दिशा में आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले सम्पत्ति का विभाजन हो गया होता, चाहे उसे विभाजन का दावा करने का हक था या नहीं ।

व्याख्या २. इस धारा के परन्तुक की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे कोई ऐसा व्यक्ति जो मृतक अथवा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी की मृत्यु से पहले समांशिता से पृथक् हो गया हो, बिना वसीयत के ही उसमें निर्दिष्ट हित में अंश का दावा कर सकता है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः संशोधन संख्या १९४ के रखे जाने की आवश्यकता नहीं । कोई और संशोधन ?

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** संशोधन संख्या १६३ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय परामर्श दें कि उक्त संशोधन संख्या ६६ है अवरुद्ध है अथवा नहीं ।

†**श्री सी० सी० शाह :** यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि इस द्वारा खण्ड ६ की व्याख्या का लोप किया जाता है जो कि संशोधन २०१ की व्याख्या द्वारा हटाया जा चुका है, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या १६३ (जो ६४ जैसा है) द्वारा २५ से ३६ तक की पंक्तियों का लोप चाहा गया है । संशोधन संख्या २०१ प्रस्तुत और स्वीकृत हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५, १६१, (जो १६२ जैसा है) १६४, ६६, १६६, १६७ १९६, १९७, १९९, १०४ और २०२ और २१३ मतदान के लिये रखें गये और अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड ४ से सम्बन्धित संशोधन संख्या १५१, १५३, १५४, १५५, १५६, १९३ और १९५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ४ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०२९

(१) दामोदर घाटी निगम के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नौकरी के बारे में विवरण, और

(२) सम्पदा शुल्क नियमों में कई और संशोधन करने वाली अधिसूचना सभा पटल पर रखी गई ।

राज्य-सभा से संदेश ३०२९–३०

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा अपनी २ मई, १९५६ की बैठक में, सदनों की संयुक्त समिति को संविधान (नवां संशोधन) सौंपने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है ।

विधेयक पुरःस्थापित ३०३१–३२

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया ।

विधेयक में संशोधन करने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति ३०३३–३६

राज्य-सभा ने त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ में जिस संशोधन की सिफारिश की वह स्वीकृत हो गया है ।

विधेयक विचाराधीन ३०३६–८७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे विचार जारी रहा । खण्ड ४ स्वीकृत हुआ तथा खण्ड ५ और ६ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए । खण्डों पर विचार समाप्त हुआ नहीं ।

शुक्रवार, ४ मई, १९५५ के लिये कार्यावलि—

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर और आगे विचार ।

M129LSD—190—20-12-57—GIPF